तृतीय माला, खंड 47, अंक 5
Third Series, Vol. XLVII, No. 5

बुधवार, 10 नवम्बर, 1965/19 कार्तिक, 1887 (शक)
Wednesday, November 10, 1965/Kartika 19, 1887 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
3rd
LOK SABHA DEBATES

[तेरहवां सत्र
Thirteenth Session]

सत्यमेव जयते

[खंड 47 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. XLVII contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।]

[This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 5—बुधवार, 10 नवम्बर, 1965/19 कार्तिक, 1887 (शक)

No. 5—Wednesday, November 10, 1965/Kartika 19, 1887 (Saka

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या *S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
120	काश्मीर के सम्बन्ध में श्री नम्बूदीरीपाद के विचार	Shri Namboodiripad's views on Kashmir	374–79
121	'जेट फ्यूएल" की सप्लाई	Supply of Jet Fuel	379–81
122	कानपुर के व्यापारी की गिरफ्तारी	Arrest for Kanpur Trader	381–86
123	भू-सीमा पर तार लगाना	Fencing of Land Borders	387–88
124	प्रशासनिक समस्याओं का अध्ययन करने के लिए आयोग	Commission to Study Administrative Problems	388–89
125	विद्रोही नागाओं के साथ मुठभेड़	Clash with Naga Hostiles.	390–92
अ० सू० प्र० संख्या S. N. Q. No.			
1	गुजरात में किसानों को कच्चे तेल का सम्भरण	Supply of Crude Oil to Agriculturists in Gujarat	392–93

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.			
126	पाकिस्तान से निष्क्रमण	Exodus from Pakistan	394
127	फालतू सरकारी कर्मचारी	Surplus Government Staff	394–95
128	खाद्य आन्दोलन के सम्बन्ध में गिरफ्तारियाँ	Arrests for Food Agitation	395
129	सेवानिवृत्त असनिक कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति	Re-Employment of Retired Civil Servants	395–96
130	कलकत्ता के निकट तेल	Oil near Calcutta	396
131	मंत्रालय में हिन्दी का प्रयोग	Use of Hindi in Ministries	396–97
132	पश्चिम बंगाल को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to West Bengal	397
133	पूर्वी सीमा पर पाकिस्तानी घुसपैठ	Pak. Infiltrations on Eastern Borders	397–98
134	नागा भूतपूर्व मंत्री का अपहरण	Kidnapping of Naga Ex-Minister	398

---

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
135	सरकारी क्षेत्र में पेट्रो-केमिकल कारपोरेशन	Petro-Chemical Corporation in the Public Sector . .	398
136	जासूसों की गतिविधियां	Activities of Spies .	399
137	दिल्ली का राजनैतिक ढांचा	Political set up of Delhi .	399–400
138	सम्पर्क स्थापित करनेवाले व्यक्तियों की काली सूची	Black List of Contactmen	400
139	आसाम में ब्रिटिश राष्ट्रजनों की नज़रबन्दी	Detention of Britishers in Assam.	400–01
140	तेल वितरण सम्बन्धी राष्ट्रीय नीति	National Policy re : Oil Distribution	401
141	समुद्र से पीने का जल	Drinking Water from Sea .	401
142	गुप्तचर व्यवस्था	Intelligence System . .	401–02
143	पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विश्वविद्यालय	University for North Eastern Region	402
144	मद्य-निषेध	Prohibition	402
145	उड़ीसा के भूतपूर्व मुख्य मंत्रियों के विरुद्ध जांच	Enquiry against Ex-Chief Ministers of Orissa . . .	402–03
146	सीमेंट-कंक्रीट उत्पाद निर्माण फैक्टरियाँ	Cement Concrete Products Manufacturing Units . . .	403
147	वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट टीम की भारत यात्रा	West Indies Cricket Team's Tour	403
148	कठना (कैम्बे) में तेल के रिजर्व	Oil Reserves at Kathana (Cambay)	404
149	वालकॉट का प्रत्यर्पण	Extradition of Walcott	404

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.			
327	चलचित्रों विषयक आपत्तिजनक इश्तहार	Objectionable Film Posters	404
328	नज़रबन्द व्यक्ति	Detenus . . .	405
329	तेल तथा गैस की खोज	Exploring of Oil and Gas . .	405
330	चेलानूर में आर्ट्स कालिज	Arts College at Chelanoor	405–06
331	संस्कृत कालिज, पट्टम्बी	Sanskrit College, Pattambi .	406
332	कालिकट उड़न दस्ते (फ्लाइंग स्क्वैड) के विरुद्ध शिकायतें	Complaints against Calicut Flying Squad	406
333	नजरबन्द लोगों को परिवार भत्ता	Family Allowance to Detenues .	406
334	अनुसन्धान के विषय	Research Subjects . .	407
335	डिग्री कालिजों के लिए अनुदान	Grants to Degree Colleges .	407

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
336	क्रिकेट का प्रशिक्षण देने के लिए शिबिर	Coaching Camps for Cricket .	407
337	जयपुर के निकट पुराने सिक्कों का पाया जाना	Find of Old Coins near Jaipur.	407–08
338	सिंधी भाषा में मैट्रिक	Matric in Sindhi . . .	408
339	दिल्ली में नये बाजारों का निर्माण	Construction of New Markets in Delhi	408
340	दिल्ली में दुकानों पर छापे	Raids on Shops in Delhi . .	409
341	शेख अब्दुला पर होने वाला व्यय	Expenditure on Sheikh Abdullah	409
342	राइफल शूटिंग में प्रशिक्षण	Training in Rifle Shooting .	409–10
343	गैसोलीन	Gasoline	410
344	हैमिसिन तथा क्लोरटेट्रेसिक्लिन हाइड्रोक्लोराइड का निर्यात	Export of Hamycin and Chlor-tetracycline hydrochloride	410
345	पोर्ट कैनिंग क्षेत्र में तेल	Oil in port Canning Area . .	410–11
346	अन्तर्राष्ट्रीय भारतीय महासागर में अभियान	International Indian Ocean Expedition	411
347	नेफा में प्रशासनिक सुधार	NEFA Administrative Reforms :	411–12
348	नजरबन्द व्यक्ति	Detenus	412
349	अखिल भारतीय न्यायिक सेवा	All India Judicial Service .	412
350	मैगनेशियम का निर्माण	Manufacture of Magnesium .	412
351	समुद्र विज्ञान सम्बन्धी संस्था	Institute of Oceanography .	413
352	रूस में ब्राह्मी पांडुलिपि का पाया जाना	Brahmi Manuscript found in USSR	413
353	जम्मू तथा काश्मीर के पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्रों से आने वाले व्यक्ति	Migrants from Pakistan-occupied Areas of J. & K. . .	413
354	व्यावसायिक दृष्टिकोण से शिक्षा	Vocational Bias to Education .	414
355	भारत सर्वेक्षण विभाग के कर्मचारियों के वेतनक्रम	Pay Scales of Survey of India Employees	414
356	नागा नेता की हत्या	Murder of Naga Leaders .	414–15
357	कोयाली तेल शोधक कारखाना	Koyali Oil Refinery . . .	415
358	पंजाब नेशनल बैंक से सम्बद्ध कुछ व्यक्तियों के घरों की तलाशी	Search of the Premises of certain persons connected with Punjab National Bank . . .	415
359	गोल गुम्बद, बीजापुर	Gol Gumbad, Baijapur . .	415
361	प्रशिक्षणाधीन अध्यापकों को छात्रवृत्तियां	Stipend to Teachers under Training	415–16
362	भारत में प्रकाशकों की संस्था	Publishers Association in India	416

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
363	मनाली (पंजाब) में पश्चिम हिमालय पर्वतारोही संस्था	Western Himalayan Mountaineering Institute, Manali (Punjab)	416
364	भारत को रूसी तेल की सप्लाई	Russian Oil Supplies for India.	416–17
365	जम्मू तथा काश्मीर में विस्थापित व्यक्तियों को बसाया जाना	Rehabilitation of Displaced Persons in J. & K. . . .	417
366	लक्कदीव में अधिकारियों को भत्ता	Allowance to officials in Laccadives	417
367	लक्कदीव में अधिकारियों को मकान किराया भत्ता	House Rent Allowance to Officers in Laccadives . .	417–18
368	लक्कदीव में अधिकारियों के लिये अवकाश सम्बन्धी सुविधायें	Leave Facilities for Officers in Laccadives	418
369	तामिल भाषा के समाचार-पत्रों में राष्ट्र विरोधी लेख	Anti-National Articles in Tamil Paper	419
370	आगरा फोर्ट में चोरी	Theft in Agra Fort . . .	419
371	तस्कर व्यापार में लगे हुअे मुसलमान	Muslims engaged in smuggling .	419
372	दिल्ली में गुप्त ट्रान्समिटर	Ghost Transmitter in Delhi	419–20
374	फिरोजपुर के पादरी की गिरफ्तारी	Arrest of a Ferozepur Priest .	420
375	ईरान में किनारे से थोड़े दूर समुद्र में छिद्रण-कार्य	Off-Shore Drilling in Iran . .	420
376	पर्यटकों को मद्यनिषेध कानून से छूट	Exemption to Tourists from Dry Law	420
377	पुनर्वास आयोग	Rehabilitation Commission .	421
378	कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय	Kurukshetra University . .	421
380	दिल्ली में कालिज	Colleges in Delhi . . .	421–22
381	चौथी योजना में नये विश्वविद्यालयों का खोला जाना	Setting up of Universities in Fourth Plan . . .	422
382	ब्लक आऊट के कारण उत्पादन में हानि	Loss in production due to Black-out	422
383	काश्मीर की स्थिति	Kashmir Situation . . .	423
384	रूसी शिक्षा संस्था	Institute of Russian Studies	423–24
385	अध्यापकों को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Teachers	424
386	चौथी योजना में कुनीन फैक्टरी	Quinine Factory in Fourth Plan	424
387	ट्राम्बे उर्वरक कारखाना	Trombay Fertilizer Factory .	424–25
388	युगोस्लाविया से पेट्रोल के उत्पाद	Petroleum Products from Yugoslavia	425
389	फिर से ब्लैक आउट करना	Re-imposition of Black-out. .	425
390	छात्रों की पिटाई	Beating of Students . .	425–26
391	उत्तर प्रदेश में नये विश्वविद्यालय का खोला जाना	Setting up of new University in U.P.	426

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
392	गोरखपुर उर्वरक कारखाना	Gorakhpur Fertilizer Factory .	426
393	उर्वरक संयंत्र	Fertilizer Plants . . .	426
	अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—	
	अल्जिअर्स में होने वाले अफ्रीकी-एशियाई सम्मेलन का स्थगीत किया जाना—	Postponement of Afro-Asian Conference in Algiers—	
	श्री रामेश्वर टांटिया	Shri Rameshwar Tantia .	427
	श्री स्वर्ण सिंह	Shri Swaran Singh . .	427
	ध्यान दिलानेवाली सूचना के बारे में (प्रश्न)	Re : Calling Attention Notice (Query)	427
	सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table . .	428–30
	राज्य सभा से संदेश	Message from Rajya Sabha .	430
	अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक—	Advocates (Amendment) Bill—	
	राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा-पटल पर रखा गया	Laid on the Table as passed by Rajya Sabha . . .	430
	गैरसरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	Committee on Private Members' Bills and Resolutions—	
	बहत्तरवां प्रतिवेदन	Seventy-second Reports .	430–31
	भारत का धातु निगम (उपक्रम का अर्जन) विधेयक—पुरःस्थापित	Metal Corporation of India (Acquisition of Undertaking) Bill—Introduced . . .	431
	भारत धातु निगम (उपक्रम का अर्जन) अध्यादेश के बारे में विवरण	Statement re : Metal Corporation of India (Acquisition of Undertaking) Ordinance .	432
	विश्व बैंक को अदायगी तथा सिन्धु जल-संधि के अन्तर्गत जल देने के बारे में प्रस्ताव—	Motion re : Payment to World Bank and Release of Water under Indus Waters Treaty— .	
	डा० कु० ल० राव	Dr. K. L. Rao . . .	432–34
	श्री कपूर सिंह	Shri Kapur Singh . .	434–36
	श्री भानु प्रकाश सिंह	Shri Bhanu Prakash Singh .	436–37
	श्री इन्द्रजीत गुप्त	Shri Indrajit Gupta . .	437–39
	श्री म० ला० द्विवेदी	Shri M. L. Dwidvedi .	439–40
	श्री रामेश्वरानन्द	Shri Rameshwaranand	440–41
	श्री श्याम धर मिश्र	Shri Shyam Dhar Misra	441
	श्री नाथ पाई	Nath Pai . .	441–43
	श्री इकबाल सिंह	Shri Iqbal Singh	443–45

विषय	Subject	पृष्ठ Page
डा० राम मनोहर लोहिया	Dr. Ram Manohar Lohia .	445–46
श्री नि० चं० चटर्जी	Shri N. C. Chatterjee .	446–47
श्री कर्णी सिंहजी	Shri Karni Singhji . .	447–48
श्री श० ना० चतुर्वेदी	Shri S. N. Chaturvedi .	448
श्री अ० ना० विद्यालंकार	Shri A. N. Vidyalankar .	449
श्री लाल बहादुर शास्त्री	Shri Lal Bahadur Shastri .	450–52

लोक-सभा
LOK SABHA

बुधवार, 10 नवम्बर, 1965/19 कार्तिक, 1887 (शक)
Wednesday, November 10, 1965/Kartika 19, 1887 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

अध्यक्ष महोदय : श्री यशपाल सिंह ।

Shri Madhu Limaye : I rise on a point of order.

The question number 120 is about person who has neither any connection with the Government nor with the House. It is not that I agree with the statement issued by him. As you know, I do not see eye to eye with him in such matters. But I do not think it proper that questions are asked about statement issued or lecture delivred by any individual. Similarly questions will tomorrow be asked about Rajaji, Vinobaji or any other member of a party. I want your ruling as to how far it is appropriate ?

श्री स० मो० बनर्जी : मैं श्री मधु लिमये की बात का तीन आधारों पर समर्थन करना चाहता हूं । एक तो यह, कि श्री नम्बूदरीपाद न तो इस सभा के सदस्य हैं और न ही सरकार के । चाहे काश्मीर का प्रश्न हो या अकसाईचिन का, मैंने उन का कड़ा विरोध किया है, और मैं उन की नीतियों से सहमत नहीं हूं । परन्तु यह एक सिद्धान्त का प्रश्न है । दूसरे जब श्री जयप्रकाश नारायण ने एक वक्तव्य दिया था तो सभा में ऐसा ही प्रश्न उठाया गया था । यदि मैं गलती नहीं करता तो वह मुख्यत: अकसाईचिन के बारे में था । इतना ही नहीं रेव० माइकल स्काट ने नागालैण्ड पर और राजाजी ने काश्मीर पर वक्तव्य दिया था । प्रधान मंत्री श्री लाल बहादूर शास्त्री ने इस सभा में हमें बताया था कि हमारे जैसे लोकतन्त्रात्मक देश में लोगों को, जो कुछ वे कहना चाहें, कहने का अधिकार है और जब सरकार अनुभव करेगी कि वे लोग जो बातें कह रहे हैं वे तोड़फोड़ की हैं, तो उन के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जायेगी ।

इसके अतिरिक्त यह प्रश्न समाचार पत्रों की सूचना के आधार पर पूछा गया है और हमें श्री नम्बूदरीपाद से कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है । वह स्थान स्थानपर और एक बैठक से दूसरी बैठक में अपने वक्तव्य बदल रहे हैं । अत: मैं आप से प्रार्थना करता हूं कि आप सभा का इस बारे में मार्गदर्शन कीजिये ।

श्री हेम बरुआ : श्री मधु लिमये और श्री बनर्जी ने जो कुछ कहा है मैं उस का विरोध करना चाहता हूं। मेरा नाम भी इस में है। प्रश्न को सभापटल पर रखते समय हमने इस पर काफी विचार किया था कि.....(अन्तर्बाधा)।

अध्यक्ष महोदय : यदि मैंने इस प्रश्न के उठाये जाने की आज्ञा दी हैं तो मैं इसके कारण भी बताऊंगा। वह मेरा समर्थन करते हैं इस के लिये मैं उन का धन्यवाद करता हूं। अभी उन को कारण बताने की आवश्यकता नहीं है।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : I want to say one thing. It is improper to ask question in this House about the statement issued by any person at any place. I think that should not be discussed here. If his statement goes against the law, Government can punish him after investigation.

Mr. Speaker : Here the question is not about the action and punishment.

श्री नम्बूदरीपाद के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। श्री बनर्जी द्वारा जिन मामलों का उल्लेख किया गया है वे भी भिन्न हैं। वे हमारे प्रसिद्ध दलों में से एक के नेता हैं और इस दल के बहुत से सदस्यों को जेल में भेज दिया गया है। आन्दोलन चल रहा है। मैंने इस प्रश्न की इसलिए अनुमती दी है क्योंकि कुछ सदस्य यह अनुभव करते है कि ऐसे दल के विरूद्ध जिस के विचार वास्तव में देश की सुरक्षा के प्रतिकूल हैं, कार्यवाही की जानी चाहिये, प्रश्न श्री नम्बूदरीपाद के वक्तव्य का नहीं है, जिस की यहां बहुत चर्चा है, परन्तु देश की सुरक्षा का है। उस दल के कुछ सदस्य जेल में है, इस लिये मैंने प्रश्न की अनुमति दी है।

Shri Madhu Limaye : I want to know whether questions can be asked about such persons who are neither connected with the House nor with the Govt. here or not. I want your ruling on this point. If your ruling is that questions can be asked then for future....

Mr. Speaker : Every question will be decided on its merits. Please sit down and don't interrupt the proceedings.

Shri Kishen Pattnayak : This is not the place for threatening. Being Speaker you are threatening ....

Mr. Speaker : Why should I not threat ? If you do not obey I will. There cannot be any general decision that I should allow every such question.

Every individual case will have to be decided on its merits.

काश्मीर के सम्बन्ध में श्री नम्बूदरीपाद के विचार

+

*120. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री हेम बरुआ :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्री जं०ब० सिं० बिष्ट :
श्री भानु प्रकाश सिंह :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री काजरोलकर :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री गोकरन प्रसाद :
श्री बृजराज सिंह :
श्री मुहम्मद कोया :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान केरल के वामपंथी साम्यवादी नेता श्री ई० एम० एस० नम्बूदरीपाद द्वारा अक्तूबर, 1965 के आरम्भ में दिये गये भाषण की ओर दिलाया गया है जिसमें उन्होंने काश्मीर के प्रश्न पर अपने विचार व्यक्त किए थे, और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां ।

(ख) सरकार ऐसे साहित्य तथा भाषणों पर कड़ी नजर रख रही है और उचित समय पर ऐसी कार्यवाही करेगी जो जरूरी समझी जाय ।

Yashpal Singh : May I know in what way the Government discriminate between Shaikh Abdullah and Shri Namboodripad ? Government might be making some discrimination between them ? If they do not discriminate they should say 'no'.

The Minister of Home Affairs (Shri Nanda) : They cannot be considered alike. Both are different persons in their own place and have different position.

Shri Yashpal Singh : Shri Namboodripad has requested the Government for providing him police protection because public meetings arranged for him are disturbed and people are not allowed to listen to his speeches. May I know whether the Government propose to provide him police protection for that purpose?

Shri Nanda : This is the duty of the police to protect everybody and to maintain law and order.

Shri Yashpal Singh : May I know whether the Government have made arrangements so that his lectures could be heard ?

Mr. Speaker : They have not to make arrangements for meetings. They have to maintain law and order.

श्री हेम बरुआ : श्रीमान्, एक ओर तो हम यह कहते हैं कि काश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और इस पर किसी प्रकार की बातचीत नहीं हो सकती । हम ने सुरक्षा परिषद में भी यही कहा है । दूसरी ओर श्री नम्बूदरीपाद हैं जो हमारे देश की नीति की मूल बातों को ही चुनौति दे रहे हैं ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त श्री स० का० पाटिल भी यही करते हैं ।

श्री हेम बरुआ : जो कोई भी ऐसा करेगा हम उसको चुनौती देंगे । श्री नम्बूदरीपाद एक के बाद एक वक्तव्यों के द्वारा हमारे देश की नीति की मूल बातों को ही चुनौती दे रहे हैं इस संदर्भ में सरकार ने श्री नम्बूदरीपाद के विरुद्ध अभी तक कोई कार्यवाही क्यों नही की है ? क्या इस लिए कि वह एक राज्य के भूतपूर्व मुख्य मन्त्री हैं ? क्या आप इस तरह अन्तर करते हैं ?

श्री नन्दा : सरकार ने अपनी नीति के अनुसार इस बारे में उचित कार्यवाही की है । उन के इन वक्तव्यों से देश में देशभक्ति को बढ़ावा मिला हैं और जिन्होंने उनका समर्थन किया था उनका वास्तविक रुप श्री नम्बूदरीपाद द्वारा सामने ला दिया गया है ।

श्री हेम बरुआ : मेरे प्रश्न का यह उत्तर नही है । यदि हम इस प्रकार देश की अखंडता को चुनौती दिये जाने से देश में देशभक्ति को बढ़ावा देते हैं तो यह गलत नीति है ।

अध्यक्ष महोदय : हो सकता है कि वह गलत हो ।

श्री जं० ब० सिं० बिष्ट : क्या सरकार सम्बन्धित सज्जन से पत्र व्यवहार कर रही है और क्या उस दल के किसी सदस्य ने इन भाषणों के कारण दल को छोड़ दिया है ?

श्री नन्दा : इन भाषणों ने उस दल का एक प्रकार से स्पष्ट चित्र प्रस्तुत किया है और बहुत लोगों ने इस से संबंधित होने से इन्कार किया है और वे अधिक देश भक्ति की नीति को अपना रहे हैं ।

श्री भानु प्रकाश सिंह : क्या सरकार ने इस वक्तव्य को, कि वह दल पाकिस्तान और चीन से अपने क्षेत्र वापस लेन के लिए सरकार को समर्थन करने की तैयार नहीं है, देखते हुए श्री नम्बूदरीपाद के विचारों को उस के दल के विचार मान लिया है ?

श्री नन्दा : जब हम श्री नम्बूदरीपाद के भाषण की बात करते हैं तो सब से पहले हमें यह देखना होता है कि वह भाषण कौन सी तारीख को किया गया है, क्योंकि अलग अलग तिथियों को उन्होंने अलग अलग भाषण दिये हैं । यह भी उन्होंने कहा है और निश्चय ही यह ऐसा वक्तव्य है जिस की निन्दा सब देश भक्तों ने की है ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : A large number of persons belonging to left wing Communist Party were arrested due to their anti-national activities. May I know whether the Government propose to ban that party or declare that party illegal, in view of the speeches made by Shri Namboodripad ?

Shri Nanda : We want to take only such action which may produce the effect as desired by us. We do not propose to take any more action.

Shri Parkash Vir Shastri : Such statements of Shri Namboodripad have never been considered in the interest of the nation by the Governor of Kerala and now it appears from the statement of the Home Minister that the Central Government also consider it as such.

Shri Hitendra Desai : The Chief Minister of Gujerat has also taken a firm decision in this regard, But in spite of all this, May I know why the Government is afraid of taking some strong action against such persons to stop them from making such speeches ?

Shri Nanda : I think the hon. member must have understood the reasons.

Shri Parkash Vir Shastri : I have not followed.

Shri Madhu Limaye : The reason is that he will also be put into prison because he has given one-third of the Kashmir to Pakistan.

Shri Nanda : We are not looser as far as our objective is concerned rather we are gaining something. It will take some time to explain everything in detail.

Shri Parkash Vir Shastri : The hon. Minister has said that I must have understood the reasons. But the fact is that I have not followed anything uptill now and I would therefore, request the hon. Minister to explain it fully so as to enable me and the countrymen to know the reasons.

Mr. Speaker : You may make out from what the hon. Minister has said.

Shri Hem Barua : We have not followed it, Sir.

Shri Jagdev Singh Sidhanti : May I know whether the Government should not take any action under D.I.R. against a person who makes such statements which endanger the internal and external security of our nation ?

Shri Nanda : I have already replied that hundreds of them have been put into prison with this view in mind. Therefore there is no question of any danger. It matters little if Shri Namboodripad is an ex-chief Minister of a State. Whatever action was required has been taken by us.

Shri Rameshwara Nand : This particular statement of Shri Namboodripad in regard to Kashmir is so harmful that he cannot be forgiven in any way. Even then the Government are not taking suitable action against him which the Government should normally take. May I know whether the offence is not so serious that the Government do not consider proper to take some action ?

Shri Nanda : What more can I say ?

Shri Rameshwara Nand : I want to know whether his offence falls short of something and that he should make some more statements to enable the Government to take action against him?

Mr. Speaker : The hon. Minister says that he has not to say anything more.

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार श्री नम्बूदरीपाद को खुली छुट्टी देने की नीति पर चल रही है ताकि वह स्वयं उस में फंस जाये । हम जानना चाहते हैं कि सरकार ने दूसरे लोगों के बारे में जिन्होंने इसी प्रकार के विचार प्रकट किये थे, ऐसा व्यवहार या नीति क्यों नहीं अपनाई और श्री नम्बूदरीपाद को यह छूट क्यों दी जा रही है ? गृह-कार्य मंत्री के वक्तव्य से यह स्पष्ट होता है कि श्री नम्बूदरीपाद के मामले में छूट दी जा रही है ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय मन्त्री ने कारण बता दिये हैं । इससे अधिक मैं उन्हें और क्या कहने के लिए कह सकता हूं ?

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : हम श्री नम्बूदरीपाद के मामले में छूट दिये जाने के कारण जानना चाहते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : वह उन्होंने श्री शास्त्री के प्रश्न के उत्तर में बता दिये हैं ।

Shri Rameshwara Nand : I rise on a point of order.

Mr. Speaker : Please take your seat, Swamiji. There is no point of order on this question.

Shri Rameshwara Nand : Please listen to me. There is a point of order.

Mr. Speaker : You may put up your point of order.

Shri Rameshwara Nand : Mr. Speaker. I thank you for the opportunity afforded to me for raising my point of order. No action is being taken against such a big offender and on the other hand, Hon. Minister says that we have been benefited from his statement. I may say that if he makes few more statements on this subject, we may perhaps be benefited more ?

Mr. Speaker : Who can reply this question ?

Shri Kapur Singh : Nandaji Can.

Mr. Speaker : May I know what is the point of order in it ?

Shri Rameshwara Nand : There is a point of order to get correct reply from the hon. minister, when he has not already done so.

श्री अ० प्र० शर्मा : माननीय मंत्री ने अभी बताया है कि श्री नम्बूदरीपाद और उनके दल के विरुद्ध जो कुछ भी कार्यवाही आवश्यक समझी गई है, सरकार द्वारा वह की गई है। साम्यवादी दल और श्री नम्बूदरीपाद की गतिविधियों के बावजूद सरकार इस दल पर रोक लगाना क्यों आवश्यक नहीं समझती ? ऐसी कार्यवाही करने में सरकार को क्या कठिनाई हो रही है ?

श्री नन्दा : यदि मैं इस दल पर रोक नहीं लगाता तभी इस सभा के सदस्य तथा बाहर के लोग समझ सकेंगे कि इस दल में किस प्रकार के सदस्य हैं। इससे इस दल की हानिकारक नीति तथा विशेष विषयों पर इस दल के दृष्टिकोण के बारे में जनता को पता चलता है।

श्री स० मो० बनर्जी : मुझे मंत्रीजी से यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि विभिन्न राजनैतिक दलों के सदस्यों की ओर से काश्मीर पर दिये गये भाषणों की जांच की जाती है। काश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। क्या मैं जान सकता हूं कि स्वतंत्र पार्टी के नेताओं पर भी इसी प्रकार निगरानी रखी जा रही है जो काश्मीर की अखण्डता को चुनौती दे रहे हैं ?

श्री नन्दा : प्रत्येक व्यक्तिपर, जो कोई भी ऐसा वक्तव्य देता है, निगरानी रखी जाती है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : श्री स० का० पाटिल के बारे में क्या स्थिति है ? क्या आप उन पर निगरानी रख रहे हैं ?

श्री नन्दा : श्री स० का० पाटिल ?

श्री कपूर सिंह : क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या नागरिकों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति को विनियमित करने तथा उस पर नियंत्रण करने के लिये निकट भविष्य में ही शक्ति ग्रहण करने का सरकार का कोई विचार है ?

श्री नन्दा : हम संविधान के अधीन कार्य कर रहे हैं।

श्रीमती सावित्री निगम : यह कैसे सम्भव है कि सरकार का एक उत्तरदायी प्रवक्ता अर्थात केरल के राज्यपाल, इस विषय पर गृह-कार्य मन्त्रालय से भिन्न विचार रखते हैं क्या गृह-कार्य मन्त्री ने इस विषय पर अन्तिम मत बनाने से पूर्व उनसे परामर्श किया था ?

श्री नन्दा : केरल के राज्यपाल वहां की परिस्थितियों के अनुसार कोई भी कार्यवाही कर सकते हैं।

श्री दी० चं० शर्मा : श्री नम्बूदरीपाद के वक्तव्यों को पाकिस्तान के समाचार पत्र प्रथम पृष्ठों पर प्रकाशित कर रहे हैं और पाकिस्तान के रेडियों से भी इन का प्रसारण किया जा रहा है। विश्व के सभी देशों में पाकिस्तान के दूतावासों द्वारा इनको बांटा जा रहा है। उनके और उन के दल के विरुद्ध कार्यवाही करने के अतिरिक्त सभी मोर्चों पर पाकिस्तान के प्रचार का खण्डन करने के लिये, ताकि काश्मीर पर हमारे इस दृष्टिकोण को कि काश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, उन देशों में कोई हानि न होने पाये, सरकार क्या पग उठा रही है ?

श्री नन्दा : पाकिस्तान वैसे ही शतप्रतिशत झूठ का प्रसार कर रहा है। उस में श्री नम्बूदरीपाद के वक्तव्यों से अधिक वृद्धि क्या होगी ? जहां तक समय का सम्बन्ध है, हम इन पर निगरानी रखते हैं और जब भी समय आयेगा, हम निश्चय ही कार्यवाही करेंगे।

Shri Kishen Pattnayak : May I know whether the Government have received full information about the opinion of Shri Namboodripad in regard to Kashmir and if so, whether the opinion held by him is similar to that of other leaders in regard to Kashmir and other parts of India ?

Shri Nanda : If a person says something which has some effect on the public and the other person says something which has no effect, it is not necessary that we should take the same action against the first person which we have taken against the second person.

Shri Kishen Pattnayak : I have not asked about the action taken. I have asked whether the opinion of Shri Namboodiripad is similar to that of other leaders in regard to Kashmir or other parts of India.

Shri Nanda : His opinion might be identical to that of some persons and might not be identical to the opinion of others.

Dr. Ram Manohar Lohia : I want to rise on a point of order. It is often said "that Kashmir is an integral part of India". As far as I understand that is not the position. Kashmir is a part of India. The Hon. Minister is weakening our present stand by adding the word 'integral' therein. Some action should be taken against him also. (**अन्तर्बाधा**) I have taken up this question before you not for...

Mr. Speaker : Under what rule I can say that Government should not use the word integral ? I cannot give such a dicision. (**अन्तर्बाधा**)

Dr. Ram Manohar Lohia : I do not know English. But the Hon. Minister must be knowing a little bit of it. (**अन्तर्बाधा**)

श्री हेम बरुआ : इस में हानि क्या है ? 'अखण्ड' अर्थ है "पूर्णतः"। असम भारत का अभिन्न अंग है। हम अभिन्न शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। मैं अभिन्न शब्द का यह अर्थ जानते हुए भी प्रयोग करता हूं कि "भारत का अभिन्न अंग" के अर्थ हैं "भारत का पूर्णतः अंग"।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति, आप कृपा करके बैठ जाइये।

"जैट फ्यूएल" की सप्लाई

*121. **श्री अ० ना० विद्यालंकार** : क्या **पेट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी तेल समवाय, जिनका तेल की सप्लाई पर वस्तुतः एकाधिकार है, भारत-पाक संघर्ष के समय यह झूटी अफवाह उडाने के लिये जिम्मेदार है कि भारत में जेट फ्यूएल की कमी हो गयी है क्योंकि जिन पश्चिमी समवायों से सरकार ने तेल प्राप्त करने का प्रबन्ध किया था, उनसे भारत को तेल नहीं मिला;

(ख) क्या कलकत्ता की निम्नलिखित पत्रिकाओं (1) पेट्रोलियम इंटैलिजैंस वीकली, (2) प्लेटस आयलग्राम, और (3) कैपिटल में यह झूठी कहानी प्रकाशित हुई थी; और

(ग) क्या सरकार ने समवायों तथा पत्रिकाओं के विरुद्ध भारत प्रतिरक्षा नियमों के अधीन गंभीर संकटकाल के समय झूठी अफवाह फैलाने के लिए, कोई कार्यवाही करने की वांछनीयता पर विचार किया था ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायुन कबिर) : (क) और (ख) : जी नहीं। सरकार को जट फ्यूएल के कमी की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है किन्तु "कैपिटल" ने अपने 2 सितम्बर के अंक में और "पैट्रोलियम इंटेलिजैन्स वीकली" ने अपने 6 सितम्बर के अंक में पश्चिमी संसाधनों से सरकार द्वारा व्यवस्थित ए० टी० एफ० की सप्लाई की प्राप्ति में देरी की गलत रिपोर्ट छापी थी। प्लेट्स आयलग्राम में ऐसी कोई रिपोर्ट प्रकाशित नहीं की गई।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

श्री अ० ना० विद्यालंकार : इन दोनों उल्लिखित समाचार पत्रों के और एक दूसरे के विरुद्ध उनके परिचालन के बारे में क्या कार्यवाही की गई थी ? क्या इस समाचार का प्रतिवाद किया गया था या और क्या कार्यवाही की गई थी ?

श्री हुमायुन कबिर : प्रथम समाचार पत्र "पेट्रोलियम इंटैलिजैन्स वीकली" ने एक लम्बा लेख प्रकाशित किया था जिसमें उन्होंने विभिन्न दृष्टिकोण बताये थे, और प्रसंगवश इस समाचार का उल्लेख किया था कि पश्चिमी देशों से सप्लाई नहीं आई है। जैसे ही उन को यह बताया गया कि यह सूचना गलत है, उन्होंने इस का प्रतिवाद प्रकाशित कर दिया था। जहां तक 'कैपिटल' का सम्बन्ध है, उन्होंने भी कुछ मत व्यक्त किये थे और उनको यह बता दिया गया था कि चूंकि वह भारत का ही एक समाचार पत्र है, उसको ऐसे गलत समाचार प्रकाशित करने से पूर्व प्राधिकृत सूत्रों से समाचार की पुष्टि कर लेनी चाहिये।

श्री अ० ना० विद्यालंकार : मैं जानता चाहता हूं कि इन समाचार पत्रों के कारण जो गलत प्रभाव बन गया था उसको मिटाने और इन समाचार पत्रोंके विरुद्ध जिन्होंने इस संकटकालमें ऐसा गलत प्रभाव उत्पन्न किया था, सरकार ने क्या कार्यवाही की है क्योंकि मैं जानता हूं कि इन समाचार पत्रों में यह समाचार प्रकाशित होने के बाद काफी कुप्रभाव बन गया था ?

श्री हुमायुन कबिर : इस में कार्यवाही करने की कोई बात नहीं थी। उन्होंने अपनी राय व्यक्त की थी जिस का बाद में प्रतिवाद कर दिया गया था। यह बात बार बार बताई जा चुकी है कि सप्लाई की कोई कमी नहीं थी। मैं नहीं समझता कि किसी समाचार पत्र की इस लिये निन्दा की जाये या उस के विरुद्ध कार्यवाही की जाये कि उसने अपने राय व्यक्त की है।

Shri Sarjoo Pandey : May I know whether the Government are taking any action against those Western Oil Companies who created this crisis of oil in the country ?

श्री हुमायुन कबिर : यह धारणा गलत है। तेल का कोई संकट नहीं था।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या यह सच नहीं है कि आरम्भ में इन तीनों तेल समवायों को इस बात का पता नहीं था कि दूसरे पश्चिमी साधनों से भी तेल के आयात का मन्त्री महोदय ने प्रबन्ध किया है और क्या इन तेल समवायों ने इस संकटकाल के दौरान अधिक मूल्यों की मांग नहीं की थी ?

श्री हुमायुन कबिर : संकट के दौरान नहीं। जब पश्चिमी साधनों से तेल के दामों में कुछ रियायत मिली तो इन तेल समवायों में स्वभावत: कुछ तर्क किया था परन्तु जुलाई के अन्त में में तेलकी सप्लाई आ जाने पर इन्होंने तेल स्वीकार कर लिया था।

श्रीमती रेणुका राय : माननीय मन्त्री ने अपने उत्तर में बताया है कि सरकार इस बात से संतुष्ट है कि समाचार पत्रों ने अपने गलत समाचार का प्रतिवाद प्रकाशित कर दिया था। जब संकट के समय में इस प्रकार के समाचार पत्रों में भ्रामक प्रचार किया जाता है, तो क्या सरकार केवल उनको इसका प्रतिवाद प्रकाशित करने के लिए कहने के अतिरिक्त भी कोई कड़ी कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

श्री हुमायुन कबिर : जैसा कि मैं ने बताया है यह एक लम्बा सम्पादकीय टिप्पण था जिस में इस बात पर तर्क किया गया था कि सरकार के विचार के अनुसार ताल्लुकदार रिपोर्ट में कोई विशेष बात नहीं कहीं गई है, जब कि गैर-सरकारी समवाय ऐसा नही सोचते। इस सम्बन्ध में उन्होंने अपनी राय व्यक्त की थी। मैं नहीं समझता कि हमें केवल इस कारण से, कि विश्व के किसी कोने में किसी समाचार पत्र ने अपनी राय प्रकट की है, उस की निन्दा करनी चाहिये।

Arrest of Kanpur Trader

* 122. **Dr. Ram Manohar Lohia** :
Shri Madhu Limaye :
Shri Bagri :
Shri Ram Sewak Yadav :
Shri Bhanu Prakash Singh :
Shri S. M. Banerjee :
Shrimati Tarkeshwari Sinha :
Shri Yashpal Singh :
Shri Hari Vishnu Kamath :
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Vishwa Nath Pandey :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that an industrialist of Kanpur was recently arrested while sending iron sheets to Pakistan;

(b) whether the investigations into this case have been entrusted to the C.B.I.; and

(c) if so, the broad datails of the investigations made by the C.B.I. ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri L. N. Mishra) : (a) to (c). A Statement is laid on the table of the House.

STATEMENT

(a) On receipt of information that galvanised corrugated iron sheets were being booked from Kanpur to Naroda Railway Station (near Ahmedabad), allegedly for being taken to Pakistan, the Government Railway Police, Kanpur, on the 7th July, 1965 seized two bundles of 102 galvanised corrugated iron sheets which had been booked to Naroda by a Railway Forwarding and Clearing Agent of Kanpur. The investigations were taken up by the Uttar Pradesh C.I.D. A statement made on the 1st September, 1965 before a Judicial Magistrate by the Clearing Agent who had booked the consignment at Kanpur Railway Station indicated that the goods belonged to a trader of Kanpur. While further investigations were in progress, the said trader of Kanpur is alleged to have made an attempt to bribe the Magistrate who recorded the statement of the Clearing Agent. A trap was arranged and the trader was arrested u/s 165A I.P.C. on the night of the 1st September, 1965 at the residence of the Magistrate for attempting to offer a bribe. He was also arrested u/s 3 and 7 of the Essential Commodities Act and the provisions of the Defence of India Rules with regard to the despatch of iron sheets.

(b) The investigations relating to the main case under the Essential Commodities Act and Defence of India Rules have now been entrusted to the Central Bureau of Investigation. Since the case relating to the alleged attempt to bribe the Magistrate is an off shoot of the main case, the Government of Uttar Pradesh have been requested to entrust the investigation of this case also to the Central Bureau of Investigation.

(c) The records relating to the main case were taken over by the Central Bureau of Investigation from the Uttar Pradesh Police on 6-10-65. Further investigations are still in progress.

Dr. Ram Manohar Lohia : I want to know the place and name of the person in Pakistan to whom these iron sheets were sent and the categcry of ministers, officers and railway officers involved therein ?

Mr. Speaker : This has been given in the statement.

Dr. Ram Manohar Lohia : The difficulty is that I do not have the statement with me.

Shri L. N. Mishra : I can help the Hon. member a bit. So far as the question of sending of iron sheets to Pakistan is concerned, the allegation was that the person concerned intended to send them to Pakistan. The iron sheets were booked for Naroda Railway Station near Ahmedabad. Therefore, the allegation is that these were being sent to Pakistan. The Central Bureau of investigation is enquiring into the matter. Facts will be known after the investigation is completed. As far as one information is concerned, no minister or high ranking railway officer is involved in it.

Mr. Speaker : Whether the clearing agent belongs to railway ?

Shri L. N. Mishra : He is a private broker.

Dr. Ram Manohar Lohia : The hon. Minister has finished the entire foundation. The Government have now came to know during investigation of the matter that one reason for the shortage of foodgrains and iron sheets and their rising prices in India is the smuggling of these articles. May I know whether the Government propose to take appropriate measures or have taken steps to put an end to the smuggling.

Shri L. N. Mishra : Many commodities become scarce and many other became abundent due to smuggling but there is no doubt that it is nefarious and a very bad thing. So far as the question of vigilance with a view to check smuggling is concerned we have strengthened it and steps are being taken to eradicate it as far as possible.

Dr. Ram Manohar Lohia : I had asked about extensive investigation and intensive measures taken to check smuggling.

Shri L. N. Mishra : We are working in an intensive manner.

Shri Madhu Limaye : When this trader was arrested from Kanpur whether seven hundred transistor sets were found with him and whether the Government is aware that he used to distribute transistor sets to secretaries, ministers and other Government officers with a view to win their favour ?

Shri L. N. Mishra : His House was searched and the search continued fo quite a few days in the presence of the Assistant Commissioner, Collector, Central Excise and local Officers. Some articles were found but they were not in Commercial quantity. But I cannot give the exact figures at present. Transistor set were also found which were not more than 10 in number and it is not a fact tha these were meant for any Secretary or other Government officials. This allega tion is not correct.

Shri S. M. Banerjee : It has been stated in the statement :

"जबकि और जांच की जा रही है, कानपुर के कथित व्यापारी, श्री अग्रवाल के उपर आरोप यह है कि उस ने दण्डाधिकारी को घूस देने का प्रयास किया और उन्होंने क्लियरिंग एजेन्ट का वक्तव्य नोट किया"

It is quite clear from this statement that Shri Aggarwal, who had suddenly became millionaire in 10 years, attempted to bribe the magistrate. I want to know whether this thing will also be looked into that he tried to bribe the ministers, Secretaries and other Government officials as also the number of persons who accepted the bribe and the number of persons who rejected it on grounds of loyalty for the nation? Whether this will also be investigated by the Central Bureau of Investigation?

Shri L. N. Mishra : So far as the question of his becoming a millionaire is concerned, the Hon. Member knows much more because he is his neighbour.

Shri S. M. Banerjee : I am talking about the investigation.

Shri L. N. Mishra : Investigation will be conducted into all these matters and anybody found involved in it, howsoever big he may be, will be proceeded against.

श्री स० मो० बनर्जी : मैंने दो बार इस प्रश्न को दो बातों के लिये सभा में पूछा था। मेरा विचार था कि प्रश्नों के उत्तर दिये जाने से हमें इस मामले में अधिक जानकारी प्राप्त होगी। उत्तर प्रदेश विधान सभा को एक दिन पहले स्थगित कर दिया गया था क्योंकि उस व्यापारी के नाम की घोषणा की जानी थी.....

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य कुछ और तरीका अपना सकते हैं।

श्री स० मो० बनर्जी : ट्रांजिस्टर हो या ट्रांजिस्टर न हो, परन्तु हमें अपने प्रश्नों के उत्तर मिलने चाहिए।

Mr. Speaker : He has refused.

Dr. Ram Manohar Lohia : He must have tried to give something to Shri Banerjee as he is his neighbour.

Shri Yashpal Singh : May I know whether it is a fact that Shri Lakshmi Chand Aggarwal is connected with the firm of Bhola Aggarwal, which is a millionaire firm and that he was giving illegal gratification to Government employees ? I would also like to know the number of persons arrested and released on bail out of the arrested once afterwards and also the number of persons still in Jail ?

Shri L. N. Mishra : So far as the question of firm is concerned, the name of Shri Lakshmi Chand Aggarwal is there. The railway for warding agent also told his name and he was arrested. As Shri Banerjee has said he was trying to give six thousand of rupees as bribe. He was trapped and our police and magistrate arrested him cleverly. He is being tried in the court. He remained in prison for two months and consequently released on bail by the court.

श्री स० मो० बनर्जी : वह सदा जेल के अस्पताल में रहे थे।

Shri L. N. Mishra : Whatever it is, he was in jail for two months and was released on bail afterwards. As the Hon. member knows judiciary is independent.

So far as the question of his becoming a millionaire or his financial position is concerned, I do not know any thing about it. There is an allegation against him that he was offering bribe and that case is being looked into.

श्री हरि विष्णु कामत : क्या यह सच है कि इस धनी व्यक्ति ने 1962 के चुनाव के लिये कांग्रेस चुनाव निधि में एक लाख या दो लाख से भी अधिक रुपये का दान दिया था और यही कारण है कि सरकार पर सन्देह किया जाता है कि वह इस मामले में नर्म रवैया अपना रही है और इसी कारण उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री को उत्तर प्रदेश की विधान सभा में वक्तव्य न देने का परामर्श दिया गया था, जब कि यहां केन्द्र में इस मामले की जांच बड़े बड़े लोग कर रहे हैं ?

श्री ल० ना० मिश्र : मैं इतना कह सकता हूं कि हम इस मामले की जांच बड़ी शक्ति से कर रहे हैं। माननीय मित्र का इस प्रकार कहना बहुत ही गलत और अनुचित है। मुझे मालूम नहीं कि उन्होंने कुछ दान दिया था या नही। परन्तु जहां तक प्रश्न के प्रथम भाग का सम्बन्ध है, अर्थात उस फर्म या पक्ष के विरुद्ध कुछ कार्यवाही करने का प्रश्न है, इस बारे में हम बहुत गम्भीर हैं और यह कहना बहुत अनचित है कि हम इस मामले में नर्म रवैया अपना रहे हैं। जहां तक वक्तव्य का सम्बन्ध है, वक्तव्य उत्तर प्रदेश विधान सभा में दिया गया था।

श्री हरि विष्णु कामत : उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने दिया है ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है कि एक वक्तव्य उत्तर प्रदेश विधान सभा में दिया गया है।

Dr. Ram Manohar Lohia : It is wrong. U.P. Vidhan Sabha had adjourned one day earlier. This statement was made in Vidhan Parishad. He should apologise for this wrong statement.

Shri L. N. Mishra : Please have patience, I will tell just now. After all it was legislature.

श्री हरि विष्णु कामत : मैं ने उन्हें सुना नहीं। क्या उन्हें सरकार ने सलाह दी थी .....

अध्यक्ष महोदय : एक वक्तव्य विधान परिषद में दिया गया था।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या उस समय सितम्बर में उन्हें ऐसा वक्तव्य न देने को कहा गया था अर्थात जबतक इस विषय पर यहां विचार हो रहा था। और मामले को बन्द कराया जा रहा था।

श्री ल० ना० मिश्र : ऐसी बात नहीं थी। हमने कोई ऐसी सलाह नहीं दी। जांच हो रही थी।

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : मामला बन्द कराने का प्रश्न ही नहीं उठता। जैसे ही यह हमारी जानकारी मे लाया गया केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने जांच शुरू कर दी ताकि इसे कारगर ढंग से निपटा जा सके, ऐसा करने के बाद भी हमें यदि नर्म कहा जाये तो मैं इसका कारण समझ नहीं सकता।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या उन्हें वक्तव्य के बारे में सलाह दी गई थी ?

श्री नन्दा : जी नही।

श्री हेम बरुआ : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। यह बहुत गम्भीर मामला है। श्री कामत ने पूछा था कि क्या इस व्यक्ति ने कांग्रेस को 2 लाख रुपये चुनाव निधि के लिये दिये थे। उत्तर में उपमंत्री महोदय ने कहा कि यह कहना अनुचित, गलत तथा निराधार बात है। साथ में उन्हों ने कहा कि उन को धन दिये जाने के बारे मे मालूम नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या वह श्री कामत की बात को गलत तथा अनुचित कह सकते है ?

अध्यक्ष महोदय : श्री कामत ने बहुत सी बातें कहीं थीं। धन दिये जाने के बारे में उन्होंने कहा है कि उन्हें मालूम नहीं है और अन्य बातों के बारे में उन्होंने कहा है, अनुचित हैं।

श्री हरि विष्णु कामत : आप के विनिर्णय पर मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। 2 लाख रुपये के दिये जाने के बारे में उन्होंने कहा है कि यह निराधार, अनुचित है। मेरे विचार में उन्होने वक्तव्य के शेष भाग का उल्लेख नहीं किया। दूसरी बात जो मैंने पूछी थी वह यह थी कि क्या उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री को कोई सलाह दी गई थी कि वक्तव्य न दे जब तक इस विषय पर यहां विचार हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं।

श्री हरि विष्णु कामत : आप इस पर ठीक प्रकार से विचार नहीं कर रहे हैं। श्री हेम बरुआ ने भी व्यवस्था का प्रश्न उठाया है। माननीय उपमंत्री ने कहा है कि मेरी बात निराधार है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस रवैये पर हैरान हूँ। मैने उठाये गये व्यवस्था के प्रश्न का उत्तर दे दिया है। फिर उस पर चर्चा शुरू कर दी जाती है। श्री कामत ने दो तीन बातें कहीं थी। एक के बारे में उन्होंने कहा है कि निराधार है और दूसरी के बारे में उनको जानकारी नहीं है। इस में कोई गलती नहीं है।

Shri Vishva Nath Pandey : What was the number and cost of iron sheets ?

Shri L. N. Mishra : The number of seized sheets was about 130.

Mr. Speaker : It is given in the statement.

श्री राम सहाय पाण्डेय : कानपुर के व्यापारी के अतिरिक्त भारत-पाकिस्तान संघर्ष के दौरान पाकिस्तान को चोरी छिपे माल भेजने के आरोप में कितने व्यक्ति पकड़े गये है ?

अध्यक्ष महोदय : यह और प्रश्न है।

श्री उ० मू० त्रिवेदी : यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस काण्ड से कई सरकारी अधिकारियों का पता लग सकता है जो इस से सम्बद्ध हों। इस मामले को तुरन्त ही सरकार की जानकारी में क्यों नहीं लाया गया।

अध्यक्ष महोदय : इसका उत्तर दिया जा चुका है। यह साबित नहीं हुआ कि यह पाकिस्तान के लिये थीं। यह तो केवल आरोप है। इसकी जांच हो रही है। यह अहमदाबाद के लिये बुक करायी गयी थी, उनके वहां पर पहुंचने के बाद कुछ बातें हुई उनके बारे में जानकारी हो रही है। केन्द्रीय जाच ब्यूरो इसकी जांच कर रही है। जब तक यह पूरी नहीं होती हम नहीं कह सकते कि यह पाकिस्तान की थी या नहीं।

श्री उ० मू० त्रिवेदी : मेरा प्रश्न केवल यह है कि क्या भारत सरकार को इन चादरों के पाकिस्तान भेजे जाने के बारे में सूचना नहीं मिली।

श्री ल० ना० मिश्र : हमे मालूम था और हमने कार्यवाही की। जब यह बुक करायी गई तो हमने उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। केन्द्रीय जांच ब्यरो इसकी जांच कर रहा है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि जब इसे पाकिस्तान भिजवाया जा रहा था तो सरकार को इसका पता चलने में इतना समय क्यों लगा ? और सरकार को इसका पता क्यो नही चला ?

श्री ल० ना० मिश्र : जब इस बात का पता चला तो कुछ लोगों ने यह आरोप लगाया कि यह नरौदा भेजी जा रही हैं ताकि इन्हें पाकिस्तान भेजा जा सके। यह बात अभी सिद्ध की जानी है।

श्री शं० ना० चतुर्वेदी : जांच किस अपराधों के बारे में की जा रही है ? क्या यह रिश्वत देने या किसी और अपराध के बारे में है ?

श्री ल० ना० मिश्र : अत्यवश्यक सम्भरण अधिनियम के उल्लंघन तथा रिश्वत देने के बारे में।

Shri Sarjoo Pandey : I want to know whether high Government officers would also be contacted during inquiry by the C.B.I.

Mr. Speaker : The C.B.I. can do it.

Shri Hukum Chand Kachhavaiya : Has it come to the notice of Hon. Minister that Mr. Aggarwal, who arranged parties for Ministers and Government officers from time to time, was a senior member of working committee of Kanpur City Congress ?

Shri L. N. Mishra : It is said that Ministers and high officers take undue advantage. Our reports say that these allegations are baseless. Some playing cards, some cheap fountainpens and one transistor-set has been seized.

श्री शिवाजीराव शं० देशमुख : केन्द्रीय जांच ब्यूरों को सौंपे गये इस मामले की सीमा क्या है, यों इस प्रकार के कई मामले हो सकते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : यह वक्तव्य में दिया गया है।

Shri Kishen Pattnayak : Will the Statements recorded by the Police and the Magistrate be placed on the floor of the House ?

Mr. Speaker : That statement cannot be brought here.

भू-सीमा पर तार लगाना

+

*123. श्री गोकुलानन्द महन्ती :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री मुहम्मद कोया :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमावर्ती राज्यों ने कोई प्रस्ताव भेजा है कि मुख्यत: अवैध रूप से प्रवेश करने वालों को रोकने के लिये सम्पूर्ण भू-सीमा पर तार लगाये जाने चाहिए;

(ख) क्या सरकार ने योजना के सभी पहलुओं पर विचार कर लिया है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ग) : जी नहीं। किन्तु आसाम-पूर्वी पाकिस्तान सीमा के कुछ क्षेत्रों के साथ कांटेदार तार लगाने का केन्द्रीय सरकार का एक प्रस्ताव विचाराधीन है।

श्री गोकुलानन्द महन्ती : सरकार इस कार्य को कब आरंभ करेगी और पूरा करेगी ?

श्री हाथी : हमने सीमा सुरक्षा के महानिदेशक के उन क्षेत्रों की जांच करने जहां यह हो सकता है तथा इस पर होने वाले व्यय के लिये लिखा है। उसके पश्चात यह शुरू किया जायेगा। इस पर खर्च उस क्षेत्र की लम्बाई पर निर्भर करेगा परन्तु इस समय इस बारे में अनुमान है कि यह 35 लाख तथा 45 लाख रुपये के बीच होगा।

श्री गोकुलानन्द महन्ती : क्या वित्तीय पहलू का भी विचार किया गया है ?

अध्यक्ष महोदय : इसी का विचार किया जा रहा है।

श्री हाथी : यह तार की लम्बाई पर निर्भर है इस समय का अनुमान 35 और 45 लाख रुपये के बीच है।

श्री बसुमतारी : क्या आसाम से भेजे जाने वालों के फिर से आने के कारण और बड़ी संख्या में घुसपैठियों के आने के कारण आसाम सरकार ने आसाम-पूर्वी-पाकिस्तान सीमा पर तार लगाने का कोई सुझाव दिया है ?

श्री हाथी : जी नहीं।

श्री रा० बरुआ : क्या विश्व के किसी और भाग में अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर ऐसी व्यवस्था है ?

श्री हाथी : मुझे मालूम नहीं है।

श्री बूटा सिंह : क्या सरकार को सीमावर्ती राज्यों से वहां के लोगों को हथियार देने के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ताकि घसपैठियों को रोका जा सके ?

अध्यक्ष महोदय : वह भिन्न प्रश्न है।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या सरकार ने पश्चिमी सीमा पर ऐसी व्यवस्था करने पर विचार किया है ?

श्री हाथी : इस पर अभी विचार नहीं हुआ ।

श्री हेम बरुआ : क्या आसाम सरकार ने कांटेदार तार लगाने तथा घुसपैठ रोकने के लिये सीमा के साथ साथ दो मील के क्षेत्र को खाली कराने सम्बन्धी प्रस्तावों पर आपत्ति की है ? क्या केन्द्रीय सरकार ने इस आपत्ति पर विचार किया है और आसाम सरकार से जानने की कोशिश की है कि घुसपैठियों को कैसे रोका जा सकता है ?

श्री नन्दा : मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आसाम सरकार ने कांटेदार तार लगाने के बारे में कभी आपत्ति नहीं की ।

श्री प्र० के० देव : बलिन में न केवल कांटेदार तार बल्कि कन्क्रीट की दीवारें भी घुस-पैठियों को रोकने में कारगर सिद्ध नहीं हुई । क्या सरकार यह आवश्यक नहीं समझती कि सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों को हाथियार दिये जायें ?

अध्यक्ष महोदय : यह तो एक सुझाव है । अगला प्रश्न ।

प्रशासनिक समस्याओं का अध्ययन करने के लिए आयोग

\+

*124. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** :
श्री जं० ब० सि० विष्ट :
श्रीमती विमला देवी :
श्री हरिचन्द्र माथुर :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री जसवन्त मेहता :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की प्रशासनिक समस्यायों को सुलझाने के लिये जांच आयोग बनाने की प्रधान मंत्री की घोषणा को क्रियान्वित कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके सदस्य कौन हैं तथा इसके निर्देश-पद क्या हैं; और आयोग अपना काम कब तक पूरा कर लेगा ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख) : एक प्रशासनिक सुधार आयोग की स्थापना का निश्चय किया गया है । इसके ब्यौरे पर विचार किया जा रहा है और आयोग की स्थापना करने के लिये एक संकल्प शीघ्र ही जारी किये जाने की सम्भावना है ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : यह मामला बहुत समय से विचाराधीन है और इस में विलम्ब भी हुआ है । इस बीच में गृह-कार्य मंत्री ने एक विशेष सलाहकार दल भी नियुक्त किया है । क्या इस आयोग के नियुक्त होने पर उस दल के कार्य को समाप्त कर दिया जायेगा और क्या वर्तमान प्रशासनिक प्रणाली के बारे में एक व्यापक जांच करायी जायेगी ताकि लोगों की शिकायतों के सुनने के लिये ओम्बुडसमन की नियुक्ति की जाये ?

श्री नन्दा : उस दल के कार्य को समाप्त करने का प्रस्ताव नही है । सरकार तो वर्तमान प्रशासनिक कार्य में सुधार चाहती है । उसके लिये ही समिति नियुक्त की गई है ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया । मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार वर्तमान प्रशासनिक प्रणाली में एक व्यापक जांच कराना चाहती है और लोगों की शिकायतों को सुनने के बारे में कोई व्यवस्था करना चाहती है ?

श्री नन्दा : आयोग द्वारा कितना कार्य होगा, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या यह सच है कि श्री मुरारजी देसाई ने प्रस्तावित आयोग का अध्यक्ष होना स्वीकार कर लिया है और क्या आयोग के अन्य सदस्यों के बारे में भी निर्णय कर लिया गया है? तो उसके बारे में ब्यौरा क्या है?

श्री नन्दा : आयोग के सदस्यों के बारे में निर्णय अभी नहीं किया गया है। अभी मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : समाचार पत्रों ने इसे अधिकृत स्रोतों के हवाले से कहा है। इसका अर्थ यह हुआ कि समाचार पत्र सभा से ऊंचे है। वह बता सकते है कि क्या उन्होंने माना है या नहीं? यह तो एक तथ्य की बात है। क्या उन्हें कहा गया है या नहीं? इसका उत्तर मिलना चाहिये।

श्री नन्दा : सदस्यों के बारे में निर्णय करने से पहले बहुत सी बातों के बारे में निर्णय करना होगा। (**अन्तर्बाधा**) कोई निश्चित या अन्तिम निर्णय नहीं हुआ है।

श्री जं० ब० सिं० विष्ट : क्या कुछ समय निर्धारित किया गया है?

श्री नन्दा : मैं निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकता। ऐसा कोई इरादा नहीं है।

Shri Yashpal Singh : So far as the posts of Collector and Deputy Commissioner which are symbol of bureaucracy no contact can be established with the masses. I want to know whether Government would abolish the post of Deputy Commissioner and create some post of real service?

Mr. Speaker : It can not be done at this moment.

श्री कपूर सिंह : उन्हें दो प्रकार के कार्य करने होते है। दोनों कार्य भिन्न भिन्न होते हैं।

श्री नाथ पाई : क्या वह आयोग के सदस्यों के बारे में बतायेंगे? हमने समाचारपत्रों में देखा है कि कुछ व्यक्तियों को कहा गया है और उन्होंने कुछ शर्तें रखी हैं। इस आयोग को क्या काम सौंपा जायेगा? क्या वर्तमान दोषपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार किया जायेगा या यह आयोग इस में कोई आमूल परिवर्तन सुझायेगा? सरकार का इरादा क्या है?

श्री नन्दा : यह कहना ठीक नहीं कि वर्तमान व्यवस्था दोषपूर्ण है। इसमें कुछ दोष है परन्तु यह आवश्यक है कि एक व्यापक जांच करायी जाये और देश के प्रशासन के बारे में सभी पहलुओं पर विचार होगा।

श्री नाथ पाई : मैंने पूछा था कि क्या कि इस जांच का स्वरूप क्या होगा और उन्होंने कहा है कि सभी पहलुओं को लिया जायेगा? यह तो पिछले कई वर्षों से किया जा रहा है। प्रश्न यह है कि क्या इस में आमूल परिवर्तन किये जायेंगे?

श्री नन्दा : मैंने कहा है कि इस पर पूर्ण रूप से विचार होगा।

श्री नि० चं० चटर्जी : हमें भिन्न प्रकार की बातें सुनने को मिलती है। कभी तो ओम्बुडसमेन की बात मान ली जाती है और कभी अस्वीकार कर दी जाती है। क्या इस बारे में कोई निर्णय किया गया है या इसको भी कमीशन पर जांच के लिये छोड़ दिया जायेगा?

श्री नन्दा : आयोग अवश्य ही इन पहलुओं पर विचार करेगा।

विद्रोही नागाओं के साथ मुठभेड़

*125. श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री हिंमतसिंहका :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री बसुमतारी :

क्या गृह-कार्य मंत्रीने यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विद्रोही नागाओं ने 27 सितम्बर, 1965 की रात को जोरहाट नागलैंड सीमा पर हमारी सीमा सुरक्षा सेना पर गोली चलाई;

(ख) यदि हां, तो हमारी सुरक्षा सेना द्वारा क्या कार्यवाही की गई;

(ग) हमारी सुरक्षा सेना के कितने व्यक्ति हताहत हुए और कितने नागा विद्रोही हताहत हुए;

(घ) क्या यह भी सच है कि विद्रोही नागाओं के पास पाकिस्तान से प्राप्त की गई हल्की मशीनगनें तथा स्वचालित हथियार थे; और

(ङ) यदि हां, तो भारत-पाकिस्तान संघर्ष के दौरान विद्रोही नागाओं से निपटने के लिए सुरक्षा सेना ने क्या उपाय किये ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) सुरक्षा सेनाओं ने फौरन जबाब में गोलियां चलाई और विद्रोही अंधेरे में भाग खडे हुए।

(ग) सुरक्षा सेनाओं का कोई व्यक्ति हताहत नहीं हुआ। नागा विद्रोहियों के हताहत होने के बारे में सरकार को कोई निश्चित जानकारी नहीं है।

(घ) बताया गया है कि नागा विद्रोहियों के पास हल्की मशीनगनें थीं। जैसा सभा को ज्ञात है अनेक नागाओं को पाकिस्तान में प्रशिक्षण मिला है। तथापि, जहां तक इस घटना का सम्बन्ध है, ऐसी कोई जानकारी नहीं है जिससे यह पता चल सके कि नागा विद्रोहियों ने जिन हथियारों का इस्तेमाल किया वे पाकिस्तान से लिये थे।

(ङ) पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध में आसाम-नागालैंड सीमा पर सुरक्षा सेनाओं द्वारा गश्त बढाकर सुरक्षा उपायों को सुदृढ किया गया। सुरक्षा सेनाओं को सक्रिय सहायता देने के लिये ग्राम प्रतिरक्षा दल भी बनाए गए हैं।

Shri Rameshwar Tantia : I want to know whether they left some arms and in which country those arms were manufactured ?

Shri L. N. Mishra : In this incident they did not leave any arm.

Shri Rameshwar Tantia : The peace mission is making their efforts for the last 12 months and in spite of that Nagas are attacking. In view of this whether Government would continue the efforts of peace mission or some stern action is being proposed to be taken against Nagas?

Shri L. N. Mishra : This matter relates to the Ministry of External Affairs but it is true that some incidents were happening.

श्री हिंमतसिंहका : क्या सरकार को पता है कि मिशनरीयों ने विद्रोही नागाओं पर बडा बुरा प्रभाव डाला है और यदि हां, तो सरकार इस प्रभाव को रोकने और दूर करने के लिये क्या कार्यवाही करेगी ?

श्री ल० ना० मिश्र : ये सभी प्रश्न की गयी शांति वार्ता के बारे में हैं और अच्छा हो यदि ये प्रश्न वैदेशिक-कार्य मंत्रालय से पूछे जायें।

श्री दी० चं० शर्मा : नागा समस्या बहुत समय से बनी हुई है और दिन-ब-दिन नागा विद्रोही भारत-विरोधी और विद्रोही बनते जा रहे हैं। जब सुरक्षा सेना समस्या को सुलझा नहीं सकी और ग्राम प्रतिरक्षा सेना केवल कागज पर ही है तो क्या सरकार यह सुनिश्चित करने के लिये कोई अधिक सावधानी बरत रही है कि नागा विद्रोहीयों को दबाया जाये और उन्हें इस प्रकार आक्रमण न करने दिये जाये ?

श्री ल० ना० मिश्र : जहां तक सुरक्षा उपायों और विधि तथा व्यवस्था की स्थिति का सम्बन्ध है, स्थिति में काफी सुधार हुआ है। यह घटना युद्ध विराम क्षेत्र में नहीं हुई है। यह प्रश्न आसाम और नागालैण्ड सीमा के बार में है जहां यह घटना हुई। मनीपुर में विधि तथा व्यवस्था स्थिति में सुधार हुआ है और ग्राम सुरक्षा दलों ने अच्छा काम किया है।

श्री बसुमतारी : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि बाज दफा अनेक ढोर भगा लिये गये हैं और मार दिये गये हैं, क्या मैं जान सकता हूं कि इसको रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं और क्या इस क्षति के लिये उनको क्षतिपूर्ति देने की कोई व्यवस्था है ?

श्री ल० ना० मिश्र : मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है।

श्रीमती ज्योत्सना चन्दा : मंत्री महोदय ने बतलाया कि सुरक्षा उपायों को सुदृढ किया जा रहा है। क्या मैं जान सकती हूं कि मिशनरीयों के काम के बारे में क्या कदम उठाये गये हैं और नागालैण्ड में अब भी कितनी मिशनरियां हैं ?

श्री ल० ना० मिश्र : वहां पर मिशनरियां है चल रही हैं। हमने अभी तक इनमें से किसी को भी बन्द नहीं किया है। इन सब बातों पर शांति मिशन, जो मुख्य समस्या पर गौर कर रहा है, विचार कर रहा है।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह सच ही कि शांति मिशन द्वारा नागा विद्रोही नेता श्री फिजो को निमंत्रण भेजे जाने के बाद नागा विद्रोहीयों की विद्रोही गतिविधियां बढ़ी है ? यदि हां, तो क्या यह सच है कि 1000 नागा विद्रोही सैनिक प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए पाकिस्तान जा रहे हैं ?

श्री हेम बरुआ : 1500।

श्री स० मो० बनर्जी : उनकी संख्या 1000 है या 1,500 है और क्या वे वास्तव में पाकिस्तानियों और चीनियों से प्रशिक्षण प्राप्त कर वापस आने के लिये पाकिस्तान जा रहे हैं ? यदि हां, तो सरकार ने उन लोगों को वापस न आने देने के लिये क्या कदम उठाये हैं ?

श्री ल० ना० मिश्र : मैं केवल दूसरे भाग का उत्तर दूंगा क्यों कि पहले भाग का सम्बन्ध वैदेशिक-कार्य मंत्रालय से है। जहां तक पाकिस्तान में प्रशिक्षण का सम्बन्ध है, यह सच है कि उनको पाकिस्तान में नियमित प्रशिक्षण मिल रहा है। हम नागालैण्ड में उनके प्रवेश को रोकने का प्रयत्न कर रहे हैं। जैसा माननीय सदस्य को ज्ञात है, जनवरी, 1965 में अनेक नागा लोग प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद नागालैण्ड में प्रवेश करना चाहते थे। हमने उनकी बड़ी संख्या को नागालैण्ड में प्रवेश करने से रोका।

श्री स० मो० बनर्जी : उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में वे जाना चाहते थे और उनको नहीं जाने दिया गया। क्या इसका यह मतलब है कि सरकार ने कुछ नागाओं को जाने दिया ?

श्री ल० ना० मिश्र : शायद कुछ लुक-छिप कर चले गये हों।

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या कच्छ सीमा पर पाकिस्तान के आक्रमण के बाद से नागा विद्रोहियों की गतिविधियां बढी हैं और क्या वे अब मनीपुर के भीतर तीनों सबडिवीजनों में एक सम-सरकार स्थापित करने के लिये प्रयत्न कर रहे है और उस क्षेत्र का एक भूतपूर्व संसद मदस्य छुपा हुआ है और यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री ल० ना० मिश्र : जहां तक विधि तथा व्यवस्था का सम्बन्ध है, मनीपुर के तीनों सब-डिवीजनों में पिछले कुछ महीनों में स्थिति में काफी सुधार हुआ है। इन सब-डिवीजनों इनकी गतिविधियों में अधिक वृद्धि नहीं हुई है।

Shri Madhu Limaye : I rise on a point of order. Sir, the other day I raised this matter in the House and asked the Prime Minister whether Naga hostiles are getting military training in Pakistan and they are entering Nagaland. He said that he had no definite information. But to-day the Hon. Minister has accepted that it is so. Would this information be given to the House as to from where they got those light machine-guns and whether they are getting military training in Pakistan?

Mr. Speaker : There is no point of order in it. There is only one hour allotted for questions which is very important and useful and if such points of order are not raised, more questions can be disposed of.

Shri Madhu Limaye : If wrong things are said, does the question of point of order not arise ?

Mr. Speaker : If points of order are not raised in the question hour, more questions can be taken. Members should realise it.

अल्प सूचना प्रश्न
SHORT NOTICE QUESTION
गुजरात में किसानों को कच्चे तेल का सम्भरण

अ० सू० प्र० सं० 1. श्री जसवन्त मेहता : क्या **पेट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यह सच है कि गुजरात सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अभ्यावेदन किया है कि गेहूं की फसल के लिए किसानों को तुरन्त कच्चा तेल दिया जाये;

(ख) यदि हां, तो गुजरात राज्य में किसानों को कच्चे तेल के सम्भरण की बिकट स्थिति पर काबू पाने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ग) कच्चे तेल की अत्याधिक कमी के क्या कारण है जिसके परिणामस्वरुप कमी वाले राज्यों में अनाज की दुर्लभता की स्थिति और अधिक भीषण रूप धारण कर गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायुन कबिर) : (क) से (ग) : 1964 में गुजरात में हल्के डीजल तेल की औसत मासिक खपत 13,000 टन प्रति मास थी लेकिन इस वर्षा वर्ष न होने के कारण और अधिक कृषि उत्पादन के कार्यक्रम के कारण राज्य सरकार ने चालू महीने में 40,000 टन के लिये प्रार्थना की। क्यों कि हल्के डीजल तेल का उत्पादन फौरन ही नहीं बढाया जा सका, गुजरात सरकार के परामर्श से यह निर्णय किया गया

कि नवम्बर, 1965 में 25,000 टन का सम्भरण किया जायेगा और अतिरिक्त सम्भरण करने के लिये प्रयत्न किये जायेंगे । तदनुसार 10 नवम्बर तक रेल मार्ग से 4,000 और समुद्री मार्ग से 11,500 टन भेजने की व्यवस्था की गयी। सहमत मात्रा का वास्तव मे संभरण करने को सुनिश्चित करने के लिये बराबर निगरानी रखी जा रही है।

श्री जसवन्त मेहता : प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर में मंत्री महोदय ने अत्यधिक कमी के, जिससे खाद्यान्न की कमी वाले राज्यों में अकाल की सी स्थिति उत्पन्न हो गयी है कारण नहीं बताये हैं ।

श्री हुमायुन कबिर : माननीय सदस्य ने मेरे उत्तर को ठीक से नहीं समझा है। कारण बताये गये हैं। मैंने कहा है कि वर्षा न होने और अधिक कृषि उत्पादन का कार्यक्रम होने से मांग बढ़ गयी है।

श्री जसवन्त मेहता : क्या सरकार ो पता चला है कि प्रमुख वितरण कम्पनी ने नकली कमी पैदा कर रखी है ताकि यह मूल्य अधिक रख सके, यदि हां, तो क्या सरकार सभी तीनों कम्पनियों से वितरण का सारा काम अपने हाथ में लेने की योजना बना रही है ?

श्री हुमायुन कबिर : यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता क्योंकि मूल्य नियंत्रित हैं और जहां तक संभरण कर्ताओं का सम्बन्ध है, यह निर्धारित मूल्यों पर बेचा जाता है। खुदरा व्यापार में यह देखना राज्य सरकार का काम है कि मूल्य न बढने पायें।

Dr. Ram Manohar Lohia : Who will decide whether this question arise or not ?

Mr. Speaker : He has already replied that.

श्री इकबाल सिंह : क्या यह सच है कि पंजाब राज्य में हल्की गति वाढ़ डीजल तेल और बिजली नहीं मिलती बल्कि पर्मिट दिये जाते हैं जिसका राज्य में कृषि उत्पादन पर बडा बुरा प्रभाव पडता है; यदि हां, तो इस मामले में सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

श्री हुमायुन कबिर : जहां तक पंजाब का सम्बन्ध है, वहां हमने हाई स्पीड डीजल (एच० एस० डी०) का, जिसकी वहां मांग है, संभरण किया है।

श्री दे० जी० नायक : क्या रबी की फसल के दिसम्बर, जनवरी और फरवरी के महीनों में कच्चे तेल का संभरण नियमित रूप से और समय पर होता रहगा ?

श्री हुमायुन कबिर : यह कच्चा तेल नहीं है। यदी यह कच्चा तेल होता तो हम जितना वे मांगते, दे देते क्यों कि कच्चे तेल का उत्पादन तो गुजरात में ही होता है। यह हल्का डीजल तेल है जो वह चाहते हैं और उसके लिये हमने इस महीने 25,000 टन देने का आश्वासन दिया है और हम और अधिक देने का प्रयत्न करेंगे। हमने राज्य सरकार के परामर्श से फरवरी, 1966 तक संभरण करते रहने के लिये भी कार्यक्रम बनाए हैं।

श्री शिवाजीराव शं० देशमुख : इस बात पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है कि हल्के डीजल तेल की अत्यधिक कमी का वर्षा न होने अथवा किसानों की सिंचाई के लिए मांग से कोई सम्बन्ध नहीं है बल्कि यह हल्के डीजल तेल को हाई-स्पीड डीजल में मिला कर उसे हाई-स्पीड डीजल के रूप में बेचने के कारण है ?

श्री हुमायुन कबिर : जी, नहीं। इसका सम्बन्ध है। वर्षा न होने के कारण गुजरात सरकार ने किसानों को स्थायी पम्प लगाने के बारे में, जो हल्के डीजल से चलते हैं, प्रोत्साहन दिया है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

पाकिस्तान से निष्क्रमण

*126. **श्री बागड़ी :**
श्री मधु लिमये :
श्री भानु प्रकाश सिंह :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री यशपाल सिंह :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्रीमती रेणुका बड़कट ो :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री वीरप्पा :
श्री राम हरख यादव :

क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत-पाकिस्तान संघर्ष के फलस्वरुप सैंकड़ों हिन्दू परिवार भारत में शरण लेने के लिये पाकिस्तान से भाग रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उनकी (राज्य-वार) संख्या क्या है और उन्हें बसाने के लिये क्या कार्यवाही की गई ; और

(ग) पाकिस्तान में उनकी छूटी हुई सम्पत्ति उन्हें दिलाने के लिये क्या उपाय किये गये है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री त्यागी) : (क) और (ख) : जी, हां । लगभग 638 हिन्दू परिवार पश्चिमी पाकिस्तान से तथा 147 पूर्वी पाकिस्तान से क्रमशः राजस्थान तथा त्रिपुरा में आये हैं । जो परिवार पश्चिमी पाकिस्तान से आये हैं उनको जिला बारमर तथा राजस्थान में अन्य उपयुक्त स्थानों में बसाने की प्रस्तावना है । पुनर्वास तथा पुनः स्थापन की विशिष्ट योजनायें तैयार की जा रही हैं । पूर्वी पाकिस्तान से जो विस्थापित त्रिपुरा में आये हैं, जहां तक सम्भव होगा उन्हें दूसरे राज्यों में पुनर्वास के लिये भेजा जायेगा क्योंकि वहां और विस्थापितों को बसाने की कम गुंजाईश है ।

(ग) इस प्रश्न पर विचार किया जायेगा ।

फालतू सरकारी कर्मचारी

*127. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सचिवालय तथा केन्द्रीय सरकार के अन्य विभागों में कितने फालतू कर्मचारी हैं;

(ख) राज्य सरकारों में ऐसे कितने कर्मचारी है; और

(ग) क्या सरकार ने राज्य सरकारों को इस संबंध में मितव्ययता करने का कोई परामर्श दिया हैं ?

गृह-कार्य मत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) केन्द्रीय सचिवालय के विभागों के लिये अपेक्षित कर्मचारी आवश्यकता के आधार पर मंजूर किये जाते हैं । फालतू कर्मचारियों का पता, कभी कभी कर्मचारी निरीक्षण एकक द्वारा किये गये अध्ययनों अथवा प्रशासनिक सुधारों के लागू किये जाने के परिणाम स्वरुप लगता है । कर्मचारी निरिक्षण एकक ारा एक अप्रैल, 1964 से 30 सितम्बर, 1965 तक

17 मंत्रालयों और 22 अन्य कार्यालयों में किये गये अध्ययनों से पता चलता है कि विभिन्न श्रेणियों में 1,527 स्थान आवश्यकता से अधिक थे। अन्य स्थानों पर वर्तमान कमी अथवा अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये इनका समायोजन किया गया है अथवा किया जा रहा है।

(ख) और (ग) : राज्य सरकारों के कर्मचारियों के संबंध में बचत की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है और उनके द्वारा फालतू कर्मचारी रखे जाने के संबंध में जानकारी उपलब्ध नहीं है। इस विषय पर राज्य सरकारों को कोई विशिष्ट हिदायतें नहीं दी गई हैं; परन्तु चतुर्थ योजना के संबंध में चर्चाओं तथा उसके लिये संसाधनों के संग्रहण के द्वारा वे इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि योजना की क्रियान्विति और प्रशासन और कर्मचारियों के संबंध में खर्च में बहुत बचत करने की आवश्यकता है।

Arrests for Food Agitation

***128. Shri Madhu Limaye :**
Shri Bagri :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether in view of the emergency which has arisen as a result of the present Indo-Pakistan conflict, the withdrawal of food agitation by the Opposition parties and the decision to strengthen war efforts, Government have instructed the State Governments to release the persons arrested in connection with food agitation;

(b) whether the State Governments have also been advised to withdraw the cases instituted in this connection; and

(c) if so, the reaction of State Governments thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri L. N. Mishra): (a) to (c). A suggestion was made to State Governments and Union Territory Administrations to consider the desirability of releasing persons placed under preventive detention in connection with food agitations and also those against whom criminal cases had been instituted, except those charged with offences involving violence. The reaction of the State Governments has been towards implementing the suggestion to the extent feasible.

सेवानिवृत्त असैनिक कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति

***129 श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री प० ला० बारूपाल :
श्री श० ना० चतुर्वेदी :
श्री भानु प्रकाश सिंह :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री रानेन सेन :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री 25 अगस्त, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 189 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सेवानिवृत्त असैनिक कर्मचारियों द्वारा गैर-सरकारी क्षेत्र में पुनः नौकरी प्राप्त करने के विषय पर सन्थानम समिति की सिफारिशों को इस बीच क्रियान्वित कर दिया है; और

(ख) यदि नहीं तो इसके क्या कारण है तथा इन सिफारिशों के कब तक क्रियान्वित कर दिये जाने की संभावना है ?

गृह-का मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मं ी (श्री हाथी) : (क) और (ख) : इस प्रश्न पर कि संथानम समिति की सिफ़ारिशें लागू की जा सकती हैं; या नहीं विचार किया जा रहा है और आशा है कि शीघ्र ही फ़ैसला कर लिया जायेगा ।

कलकत्ता के निकट तेल

*130. **श्री पाराशर :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री किशन पटनायक :
श्री मधु लिमये :
श्री बागड़ी :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री श० ना० चतुर्वेदी :
श्री बृजराज सिंह :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री गोकरन प्रसाद :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री कलकत्ता के निकट तेल वाले क्षेत्रों से संबंधित 22 सितम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2602 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि तेल की खोज के कार्य में और कितनी प्रगति हुई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायुन कबिर) : तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के क्षेत्रीय पार्टियों द्वारा किये गये अत्याधिक भूकम्पीय सर्वेक्षणों के परिणाम स्वरूप; उक्त क्षेत्र में एक दिलचस्प रचनात्मक आकृति चित्रित की गई है। अक्तूबर में व्यधन कार्यों को शुरू करने के लिये प्रारम्भिक कार्यवाही को हाथ में लिया गया था किन्तु पाकिस्तान के साथ लड़ाई के कारण इस में देरी हो गई है। अब फरवरी 1966 में व्यधन कार्यों के शुरू होने की सम्भावना है।

मंत्रालय में हिन्दी का प्रयोग

*131. **श्री भानु प्रकाश सिंह :**
श्री किशन पटनायक :
श्री बागडी :
श्री मधु लिमये :
श्री द्वा० ना० तिवारी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार के सभी मंत्रालयों ने हिन्दी के प्रयोग में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) पूरी तरह से हिंदी में कार्य कब तक होने लगेगा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) संघराज्य के विभिन्न राजकीय प्रयोजनों के लिए हिन्दी के वास्तविक प्रयोग के संबंध में प्रगति इस प्रकार है :—

विवरण

1. जन साधारण से हिंदी में आनेवाले पत्रों का उत्तर हिंदी में दिया जाता है।
2. सरकारी संकल्प हिंदी और अंग्रेजी में साथ साथ जारी किये जाते हैं।

3. प्रशासकीय रिपोर्टें, संसद में पेश की जाने वाली रिपोर्टें और पत्रिकायें हिन्दी में भी प्रकाशित होती है ।

4. केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय (शिक्षा मंत्रालय) 10,000 विभागीय फार्म और 35 नियम पुस्तकों का अनुवाद कर चुका है। इन फार्मों और नियम-पुस्तकों को हिन्दी में भी प्रकाशित करने के लिए संबंधित मंत्रालय कार्यवाही कर रहे हैं।

5. नियम पुस्तकों में सम्मिलित नियमों सहित संविहित और गैर-संविहित नियमों के अनुवाद और छपाई के लिए कार्यवाही की गई है।

6. भारत के गजट के संविहित मामलों संबंधी भाग 2 को छोड़कर सभी भागों को हिन्दी में भी प्रकाशित करने का प्रबन्ध हो चुका है।

7. अब तक विभिन्न मंत्रालययों के 276 अनुभागों में हिंदी में टिप्पनलेखन आरम्भ कर दिया गया है ।

(ख) राजभाषा अधिनियम, 1963 में बिना किसी शर्त के हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं के केन्द्र के विभिन्न सरकारी कार्यों के लिये उपयोग की व्यवस्था की गई है। इस लिये फ़िलहाल पूरी तरह हिन्दी में कामकाज शुरू कर देने का प्रश्न ही नही उठता।

पश्चिम बंगाल को वित्तीय सहायता

*132. **श्री ब० कु० दास :** क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964 के आरंभ से पूर्व-पाकिस्तान से बड़ी संख्या में आने वाले नये व्यक्तियों के कारण जो सरकार से पुनर्वास सहायता मांगे बिना पश्चिम बंगाल में रहना चाहते हैं, राज्य की अर्थ व्यवस्था पर पड़े भार को कम करने के लिए उसको आर्थिक सहायता देने ी सरकार की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

पुनर्वास मंत्री (श्री त्यागी) : (क) और (ख) : मामले पर पश्चिम बंगाल सरकार से बात-चीत चल रही है। उन्हें सूचित किया गया है कि क्षेत्रों की वर्तमान विकास योजनाओं के बारे में और वृद्धि की जाये ताकि पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले विस्थापितों के नये प्रवाह के फलस्वरूप ऐसे क्षेत्रों पर जो भार पड़ा है उसे कम किया जाये। संभव है इन क्षेत्रों के बारे में वे ब्योरेवार प्रस्ताव, पुनर्वास मंत्रालय से परामर्श करके उन क्षेत्रों से सम्बन्धित मंत्रालयों के विचार के लिये बनाये। यह समझा जाता है कि मुख्य रूप से शिक्षा तथा चिकित्सा सुविधाओं के लिये ही उन्हें अधिक सहायता की आवश्यकता होगी। पश्चिम बंगाल सरकार से ब्यौरेवार प्रस्तावों की प्रतीक्षा है।

पूर्वी सीमा पर पाकिस्तानी घुसपैठ

*133. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री कर्णी सिंहजी :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्री श० ना० चतुर्वेदी :
श्री रा० बरुआ :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री जगदेव सिंह सिध्दान्ति :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार को यह हिदायत दी गई है कि वह दाहाग्राम तथा उस राज्य में स्थित अन्य पाकिस्तानी बस्तियों से भारतीय राज्यक्षेत्र में पाकिस्तानी नागरिकों की अवैध तथा संभावित घुसपैठ पर कड़ी निगरानी रखे ;

(ख) क्या यह सच है कि दाहाग्राम से लगभग 300 पाकिस्तानी नागरिकों ने पाकिस्तानी पुलिस की सहायता से तीन बीघा नामक भारतीय राज्यक्षत्र मे से होकर पूर्वी पाकिस्तान में जाने की कोशिश की ; और

(ग) क्या राज्य सरकार ने भारतीय राज्यक्षेत्र में बड़ी संख्या में पाकिस्तानियों की घुसपैठ की संभावना को रोकने के लिये कूच-बिहार में अपनी सीमा सुरक्षा सेनाओं को सचेत कर दिया है?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) पाकिस्तानी राष्ट्रिकों की भारतीय क्षेत्र में सम्भावित घुसपैठ पर निगरानी रखने के बारे में सामान्य हिदायतें मौजूद हैं।

(ख) हां, किन्तु उन्हें ऐसा नहीं करने दिया गया।

(ग) जी हां।

नागा भूतपूर्व मंत्री का अपहरण

134. **श्री रेणूका बड़कटकी :**

श्री रवीन्द्र वर्मा :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विद्रोही नागाओं द्वारा मनीपुर के भुतपूव वित्त मंत्री, श्री ओथिको देहो का 6 सितम्बर, 1965 को अपहरण किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो क्या अब उसे छोड़ दिया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) : कहा जाता है कि मनीपुर के एक भतपूर्व वित्त मंत्री श्री ओथिको देहो 3-9-1965 को सजोनबा ग्राम गए थें। वे 21-10-1965 को इम्फाल लौटे। क्योंकि उन्होंने, उनके परिवार के सदस्यों ने या किसी भी अन्य व्यक्ति ने अपहरण की कोई शिकायत नहीं की थी इसलिये माना जा सकता है कि उनका अपहरण नहीं हुआ था।

सरकारी क्षेत्र में पेट्रो-केमिकल कारपोरेशन

*135. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री बृजराज सिंह :
श्री गोकरन प्रसाद :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री 22 सितबर 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 770 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र में एक पेट्रो-केमिकल कारपोरेशन स्थापित करने के प्रस्ताव पर अब निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन): (क) और (ख) : मामला अभी सरकार के विचाराधीन है।

Activities of Spies

*136. **Shri M. L. Dwivedi :**
Shri S. C. Samanta :
Shri Parashar :
Shri S. N. Chaturvedi :
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Mohsin :
Shri P. C. Borooah :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have made adequate arrangements to check the subversive activities of the fifth columnists and the spies and intruders of the hostile countries;

(b) if so, the decisions taken to enable this machinery to deal effectively and extensively with the situation;

(c) whether Government have issued any orders to the effect that no loyal citizen should be manhandled or intimidated merely on suspicion without ascertaining the relevant facts and if so, the nature thereof; and

(d) the steps being taken for internal security and civil defence ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri L. N. Mishra) : (a) Yes; Sir.

(b) It is not in the public interest to disclose the details.

(c) No special orders are necessary. The need to exercise greatest care in dealing with members of the public and to avoid harassment of individuals on suspicion has been repeatedly stressed and this has had the intended effect.

(d) The measures for internal security include watchfulness against activities of spies, saboteurs and enemy agents, protection to important installations, curbing of infiltration and generally strengthening of the security and police forces to meet possible threats. In regard to civil defence, steps have been taken to increase the numbers of Home Guards, devise measures of protection of vital installations and civilian areas from air attack, improve the system of wardens and broadly to enlist the full cooperation of the people in civil defence programmes.

Political set-up of Delhi

*137. **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Jagdev Singh Siddhanti :
Shri Yashpal Singh :
Shri P. R. Chakraverti :
Shri K. N. Tiwary :
Shri J. B. S. Bist :
Shri M. L. Dwivedi :
Shri S. C. Samanta :
Shri Parashar :
Shri S. N. Chaturvedi :
Shri D. C. Sharma.
Shri K. C. Pant :
Shri Himatsingka :
Shri Rameshwar Tantia :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the further progress made in the political set-up of Delhi;

(b) when it will be finalised; and

(c) whether a scheme in regard thereto will be formulated before the ensuing General Elections, though it may be implemented later?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri L. N. Mishra) : (a) to (c). A statement containing the important features of the scheme for the reorganised administrative set-up for the Union territory of Delhi was laid on the Table of the Lok Sabha in reply to starred question No. 79 on 18th August, 1965. The scheme envisages—

(a) certain changes in the set-up of :—

(i) the administration of Delhi;

(ii) the Delhi Municipal Corporation; and

(iii) the Panchayati Raj Institutions in the rural areas; and

(b) conversion of certain municipal undertakings into statutory boards.

A Bill entitled the Delhi Administration Bill, 1965, which would give effect to the changes referred to at (a) (i) is proposed to be introduced in the current session. It will provide for the setting up of a Metropolitan Council and the constitution of an Executive Council to assist and advise the Administrator of the territory. Legislation to give effect to the other changes will be brought before the House as soon as possible.

सम्पर्क स्थापित करने वाले व्यक्तियों की काली सूची

***138. श्री हरि विष्णु कामत :**

श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या गृह-कार्य मंत्री 22 सितम्बर, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 788 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुल कितने व्यक्ति काली सूची में रखे गये है; और

(ख) उनके द्वारा किये गये अनाचार पूर्ण कार्यों का ब्यौरा क्या है?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) :

(क) 105 ।

(ख) ये सम्पर्क स्थापित करने वाले व्यक्ति अवांछनीय कृत्य करते रहे हैं ।

आसाम में ब्रिटिश राष्ट्रजनों की नज़रबन्दी

***139. श्री काजरोलकर :**

श्री च० कां० भटटाचार्य :

श्रीमती रेणुका बड़कटकी :

श्री यशपाल सिंह :

श्री बसुमतारी :

श्री हुकमचन्द कछवाय :

श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तीन ब्रिटिश राष्ट्रजनों को राज्य विरोधी कार्रवाइयां करने के सन्देह में भारत प्रतिरक्षा नियमों के अन्तर्गत अपर आसम में नज़रबन्द कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या अब उन्हें जमानत पर छोड़ दिया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) से (ग) : 2 अक्टूबर, 1965 की रात को तीन बागान मालिक, जिनके नाम इर्विंग बैल, जिम जार्ज वाट्स तथा ए०आर०पी० एम० एडी थे, नशें में चूर लगभग प्रातः 3 बजे एक जीप में अपने बागानों को वापिस लौट रहे थें। ग्राम रक्षा दलों ने पीछा किया और उनसे कहा कि वे बतायें कि वे कौन हैं और वे किस लिये घूम रहे हैं। कहा जाता है कि ये बागान मालिक इस पर अत्यधिक क्रुद्ध हो गये और उन्होंने कहा कि उन्हें पहिले भी कई बार रोका गया है और उन्होंने ग्राम रक्षा दलों को धमकी दी और उनके प्रति उग्र रूप धारण कर लिया। बताया जाता है कि उनमें से एक ने दल के रजिस्टर में "पाकिस्तान जिन्दाबाद" लिख दिया तथा दूसरे ने, बताया जाता है, यह कहा कि "मैं अयूब खां हूँ"। पुलिस ने जांच पड़ताल करने के बाद भारतीय दंड संहिता की 153/352/34 धाराओं के अन्तर्गत उन सब के विरुद्ध आरोप-पत्र पेश किया है। वे जेल में हैं।

तेल वितरण सम्बन्धी राष्ट्रीय नीति

*140. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री अ० ना० विद्यालंकार :
श्री कपूर सिंह :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :
श्री किशन पटनायक :
श्री मुहम्मद कोया :

क्या **पैट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल वितरण के संबंध में राष्ट्रीय नीति बनाई जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य रूपरेखा क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायुन कबिर) : (क) और (ख) : जी हां। स्वदेशी उत्पादन को शामिल करते हुए तेल उत्पादों के वितरण की व्यवस्था करना उक्त नीति में निहित है। फुटकर तेल-पम्प केन्द्रों की वृद्धि के नियमन का प्रश्न भी परीक्षाधीन है।

समुद्र से पीने का जल

*141. **डा० सरोजिनी महिषी :**
श्री हरि विष्णु कामत :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका की एक फर्म ने समुद्र के जल से प्रति दिन 2000 लाख गैलन ताजा पानी तैयार करने वाला एक संयंत्र बम्बई में लगाने के लिए सहयोग देने की पेशकश की है, और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

गुप्तचर व्यवस्था

*142. **श्री दे० द० पुरी :**
श्री शिवचरण गुप्त :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल में हुई घटनाओं को देखते हुए हमारी आसूचना (इन्टेलीजैन्स) व्यवस्था की क्षमता का मूल्यांकन किया है ;

(ख) यदि हां, तो आसूचना कार्य किस रूप में कमजोर पाया गया है; और

(ग) इस व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र): (क) से (ग) : हमारी आसूचना व्यवस्था क्षमताशील सिद्ध हुई है। फिर भी सरकार अपनी आसूचना व्यवस्था के कार्य की लगातार समीक्षा करके उसकी कमियों को दूर करने और व्यवस्था को मजबूत करने के लिए विभिन्न उपाय करती है। इससे ज्यादा विस्तार में बताना जनहित की दृष्टि से ठीक नहीं होगा।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विश्वविद्यालय

*143. **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा** : क्या **शिक्षा** मंत्री 18 अगस्त, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 236 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए एक विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रश्न पर इस बीच विचार कर लिया है, और

(ख) यदि हां, तो क्या परिणाम निकला है?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख) : इस विषय में अभी भी विचार किया जा रहा है।

मद्य-निषेध

*144. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या राज्य सरकारें राज्य के वित्तीय साधनों को बढ़ाने के लिये यदि चाहें तो मद्य-निषेध नीति में संशोधन करने अथवा उसे रद्द करने के लिये स्वतन्त्र हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने प्रत्येक राज्य को क्या सलाह अथवा निदेश दिये हैं?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी, नहीं। राज्य सरकारें मद्य-निषेध नीति को रद्द करने या उसमें संशोधन करने के लिये स्वतन्त्र नहीं हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

उड़ीसा के भूतपूर्व मुख्य मंत्रियों के विरुद्ध जांच

*145. **श्री यशपाल सिंह** :

श्री भानु प्रकाश सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कुछ संसद् सदस्यों की ओर से लगभग 18 महीने पहले अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था जिसमें उड़ीसा के भूतपूर्व मुख्य मंत्रियों श्री बीजू पटनायक तथा श्री बीरेन मित्र के विरूद्ध न्यायिक जांच कराये जाने की मांग की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय किया गया है?

गृहकार्य मंत्री (श्री गुलजारीलाल नंदा) : (क) और (ख) : उड़ीसा के भूतपूर्व मुख्य मंत्रियों के विरुद्ध लगाये गये आरोपों के बारे में की गई कार्यवाही प्रधान मंत्री जी ने 22 फरवरी, 1965 को सभा में दिये गये एक वक्तव्य में पहिले ही स्पष्ट कर दी थी। संसद-सदस्यों की सभी मांगो के बारे में 15 और 16 मार्च, 1965 को लोक सभा में पेश किये गये अविश्वास प्रस्ताव पर हुई चर्चा के दौरान लोक-सभा की कार्यवाही में उत्तर दिया गया था। माननीय सदस्यों का ध्यान 3 नवम्बर, 1965 को लोक-सभा में तारांकित प्रश्न संख्या 2 पर पूछे गये अनुपूरक प्रश्नों के दौरान स्पष्ट की गई स्थिति की ओर भी आकर्षित किया जाता है। अर्थात किसी अग्रेतर कार्यवाही पर उड़ीसा की लोक लेखा समिति के उस विषय पर विचार करने के बाद ही विचार किया जा सकता है।

सीमेंट-कंक्रीट उत्पाद निर्माण फैक्टरियां

*146. **श्री बागड़ी :**
श्री मधु लिमये :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्री भानु प्रकाश सिंह :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश में होशंगाबाद तथा अन्य स्थानों पर सीमेंट कंक्रीट उत्पाद निर्माण फैक्टरियां स्थापित करने के लिये धन की मंजूरी दे दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना का कार्य कब आरम्भ होने की संभावना है; और

(ग) यें फैक्टरियां कहां कहां स्थापित की जायेंगी ?

पुनर्वास मंत्री (श्री त्यागी) : (क) जी, हां। ऐसे दो खंड मध्य प्रदेश में स्थापित करने के लिए मंजूर किये गये हैं, एक इटारसी (जिला होशंगाबाद) में तथा अन्य माना (जिला रायपुर) में।

(ख) और (ग) : योजना केवल 24- 9- 65 को मंजूर की गई थी। इटारसी केन्द्र में कार्य आरंभ हो चुका है। माना खंड को चालू करने के बारे में शीघ्र कार्यवाही की जा रही है।

वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीम की भारत यात्रा

*147. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री राम हरख यादव :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को वेस्ट इंडीज से एक तार आया है; जिसमें कहा गया है कि भारत की स्थिति अनिश्चित होने के कारण वेस्ट इंडीज़ बोर्डने अपने टीम की प्रस्तावित यात्रा रद्द कर दी है,

(ख) क्या भारतीय बोर्ड ने वेस्ट इंडीज बोर्ड से अनुरोध किया था कि वे भारत की अपनी यात्रा को रद्द करने के अपने निर्णय पर पुनर्विचार करें, क्योंकि भारत में स्थिति प्रायः सामान्य है, और

(ग) क्या सरकार देश में राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के पक्ष में है?

शिक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) जब सरकार देश में राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय खेलों के आयोजन करने के पक्ष में होती है, तब देश में प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रीय खलों के मामलों की जांच गुणों के आधार पर की जाती है।

कठना (कैम्बे) में तेल के रिजर्व

*148. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खम्भात के निकट कठना में हाल में ही तेल मिला है;

(ख) यदि हां, तो ये रिजर्व कैसे तथा अनुमानतः कितने हैं; और

(ग) इन रिजर्वों के शोषण के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायुन कबिर): (क) से (ग) : जी हां, किन्तु रचना के विभिन्न भागों में अधिक अन्वेषी कुंओं के व्यधन करने के बाद ही संचयों के लक्षण और मात्रा तथा उसके व्यापारिक समुपयोजन की सम्भाव्यता को जाना जायेगा।

वालकॉट का प्रत्यर्पण

*149. **श्री हरि विष्णु कामत :**
श्री विद्याचरण शुक्ल :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री 8 सितम्बर, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 485 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मि० वालकोट के प्रत्यर्पण के मामले में और क्या प्रगति हुई है; और

(ख) मामले की वर्तमान स्थिति क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी): (क) और (ख) : इस प्रश्न पर, कि क्या वालकाट तथा उसके साथियों के खिलाफ प्रत्यर्पण कार्यवाही शुरू करने के लिये पर्याप्त सबूत हैं, संयुक्ताम्ल राज्य में वरिष्ठ विधिवक्ता के विचार अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं।

चलचित्रों विषयक आपत्तिजनक इश्तहार

327. **श्री बागड़ी :**
श्री मधु लिमये :
श्री राम सेवक यादव :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चलचित्रों विषयक ऐसे इश्तहारों के प्रदर्शन पर प्रतिबन्ध लगाने का है, जिनसे देश के युवकों पर बुरा प्रभाव पड़ता है; और

(ख) यदि हां, तो कब यह प्रतिबन्ध लगा दिये जाने की संभावना है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना०मिश्र) : (क) और (ख) : सरकार के सामने खास-तौर पर ऐसा कोई प्रस्ताव विचार के लिये प्रस्तुत नहीं है। फिर भी वह अश्लीलता सम्बन्धी कानून को सख्त बनाने की सम्भावना पर विचार कर रही है।

Detenus

328. **Shri Madhu Limaye :**
Shri Bagri :
Shri Kolla Venkaiah :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of Marxian Communists detained in the various States at present under the Defence of India Act;

(b) the facilities being given to them in respect of family allowance, parole, food and clothing in jails;

(c) whether these detenus have made any complaint against the treatment meted out to them; and

(d) if so, the reaction of Government thereto?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and the Minister of Defence Supplies in the Ministry of Defence (Shri Hathi) : (a) 1149 Left Communists were in detention on 31st October, 1965.

(b) to (d). The conditions of detention and ancillary matters are governed by the rules relating to such conditions and other executive instructions in each State. Some complaints have been received from the detenus from time to time and the Government have taken the initiative to have them examined and redressed in each deserving case.

तेल तथा गैस की खोज

329. **श्री श्यामलाल सर्राफ :** क्या **पैट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज का देशव्यापी कार्यक्रम बनाया है; और

(ख) यदि हां, तो आयोग को अब तक इस कार्य में कितनी सफलता मिली है और क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग तथा इंडिया आयल कारपोरेशन लिमिटेड जो कि इसी दिशा में कार्य करने वाला एक अन्य सरकारी संगठन है, एक दूसरे सहयोग से क्षेत्रीय कार्य करते हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायुन कबिर) : (क) जी हां।

(ख) अयोग ने गुजरात स्थित अंक्लेश्वर में एक तेल-क्षेत्र और कैम्बे में एक गैस क्षेत्र मालूम और विकसित किया है। इन क्षेत्रों से उत्पादन शुरू हो गया है। आसाम और गुजरात में दूसरे स्थानों पर भी तेल पाया गया है और यथा समय उत्पादन शुरू किया जायेगा। दूसरे अन्य क्षेत्रों में दिलचस्प संरचनाएं पायी गई हैं और खोज कार्य जारी है। इण्डियन आयल कारपोरेशन का अन्वेषण एवं उत्पादन से सम्बन्ध नहीं है किंतु इसका कार्य पैट्रोलियम उत्पादों का शोधन एवं वितरण है ।

भारत प्रतिरक्षा नियमावली के अधीन व्यधन एवं उत्पादन का क्षेत्रानुसार पूरा ब्यौरा नहीं बताया जा सकता।

चेलानूर में आर्टस कालेज

330. **श्री अ० क० गोपालन :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को एक स्थानीय समिति की ओर से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है, जिसमें अगले शिक्षा वर्ष से कालीकट के निकट चेलानूर में एक आर्टस कालेज की मंजूरी दिये जाने की प्रार्थना की गई है ;

(ख) क्या यह सच है कि समिति ने इस प्रयोजन के लिये 35 एकड़ भूमि तथा 1,36,000 रुपये की व्यवस्था कर ली है;

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(घ) क्या सरकार के लिये अगले शिक्षा वर्ष से कालेज का आरम्भ करने की अनुमति देना संभव होगा ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) : प्रश्न नहीं उठते।

संस्कृत कालिज, पट्टम्बी

331. श्री अ० क० गोपालन : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पट्टम्बी (केरल) के संस्कृत कालिज को वर्गोन्नत करके उसमें कला तथा विज्ञान के विभाग बना कर प्रथम श्रेणी का कालिज बनाया जा रहा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस कार्य के लिये जनता ने 15 एकड़ भूमि दान दी है; और

(ग) क्या सरकार इस मामले को प्राथमिकता प्रदान कर रही है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) से (ग) : जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

कालिकट उड़न दस्ते (फ्लाइंग स्क्वैड) के विरुद्ध शिकायतें

332. श्री अ० क० गोपालन : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कालिकट उड़न दस्ता (फ्लाईंग स्क्वैड) सितम्बर में कावेरी और कुथोकोल, थालीपरम्बा, कण्णनूर गया और कुछ लोगों को गिरफ्तार किया, पहले उन्हें वहीं पर पीटा और बाद में हवालात में भी पीटा;

(ख) क्या सरकार को इस बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ग) यदि हां, तो क्या कोई जांच कराई गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इस मामले को जांच कराने का है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) से (घ) : सूचना एकत्रित की जा रही है और यथाशीघ्र सदन के सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

नजरबन्द लोगों को परिवार भत्ता

333. श्री अ० क० गोपालन : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नजरबन्द लोगों को परिवार भत्ता देने की एकरूप योजना आरम्भ करने का सरकार का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक अन्तिम रूप दिया जायेगा और क्रियान्वित किया जायेगा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) : कोई एकरूप योजना लागू करने का विचार नहीं है किन्तु राज्य-सरकारों को परामर्श दिया गया है कि जिन मामलों में जरूरत हो उनमें कमसे कम 50 रु० का मासिक परिवार-भत्ता मंजूर किया जाय।

अनुसन्धान के विषय

334. श्री कृष्णदेव त्रिपाठी : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत के उन विश्वविद्यालयों तथा संस्थाओं के नाम क्या हैं, जिनमें निम्नलिखित विषयों की स्नातकोत्तर शिक्षा तथा/अथवा अनुसन्धान की सुविधायें उपलब्ध हैं :—

1. अन्तर्राष्ट्रीय संबंध
2. लोक प्रशासन
3. संगीत
4. ड्राइंग तथा पेंटिंग
5. वास्तुकला (आर्किटेक्चर) और
6. आणविक-भौतिक विज्ञान (न्यूक्लियर फिजिक्स) ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 5106/65 ।]**

डिग्री कालिजों के लिए अनुदान

335. श्री कृष्णदेव त्रिपाठी : क्या **शिक्षा** मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा डिग्री कालिजों के लिये मंजूर किये जाने वाले आनावर्त्तक अनुदान की अधिकतम राशि कितनी होती है ;

(ख) उन डिग्री कालिजों के नाम क्या हैं जिनको अधिकतम निर्धारित अनावर्त्तक अनुदान से अधिक राशि दी गई है, और कुल कितनी राशि ; और

(ग) इसके क्या कारण है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) से (ग) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 5107/65 ।]**

क्रिकेट का प्रशिक्षण देने के लिये शिबिर

336. श्री राम हरख यादव : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का स्कूलों के लड़कों के लिए दो अखिल भारतीय प्रशिक्षण शिबिर आयोजित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो उन शिविरों के विवरण, आरंभ होने की तिथी तथा शिबिरों की अवधि क्या क्या हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी हां।

(ख) एक बम्बई में 27 नवम्बर से 26 दिसम्बर, 1965 तक और दूसरा हैदराबाद में 16 मई से 30 जून, 1966 तक।

जयपुर के निकट पुराने सिक्कों का पाया जाना

337. श्री राम हरख यादव : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जयपुर से 82 मील दूर रैढ़ में देश के प्राचीनतम सिक्के बड़ी संख्या में मिले थे ;

(ख) यदि हां, तो सिक्कों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) वे कितने पुराने हैं तथा उनके बारे में यदि कोई विशेष बात उल्लेखनीय है तो क्या ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) से (ग) : जानकारी एकत्र की जा रही है और उपलब्ध होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

Matric in Sindhi

338. Shri Madhu Limaye :
Shri Bagri :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Uttar Pradesh Government do not admit to higher classes those students who pass Matriculation examination with Sindhi language;

(b) whether Sindhi is considered to be a foreign language in Uttar Pradesh and some other States; and

(c) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla) : (a) to (c). The information is being obtained from the State Government and will be laid on the Table of the House in due course.

दिल्ली में नये बाजारों का निर्माण

339. श्री भानु प्रकाश सिंह : **श्री बागड़ी :**
श्री किशन पटनायक : **श्री यशपाल सिंह :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन का विचार दिल्ली में 15 नये बाजार बनाने का है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इन बाजारों के लिये स्थान चुने लिए गए हैं; और

(ग) इन बाजारों में किस आधार पर दुकाने अलाट की जायेंगी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (ल० ना० मिश्र) : (क) से (ग) : दिल्ली में नये बाजार बनाने की दिल्ली प्रशासन की सीधे अपनी कोई योजना नहीं है। शायद इस प्रश्न के सम्बन्ध दिल्ली नगर निगम तथा नई दिल्ली नगर पालिका से है। दिल्ली नगर निगम का 15 नए बाजार बनाने का विचार है और उनके लिए स्थान भी चुन लिए गए हैं। कनाट प्लेस क्षेत्र में जी० बी० पंत सुपर मार्किट के अलावा, जिसका निर्माण करीब-करीब पूरा हो रहा है, नई दिल्ली नगर पालिका दो और बाजार, एक चाणक्यपुरी क्षेत्र में तथा एक इर्विन रोड पर बनाना शुरू कर रही है। इन दोनों बाजारों के स्थान चुन लिए गए है। दिल्ली नगर निगम इन बाजारों में (i) विस्थापित व्यक्तियों (ii) बाजार के निर्माण स्थल से हटाये गए अवैध कब्जेदारों ; (iii) गन्दी बस्तियों तथा झुग्गी-झोंपड़ी योजना के अधीन हक़दार लोगों को दुकाने देगा। नई दिल्ली नगर पालिका अपने इलाके में बनाये जाने वाले बाजारों में दुकाने देने के लिए आभार निश्चित करने का विचार कर रही है।

दिल्ली में दुकानों पर छापे

340. **श्री यशपाल सिंह :**

श्री भानु प्रकाश सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री सदर बाज़ार, दिल्ली में मारे गये छापों से संबंधित 23 सितम्बर, 1965 के आतारांकित प्रश्न संख्या 2717 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिक्री-कर अधिकारियों ने सदर बाजार, दिली के दुकानदारों के झूठे बही-खाते अपने कब्जे में कर लिये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उन फर्मों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार किया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) और (ख) : दिल्ली के बिक्री-कर विभाग के अधिकारियों ने 27 अगस्त, 1965 को अग्रेतर जांच के लिये सदर बाजार के 4 दुकानदारो के खाते कब्जे में कर लिये। कर निर्धारण करने वाले प्राधिकारियों द्वारा जांच की जा रही है। जांच के परिणाम ज्ञात होने के बाद यथोचित कार्यवाही की जायेगी ।

शेख अब्दुल्ला पर होने वाला व्यय

341. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शेख अब्दुल्ला को नज़रबन्द किये जाने के बाद से अब तक नजरबन्दी में उनके भरण पोषण से संबंधित विभिन्न मदों पर प्रति मास कितनी राशि खर्च की जाती है ?

(ख) उनकी नजरबन्दी के दौरान उनके परिवार को भरण पोषण के निमित्त कितनी राशि दी जाती है; और

(ग) नजरबन्दी में उनके भरण पोषण पर इतनी अधिक राशि खर्च करने के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5108/65 ।**]

(ख) शेख के परिवार के भरण पोषण के लिये कोई भत्ता मंजूर नहीं किया गया है।

(ग) जिस प्रकार का जीवन बिताने के शेख अब्दुल्ला अभ्यस्त हैं उसे देखते हुए उन पर किया गया खर्च अधिक नहीं समझा गया ।

राइफल शूटिंग में प्रशिक्षण

342. **श्री रामेश्वर टांटिया :**

श्री हिंमतसिंहका :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन ने दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में अल्पकालीन राइफल शूटिंग व्यवस्था आरम्भ की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने अन्य राज्यों को भी यह योजना आरम्भ करने की सलाह दी है; और

(ग) क्या भारत के समक्ष उपस्थित चीनी और पाकिस्तानी खतरे को ध्यान में रखते हुए सरकार देश में सब समर्थ व्यक्तियों को यह प्रशिक्षण देने का विचार कर रही है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां ।

(ग) 1954 में लोक सभा द्वारा पारित एक संकल्प के अनुसार भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों के सहयोग से एक असैनिक राइफल प्रशिक्षण योजना चलाई गयी थी। इस योजना का उद्देश्य सब समर्थ व्यक्तियों को राइफल के इस्तेमाल का प्रशिक्षण देना है।

गैसोलीन

343. **श्री यशपाल सिंह :**

श्री भानु प्रकाश सिंह :

क्या **पैट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री 25 अगस्त, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 611 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अब इस प्रस्ताव पर विचार कर लिया है कि मोटर गैसोलीन के आक्टेन नम्बर 79 से बढाकर 83 किया जाना चाहिये ;

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब होने का क्या कारण हैं; और

(ग) प्रस्ताव पर अंतिम रूप से कब तक निर्णय किये जाने की सम्भावना है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायुन कबिर) : (क) से (ग) : अतिरिक्त विदेशी मुद्रा व्यय को दृष्टि में रखते हुए प्रस्ताव को स्थगित किया गया है। विदेशी मुद्रा स्थिति में सुधार होने के बाद इस पर विचार किया जायेगा ।

हेमिसिन तथा क्लोरटेट्रेसिक्लिन हाइड्रोक्लोराइड का निर्यात

344. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **पेट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री 22 सितम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2598 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्लोरटेट्रसिक्लिन हाइड्रोक्लोराइड तथा अन्य उत्पादों का निर्यात करने की संभाव्यताओं पर व विचार किया जा चुका है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) और (ख) : जी, हां। क्लोरटेट्रोसिक्लिन हाइड्रोक्लोराइड के निर्यात की संभाव्यताएं बहुत आशाजनक नहीं हैं। दूसरे उत्पाद अर्थात् हेमिसिन के बारे में हिन्दुस्तान एण्टीबायटिक्स लि० ने इसके व्यापारिक समपयोजन के लिये एक अमरीकी फर्म के साथ करार किया है। करार में हेमिसिन की विक्रय पर रायल्टी की अदायगी शामिल है। बहुल मात्रा में सामग्री, जिसका मूल्य लगभग 75,000 रुपये है, अमरीकी फर्म को भेजी जा रही है।

पोर्ट कैनिंग क्षेत्र में तेल

345. **श्री स० चं० सामन्त :**

श्री सुबोध हंसदा :

श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **पैट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता के निकट पोर्ट कैनिंग क्षेत्रों में तेल की खोज करने के लिये किया गया भूकम्पीय सर्वेक्षण कार्य पूरा हो चुका है;

(ख) यदि हां, तो क्या तत्काल ड्रिलिंग करने के लिये उपयुक्त निक्षेपों का पता लगा है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि एक अमरीकी तेल कम्पनी ने इस क्षेत्र में 13,000 फुट की गहराई पर गैस का पता लगाया है; और

(घ) यदि हां, तो क्या इस मामले में कोई अग्रेतर कार्यवाही की गई है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायुन कबिर) : (क), (ख) और (घ) : जी, नहीं। किन्तु हाल ही में आयोग द्वारा किये गये कार्य से एक दिलचस्प रचनात्मक निक्षेप का पता लगा है। एक गहरे अन्वेषी कुंए के व्यधन का प्रस्ताव है और प्रारम्भिक कार्यवाही हाथ में ली गई है।

(ग) जी, हां।

अन्तर्राष्ट्रीय भारतीय महासागर में अभियान

346. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **शिक्षा** मंत्री अन्तर्राष्ट्रीय भारतीय महासागर अभियान से संबंधित 18 अगस्त, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 212 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय भारतीय महासागर अभियान द्वारा भारतीय महासागर में किया जा रहा अनुसन्धान कार्य पूरा हो चुका है ;

(ख) यदि हां, ता इसका क्या परिणाम निकला है; और

(ग) यदि भाग (क) का उत्तर "नहीं" हो, तो इसके कब तक पूरा होने की संभावना है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी, अभी नहीं।

(ख) बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की महाद्वीपीय मग्नतट भूमि और समुद्र की समाकृति भौतिकी, रसायन शास्त्र और जीव-विज्ञान के संबंध में प्राप्त सूचना की जांच की जा रही है।

(ग) अभियान का क्षेत्र-कार्यक्रम दिसम्बर, 1965 तक पूरा हो जाएगा किन्तु संहिताकरण और आंकड़ों के अध्ययन में कुछ वर्ष और लगेंगे।

नेफा में प्रशासनिक सुधार

347. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : **श्री कोल्ला वेंकेया** :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी : **श्री प्र० चं० बरुआ** :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री 18 अगस्त, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 172 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि नेफा में प्रशासनिक सुधार संबंधी एरिंग समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों के बारे में इस बीच और क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : एरिंग समिति द्वारा की गई सिफारिशों के बारे में स्थिति इस प्रकार है :

(1) ग्राम मंडल, ज़िला और एजेंसी स्तर पर अलग-अलग निकायों का निर्माण— सिफारिशों की जांच की जा रही है।

(2) सीमावर्ती डिवीज़नों और राजनीतिक अधिकारियों के नामों में परिवर्तन—पहली सितम्बर, 1965 से उत्तर-पूर्वी सीमांत एजेंसी के पांच सीमावर्ती डिवीज़नों को ज़िले कहा जाता है। राजनीतिक अधिकारी, अतिरिक्त राजनीतिक अधिकारी तथा सहायक राजनीतिक अधिकारी अब उप-आयुक्त अतिरिक्त उप-आयुक्त तथा सहायक आयुक्त कहे जाते हैं। इस आशय का विनियम 1965 में लागू किया गया है।

(3) मामला अभी तक विचाराधीन है ।

(4) मामले की जांच की जा रही है ।

(5) उत्तर पूर्वी सीमांत एजेंसी—मामले पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

(6) बिजली की सप्लाई ——उत्तर पूर्वी सीमांत एजेंसी प्रशासन ने पहले ही गांवों को बिजली की सप्लाई के लिये आदेश दे दिये हैं ।

(7) उत्तर-पूर्वी सीमांत एजेंसी के लिय परिवहन बसें——परिवहन सेवाओं को चलाने के लिये पहले ही सहकारी संस्थाएं बना ली गई हैं ।

नजरबन्द व्यक्ति

348. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 अक्तूबर, 1965 को देश की विभिन्न जेलों में, राज्यवार, कितने व्यक्ति नज़रबन्द थे; और

(ख) उन्हें नज़रबन्द रखने के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) : राज्य सरकारों से आवश्यक सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के सभापटल पटल पर रख दी जायेगी ।

अखिल भारतीय न्यायिक सेवा

349. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री 18 अगस्त, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 213 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में एक अखिल भारतीय न्यायिक सेवा स्थापित करने की योजना को अन्तिम रूप दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो इसके कब स्थापित होने की संभावना है और विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ग) : मामला अभी तक विचाराधीन है ।

मैगनेशियम का निर्माण

350. **श्री उमानाथ :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कराईकुडी स्थित केन्द्रीय इलेक्ट्रो-कैमिकल अनुसन्धान संस्था ने सलेम के बढिया किस्म के मैग्नेसाइट से मैगनेशियम बनाने के तरीके में प्रवीणता अभी प्राप्त कर ली है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने सलेम के मैग्ननेसाइट से बड़े पैमाने पर मैगनेशियम बनाने के लिये इस सूत्र को अपनाने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) से (ग) : मद्रास सरकार के अनुरोध पर संस्थान ने सलेम मेग्नेसाइट से मैग्नोशियम धातु तैयार करने के लिये प्रायोगिक-संयत्र परीक्षण आरंभ किया है। इसका उद्देश्य 24 घन्टे के एक दिन में 12 कि० ग्रा० मैग्नेशियम धातु तैयार करने के लिये परिस्थितियों का मानकीकरण करना है। कार्य चल रहा है और प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है ।

समुद्र विज्ञान सम्बन्धी संस्था

351. **श्री भानु प्रकाश सिंह :**

श्री यशपाल सिंह :

क्या **शिक्षा** मंत्री समुद्र विज्ञान संबंधी संस्था के सम्बन्ध में 25 अगस्त, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 612 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस संस्था को स्थापित करने के स्थान के सम्बन्ध में इस बीच निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस निर्णय का ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी, अभी तक नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

रूस में ब्राम्ही पाण्डुलिपि का पाया जाना

352. **श्री भानु प्रकाश सिंह :**

श्री यशपाल सिंह :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिनांक 29 सितम्बर, 1965 के "टाइम्स आफ इंडिया" में प्रकाशित समाचार के अनुसार रूस में ब्राम्ही की पाण्डुलिपि पाई गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख) : बाद में प्रेस में क्या हुआ, आगे कोई सूचना भारत सरकार से उपलब्ध नहीं है ।

जम्मू तथा काश्मीर के पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्रों से आने वाले व्यक्ति

353. **श्री लिंग रेड्डी :** क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जम्मू तथा काश्मीर के पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्रों से विशेषतया भारत तथा पाकिस्तान के बीच हाल ही में संघर्ष छिड़ जाने के बाद, आने वाले व्यक्तियों को सहायता देने के लिए क्या उपाय किये गये हैं ?

पुनर्वास मंत्री (श्री त्यागी) : निम्नलिखित सुविधायें देने का निर्णय किया गया है :—

(1) तम्बुओं में आवास;

(2) आटा, दाल तथा नमक का राशन मुफ्त; किन्तु शीघ्र ही इनकी बजाये नगद सहायता दी जायेगी;

(3) कपड़े;

(4) रजाईयां और/या कम्बल;

(5) वर्तन;

(6) लालटेनें;

(7) शिविरों में चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य सुविधायें;

(8) कुशल सदस्यों को रोजगार;

(9) बच्चों के लिये शिक्षा; तथा

(10) डाक सुविधायें ।

व्यावसायिक दृष्टिकोण से शिक्षा

354. **श्री लिंग रेड्डी :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न स्तरों पर शिक्षा को व्यावसायिक रूप प्रदान करने के लिये सरकार ने क्या कार्रवाई की है; और

(ख) ये उपाय देश में व्याप्त बेकारी की समस्या को हल करने में कहां तक उपयोगी सिद्ध हुए हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सौन्दरम रामचन्द्रन) : (क) निम्नलिखित कार्रवाई की गई है :—

1. उपयुक्त शिल्पकलाएं लागू करके प्रारंभिक स्कूलों को बुनियादी पद्धति में अनुस्थापन करना ।
2. विविध पाठ्यक्रमों की व्यवस्था ।
3. जूनियर टेक्नीकल स्कूलों की स्थापना ।
4. व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए जरूरी शिल्पकला अध्यापकों का विशेष प्रशिक्षण ।
5. पालिटेक्निकों और कालेजों की स्थापना ।
6. व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता ।

(ख) पाठ्यक्रमों की व्यावहारिक विषय वस्तु का उद्देश्य विशेष व्यवसाय के धंधों को समझने के लिए विद्यार्थियों को व्यावहारिक कुशलता देना है । इसलिये वे, अकुशल विद्यार्थियों के मुकाबले रोजगार प्राप्त करने और उसे बनाए रखने के लिए अच्छी स्थिति में होते हैं ।

भारत सर्वेक्षण विभाग के कर्मचारियों के वेतनक्रम

355. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सर्वेक्षण विभाग के श्रेणी तीन तथा चार के कर्मचारियों के वेतनक्रमों में संशोधन करने के बारे में कोई निर्णय कर लिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) कब तक निर्णय किये जाने की संभावना है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) से (ग) : भारत सर्वेक्षण विभाग में वेतन-स्तरों के पुनरीक्षण के प्रश्न पर अच्छी प्रकार विचार करने के बाद यह निश्चय किया गया है कि उन वेतन स्तरों का पुनरीक्षण किया जाना आवश्यक नहीं है जिनका दूसरे वतन आयोग के सुझावों पर 1960 में पुनरीक्षण किया गया था । ऐसे पृथक मामलों पर, जहां पुनरीक्षण करना उचित बैठता है, सरकार विचार करेगी ।

नागा नेता की हत्या

356. **श्रीमती रेणुका बड़कटकी :**
श्री रवीन्द्र वर्मा :
श्री पें० वेंकटासुब्बया :
श्री हुकुमचंद कछवाय :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विद्रोही नागाओं ने 2 अक्तूबर, 1965 को तांगखुल लांग के प्रधान (प्रेसीडेंट) श्री जैड० पारहाओ की हत्या कर दी थी; और

(ख) यदि हां, तो उन विद्रोही नागाओं को, जिनका इस हत्या में हाथ है, गिरफ्तार करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी, हां।

(ख) इस हत्या की जांच के बारे में अब तक 5 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं और जनता में विश्वास उत्पन्न करने के लिये मनीपुर राइफल्स की एक कम्पनी तैनात की गई है। 20,000 रु० का सामूहिक जुर्माना भी किया गया है।

कोयाली तेल शोधक कारखाना

357. **श्री सुबोध हंसदा :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक पाइप लाइन बिछा कर कांडला पत्तन को कोयाली तेल शोधक कारखाने के साथ मिलाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस पाइप लाइन पर अनुमानत: क्या लागत आयेगी; और

(ग) कौन इस कार्य को करेगा ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायन कबिर) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते।

पंजाब नेशनल बैंक से सम्बद्ध कुछ व्यक्तियों के घरों की तलाशी

358. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री पंजाब नेशनल बैंक से सम्बद्ध कुछ व्यक्तियों के घरों की तलाशी के बारे में 15 सितम्बर, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 641 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रिकार्ड की जांच-पड़ताल का कार्य पूरा हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) अभी तक नहीं।

(ख) प्रश्न ही नही उठता।

गोल गुम्बद, बीजापुर

359. **श्री रा० गि० दुबे :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बीजापुर के गोल गुम्बद के भीतरी भाग में सफेदी कराने का है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस काम के लिये अपेक्षित धन मंजूर कर दिया गया है ?

शिक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रशिक्षणाधीन अध्यापकों को छात्रवृत्तियां

361. **श्री मुहम्मद कोया :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में प्रशिक्षणाधीन भाषा अध्यापकों को कोई छात्रवृत्ति दी गई थी;

(ख) ये कब बन्द की गई;

(ग) क्या प्रशिक्षित अध्यापकों को कोई अतिरिक्त वेतन दिया जाता है ;

(घ) क्या उनको प्रशिक्षण अवधि में वेतन दिया जाता है; और

(ङ) क्या प्रशिक्षण अवधि के दौरान उनकी वेतन-वृद्धि रोक दी जाती है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) से (ङ) : राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायगी ।

भारत में प्रकाशकों की संस्था

362. **श्री हेमराज** : क्या **शिक्षा** मंत्री 18 अगस्त, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 278 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत की प्रकाशक संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर विचार करने में इस बीच क्या प्रगति हुई है; और

(ग) कब तक अंतिम निर्णय किया जायेगा ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख) : विवरण संलग्न है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 5109/65 ।]**

मनाली (पंजाब) में पश्चिम हिमालय पर्वतारोही संस्था

363. **श्री हेमराज** : क्या **शिक्षा** मंत्री 1 सितम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1225 के उत्तर के के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम हिमालय पर्वतारोहण संस्था, मनाली (पंजाब) के पुनर्गठन के सम्बन्ध में इस बीच क्या प्रगति हुई है; और

(ख) अन्तिम निर्णय कब तक किया जायेगा ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) इस मामले पर अभी पंजाब सरकार के परामर्श से विचार हो रहा है ।

(ख) इस बारे में निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता । निर्णय शीघ्र करने के लिये भरसक प्रयत्न किया जा रहा है ।

भारत को रूसी तेल की सप्लाई

364. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **पैट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के लिये तेल लाने वाले रूसी सुपर-टैंकर जहाज अब हुगली नदी में सफलता-पूर्वक आ रहे हैं;

(ख) रूसी टैंकरों द्वारा भारतीय पत्तनों पर साधारणतया प्रति मास कितनी मात्रा में पैट्रोलियम उत्पाद उतारे जाते हैं; और

(ग) क्या हाल ही में भारत ने इस अभ्यंश में वद्धि की जाने की प्रार्थना की है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायुन कबिर) : (क) जी नहीं । हुगली नदी पर ड्राफ्ट प्रतिबन्धों (Draft restrictions) के कारण मध्यम आकार वाले टैंकरों के लिए भी बज बज (Budge Budge) तक आना असम्भव है ।

(ख) लगभग 1.25 लाख मीटरी टन प्रति मास ।

(ग) मिट्टी के तेल की कुछ अतिरिक्त, आयातों के लिए इण्डियन आयल कारपोरेशन लि० रूसी प्रदायकों (Russian suppliers) के साथ बातचीत कर रही है।

Rehabilitation of displaced persons in J. & K.

365. Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Will the Minister of **Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether Government propose to rehabilitate displaced persons from Pakistan and also the ex-servicemen in Jammu and Kashmir; and

(b) if not, the reasons therefor?

The Minister of Rehabilitation (Shri Tyagi) : (a) & (b). Displaced persons belonging to Jammu & Kashmir will as far as possible be rehabilitated there.

There is no proposal to rehabilitate any other category of displaced persons in Jammu and Kashmir.

लक्कदीव में अधिकारियों को भत्ता

366. श्री मुहम्मद कोया : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लकदीव में कार्य करने वाले सरकारी कर्मचारियों को मूल वेतन का 40 प्रतिशत भत्ता मिलता है;

(ख) क्या यह रियायत केवल भारत की मुख्य भूमि से भर्ती किये गए कर्मचारियों को ही मिलती है;

(ग) क्या इसी प्रकार का भत्ता भारत की मुख्य भूमि तथा विभिन्न द्वीपों में कार्य करने वाले द्वीपवासी कर्मचारियों को भी मिलता है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी): (क) और (ख) : मूल वेतन के 40% की दर से एक विशष भत्ता, जो अधिक से अधिक 350 रु० हो, केवल उन व्यक्तियों को, जो लक्कदीव, मिनिकाय तथा अमिनदिवि द्वीप समूह के प्रशासन के अधीन सेवा के लिये मुख्य भूमि से सीधे भरती या प्रतिनियुक्त किये जाते हैं, द्वीप समूह में भेजे जाने पर मिलता है ।

(ग) जी नहीं।

(घ) ऊपर (क) भाग में कही गई रियायत द्वीप समूह में सेवा के लिये मुख्य भूमि से अच्छे अधिकारियों को प्राप्त करने के लिये प्रोत्साहन-स्वरूप दी जाती है।

लक्कदीव में अधिकारियों को मकान किराया भत्ता

367. श्री मुहम्मद कोया : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लक्कदीव और मिनिकाय द्वीपों में कार्य करने वाले अधिकारियों को मकान किराया भत्ता अथवा निःशुल्क क्वार्टर दिये जाते है;

(ख) क्या यह रियायत उन स्थानीय व्यक्तियों को दी जाती है जो स्वयं अपने द्वीप को छोड़ कर कहीं और काम करते हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) लक्कदीव, मिनिकाय तथा अमिनदिवि द्वीप समूह प्रशासन के अधीन सेवा के लिये मुख्य भूमि से सीधे भरती या प्रतिनियुक्त किये जाने वाले अधिकारियों को द्वीपसमूह में भेजे जाने पर बिना फ़र्नीचर के निःशुल्क आवासगृह दिये जाते है। जहां कहीं उनके लिये ऐसे आवास स्थान की व्यवस्था नहीं है वहां उन्हें उसके बदले मकान किराया भत्ता दिया जाता है।

(ख) जी नहीं।

(ग) ऊपर (क) भाग में कहीं गई रियायत द्वीप समूह में सेवा के लिये मुख्य भूमि से अच्छे अधिकारियों को प्राप्त करने के लिये प्रोत्साहन स्वरूप दी जाती है।

लक्कदीव में अधिकारियों के लिये अवकाश सम्बन्धी सुविधायें

368. **श्री मुहम्मद कोया :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लक्कदीव द्वीप समूह में काम करने वाले भारत की मुख्य भूमि के निवासी अधिकारियों की छुट्टियां उस तारीख से गिनी जाती है, जब वे भारत की मुख्य भूमि में आते हैं;

(ख) क्या यात्रा की अवधि अवकाश में गिनी जाती है और क्या उस अवधि में कोई यात्रा भत्ता दिया जाता है;

(ग) क्या भारत की मुख्य तथा अन्य द्वीपों में काम करने वाले लक़दीव के कर्मचारियों पर भी यही नियम लागू होता है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) लक्कदीव, मिनीकाय तथा अमिनदिवि द्वीप समूह प्रशासन के अधीन सेवा के लिये मुख्य भूमि से सीधे भरती या प्रतिनियुक्त किये जाने वाले उन अधिकारियों को जो द्वीप समूह में सेवा करते हैं वर्ष में एक बार छुट्टी पर जाते समय और वापस लौटते समय योगकाल (जाइनिंग टाइम) की रियायत दी जाती है। यह योगकाल द्वीप समूह और मुख्य भूमि के बीच समुद्री यात्रा में लगने वाले समय के बराबर होता है।

(ख) ऊपर (क) भाग में बताये गये योगकाल (जाइनिंग टाइम) में उन्हें ड्यूटी पर माना जाता है। ऐसे मामलों में सम्बद्ध सरकारी अधिकारी और उसके परिवार को सरकार द्वारा भाटकित जलयान में निःशुल्क यात्रा और इसके अतिरिक्त समुद्री यात्रा में लगने वाले समय के लिये उसके ग्रेड के अनुसार दैनिक भत्ता भी दिया जाता है।

(ग) जी नहीं।

(घ) ऊपर (क) भाग में कहीं गई रियायत द्वीप समूह में सेवा के लिये मुख्य भूमि से अच्छे अधिकारियों को प्राप्त करने के लिये प्रोत्साहन- स्वरूप दी जाती है।

तामिल भाषा के समाचार-पत्रों में राष्ट्र विरोधी लेख

369. **श्री बालकृष्णन :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि आपात-काल की अवधि में कुछ तामिल समाचार-पत्र राष्ट्र विरोधी लेख प्रकाशित कर रहे थे; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी, हां । सरकार का ध्यान ऐसे कुछ मामलों पर गया है ।

(ख) जरूरत के मुताबिक कार्यवाही की जायेगी ।

आगरा फोर्ट में चोरी

370. **श्रीमती रेणुका बड़कटकी :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आगरा फोर्ट के टरकिश बाथ में लगा हुआ तांबे का फव्वारा चोरी हो गया था; और

(ख) यदि हां, तो क्या अपराधियों का पता लगाया जा चुका है और फव्वारा बरामद हो गया है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्तदर्शन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Muslims Engaged in smuggling

371. **Shri P. L. Barupal :**
Shri Dhuleshwar Meena :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there are some Muslim elements in the various States of India who are actively engaged in smuggling and have connections with Pakistan; and

(b) if so, whether in view of the present emergency, Government propose to keep a strict watch on such persons or take action against them under the Defence of India Rules?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and the Minister of Defence Supplies in the Ministry of Defence (Shri Hathi) (a) : This evil is not confined to any particular community.

(b) Yes, Sir.

दिल्ली में गुप्त ट्रान्समिटर

372. **श्री प० ला० बारूपाल :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको पता लगा है कि पाकिस्तान को जानकारी देने के लिये दिल्ली के किसी स्थान पर एक ट्रांसमिटर का प्रयोग किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो अब तक उसका पता न लगा सकने के क्या कारण है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) सरकार को दिल्ली के क्षेत्र में चलने वाले किसी ऐसे ट्रांसमिटर कि सूचना नहीं मिली जो पाकिस्तान को भारत के खिलाफ सूचना भेजता हो ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

फिरोजपुर के पादरी की गिरफ्तारी

374. **श्री ओंकार लाल बेरवा :**

श्री गोकरन प्रसाद :

श्री बृजराज सिंह :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सितम्बर के अंतिम सप्ताह में फिरोजपूर गिरजाघर का एक पादरी प्रतिरक्षा नियमों के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो उसके विरुद्ध क्या आरोप है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख): फ़िरोजपुर के एक फ़ादर ऐडवर्ड को 24-9-1965 को गिरफ्तार किया गया था किन्तु जांच के बाद उसके खिलाफ मुकदमा न चलाने का फैसला किया गया ।

ईरान में किनारे से थोड़ी दूर समुद्र में छिद्रण-कार्य

375. **श्री हेडा** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री 8 सितम्बर, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 479 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ईरान में किनारे से थोड़ी दूर समुद्र में छिद्रण-काय कब आरंभ किया गया था ; और

(ख) उस कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायुन कबिर) : (क) 29 मई, 1965।

(ख) पहले कुंए का 3940 मीटर तक व्यधन किया गया है।

पर्यटकों को मद्यनिषेध कानून से छूट

376. **श्री मं० रं० कृष्ण :**

श्री अ० क० गोपालन :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पर्यटन व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिये सरकार ने राज्य सरकारों को निदेश दिये है कि उन राज्यों में आने वाले पर्यटकों पर मद्यनिषेध कानून लागू न किया जाये; और

(ख) यदि हां, तो क्या सब राज्य सरकारों ने ऐसा करना स्वीकार कर लिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख): पर्यटकों को आने के लिये प्रोत्साहित करने के लिये भारत सरकारने राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि जहां-जहां सार्वजनिक स्थानों में शराब पीना मना है वहां चुने हुए ऊंचे दर्जे के होटलों में केवल विदेशियों के लिये एक अलग कमरे की व्यवस्था की जाय । राज्य सरकारों ने इस सुझाव को मंजूर कर लिया है।

Rehabilitation Commission

377. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Rehabilitation** be pleased to state:

(a) whether Government have appointed a Commission to rehabilitate the refugees who have arrived from Pakistan and to settle their claims;

(b) if so, where its office would be opened; and

(c) the places where the refugees are to be rehabilitated under the scheme formulated by Government ?

The Minister of Rehabilitation (Shri Tyagi) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) As a result of recent hostilities with Pakistan about 638 Hindu families have migrated to Rajasthan from West Pakistan. Arrangements are being made for settling them in Barmer district and at other suitable places in Rajasthan.

कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय

378. डा० महादेव प्रसाद : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने सामुदायिक विकास, पंचायत राज, सहकार तथा समाज शिक्षा के विषयों में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम आरम्भ करने का निर्णय किया है; और

(ख) किन अन्य विश्वविद्यालयों ने इसी प्रकार का पाठ्यक्रम आरम्भ कर दिया है अथवा आरम्भ करने का विचार किया है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी, हां। विश्वविद्यालय ने निधि उपलब्ध होने पर पर 1966-67 में इन विषयों में डिप्लोमा पाठ्यक्रम आरम्भ करने के बारे में निर्णय किया है।

(ख) उपलब्ध जानकारी के अनुसार, नागपुर विश्वविद्यालय में सहकारिता में डिप्लोमा पाठ्यक्रम है और बडौदा, आन्ध्र, उस्मानिया, श्री वेंकटेश्वर और गोरखपुर विश्वविद्यालयों का यह पाठ्यक्रम आरम्भ करने का विचार है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का सहकारिता और पंचायती राज में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम आरम्भ करने का प्रस्ताव है।

दिल्ली में कालिज

380. श्री शिव चरण गुप्त : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष दिल्ली के वर्तमान कॉलेजों में कितने नये कमरे (क्लास रूम) बनाए गये तथा कितने नये कॉलेज खोले गये;

(ख) इस वर्ष प्री-मेडिकल, बी० एस० सी० तथा बी० कॉम० पाठ्यक्रमों में कितने विद्यार्थियों को प्रवेश मिला; और

(ग) अगले वर्ष नये विद्यार्थियों को दाखिल करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) हालांकि मौजूदा कालेजों में कोई नये कमरे (क्लास रूम) नहीं बनाये गये हैं, इस वर्ष तीमारपुर में महिलाओं के लिये एक नया कालेज खोला गया है जिसमें प्रवेश की क्षमता 700 है ।

(ख) प्रि-मेडिकल 60 ।

बी० एस० सी० (जनरल) 100 ।

बी० एस० सी० (आनर्स) 432 ।

बी० कॉम० 84 ।

(ग) अगले शिक्षा वर्ष की आवश्यकताओं का निर्धारण किया जा रहा है ।

चौथी योजना में नये विश्वविद्यालयों का खोला जाना

381. **श्रीमती बिमला देशमुख** : क्या [शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह निर्णय किया है कि चौथी योजना में और कोई विश्वविद्यालय स्थापित नहीं किया जायेगा; और

(ख) यदि हां, तो क्या कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना के बारे में भी यह प्रतिबन्ध लागू होगा ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, योजना आयोग और शिक्षा मंत्रालय का यह विचार है कि जहां तक संभव हो चौथी योजनावधि में कोई नये विश्वविद्यालय स्थापित न किये जायें ।

(ख) जी, नहीं । कृषि प्रशासन और वैयक्तिक और शिक्षा और प्रशिक्षण सम्बन्धी चौथी योजना कार्यकारी दल ने अपने प्रतिवेदन (1965) में यह सिफारिश की है कि यदि कुछ राज्य अगली योजना में कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करने में रुचि प्रकट करते हैं तो उन्हें ऐसा करने के लिये प्रोत्साहित किया जाय ।

Loss in Production due to Black-out

382. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the extent of loss in production caused to the Central Government by the observance of black-out in various parts of the country as a result of Pakistani attack ;

(b) whether production has decreased as a result of the said black-out;

(c) if so, the details thereof; and

(d) the steps taken to meet the shortage of production ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri L. N. Mishra) : (a) to (d) : The information is being collected and will be laid on the Table of the House as soon as it is received.

काश्मीर की स्थिति

383. **श्रीमती मैमूना सुल्तान :**

श्री प्र० चं० बरुआ :

श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान ने युद्ध में परास्त होने के बाद जम्मू तथा काश्मीर राज्य में फिर से तोड़-फोड़ की कार्यवाही आरम्भ कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम की तारीख, अर्थात् 22 सितम्बर, 1965 से अब तक जम्मू तथा काश्मीर में ऐसी कितनी तोड़-फोड की घटनायें हुई हैं तथा उनका स्वरूप क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां। ऐसी एक कोशिश की गई।

(ख) पाकिस्तान समर्थक तत्वों द्वारा भड़काये गये तथा विद्यार्थियों के एक भाग द्वारा किये गए हिंसात्मक उपद्रवों के अलावा राज्य में विस्फोट के 7 और विस्फोट पदार्थों के पकड़े जाने के 4 मामले हुए। कुछ हथगोलों पर पाकिस्तानी निशान थे । आगजनी की भी 6 घटनाएं हुई हैं जिनमें से 5 श्रीनगर में और एक सोपोर में हुई। कुछ हस्तलिखित तथा शिलामुद्रित (लिथोग्राफड) पोस्टर भी कुछ नगरों में चिपके पाये गए जिनमें पाकिस्तान-समर्थक बातें थीं।

(ग) इस स्थिति का सख्ती से सामना किया गया और अब स्थिति सामान्य है।

रूसी शिक्षा संस्था

384. **श्री मोहसिन :**

श्री राम सहाय पाण्डेय :

श्री राम हरख यादव :

श्री वासुदेवन नायर :

श्रीमती रेणुका बड़कटकी :

श्री हरि विष्णु कामत :

श्री ओंकार लाल बेरवा :

श्री हुकमचन्द कछवाय :

श्री बड़े :

श्री युद्धवीर सिंह :

श्री जगदेव सिंह सिद्धांती :

श्रीमती मैमूना सुल्तान :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में शीघ्र ही एक रूसी शिक्षा संस्था स्थापित की जायेगी; और

(ख) यदि हां, तो संस्था के मुख्य उद्देश्य क्या हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी हां।

(ख) संस्थान के मुख्य उद्देश्य है :—

(i) रूसी भाषा और साहित्य के ज्ञान तथा रूसी जीवन और संस्कृति के अध्ययन, अनुसंधान और विस्तार की सुविधाओं की व्यवस्था के लिये (क) रूसी भाषा में एक वर्षीय व्यापक पाठ्यक्रम; (ख) रूसी भाषा और साहित्य में तीन वर्षीय आनर्स डिग्री पाठ्यक्रम; (ग) अध्यापकों के लिये रूसी भाषा में पुनश्चर्या पाठ्यक्रम; और (घ) क्षेत्र अध्ययन में उत्तर-स्नातक पाठ्यक्रमों का आयोजन;

(ii) रूसी भाषा की पुस्तकों का भारतीय भाषाओं में तथा भारतीय भाषाओं की पुस्तकों का रूसी भाषा में अनुवाद का कार्य हाथ में लेना और उसे बढ़ाना;

(iii) व्याख्यानों, सेमिनारों, संगोष्ठियों, सम्मेलनों आदि का आयोजन करना;

(iv) सोसायटी के उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिये अधिछात्रवृत्तियां, छात्रवृत्तियां, फीस माफी और ऋण, आर्थिक सहायता और पुरस्कार प्रदान तथा आरंभ करना; और

(v) जब कभी भी सम्भव हो, भारत और रूस दोनों देशों के विद्वानों को व्याख्यानों, सेमिनारों, सम्मेलनों और वर्कशापों में भाग लेने के लिए आमंत्रित करना।

अध्यापकों को वित्तीय सहायता

385. **श्री राम हरख यादव :**

श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों तथा कालेजों के अध्यापकों को अनुसन्धान कार्य करने के लिये वित्तीय सहायता देने की योजना के अन्तर्गत 1965-66 में अनुपूरक अनुदान देने के लिये बड़ी संख्या में योग्य उम्मीदवार चुने हैं; और

(ख) यदि हां, तो कितने उम्मीदवार चुने गये हैं और इस प्रयोजन के लिये दिये जाने वाले अनुदान की राशि कितनी है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी, हां।

(ख) अनुसंधान और विद्वत्ता कार्य करने के लिये विश्वविद्यालयों और कालिजों के अध्यापकों को वित्तीय सहायता देने की योजना के अन्तर्गत 1965-66 में अनुपूरक अनुदान देने के लिये 336 अध्यापकों को चुना गया है और इस प्रयोजन के लिये 3,12,710 रुपये का अनुदान मंजूर किया गया है।

चौथी योजना में कुनीन फैक्टरी

386. **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :** क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी योजना में पश्चिम बंगाल में एक कुनीन फैक्टरी लगाने का सरकार का विचार है;

(ख) यदि हां, तो किसके सहयोग से फैक्टरी लगाई जायेगी और इस पर कितनी लागत आयेगी; और

(ग) इसमें कब तक उत्पादन आरम्भ होने की संभावना है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते।

ट्राम्बे उर्वरक कारखाना

387. **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :** क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्वरक निगम के ट्राम्बे के कारखाने में उत्पादन आरम्भ हो गया है;

(ख) यदि हां, तो उसमें वार्षिक उत्पादन कितना होगा; और

(ग) इस पर कितना धन व्यय होगा ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां। परीक्षण उत्पादन प्रगति पर है।

(ख) कारखाना यूरिया के 99,000 मीटरी टन और नाइट्रोफासफेट के 330,000 मीटरी टन के उत्पादन के लिए लगाया गया है।

(ग) परियोजना की कुल अनुमानित लागत लगभग 36·38 करोड़ रुपये है।

Petroleum Products from Yugoslavia

388. Shri Yogendra Jha : Will the Minister of **Petroleum** and **Chemicals** be pleased to state :

(a) whether Government have signed an agreement with the Government of Yugoslavia for the supply of petrol and other petroleum products to India; and

(b) if so, the salient features thereof?

The Minister of Petroleum and Chemicals (Shri Humayun Kabir) : (a) No Sir.

(b) Does not arise.

फिर से ब्लैक आउट करना

389. श्री काजरोलकर : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के कुछ भागों में ब्लैक आउट फिर से लागू कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो किन भागों में;

(ग) यह ब्लैक-आउट कब तक चलेगा; और

(घ) क्या पाकिस्तानियों ने युद्ध-विराम समझौते के बाद पठानकोट पर फिर से हमला किया था ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते।

(घ) जी, नहीं।

छात्रों की पिटाई

390. श्री विश्राम प्रसाद : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में एक स्कूल अध्यापक द्वारा एक लड़के की इतनी पिटाई की गई कि उसकी मृत्यु हो गई; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस विषय में भारत की सभी शिक्षण संस्थाओं को समान हिदायतें जारी करने का विचार कर रही है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी नहीं, अभी तक की गई पूछ ताछ से यह सिद्ध नहीं हुआ है।

(ख) जी नहीं। राज्य सरकारें और संघीय क्षेत्रों के प्रशासन ऐसे अनुदेश जारी करने के लिए सक्षम है। दिल्ली प्रशासन और नगरपालिका संस्थाओं ने भी ऐसे अनुदेश जारी कर दिए हैं।

उत्तर प्रदेश में नये विश्वविद्यालयों का खोला जाना

391. **श्री कृ० चं० पन्त** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या तीसरी योजना अवधि में उत्तर प्रदेश में एक और विश्वविद्यालय खोलने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित विश्वविद्यालय किस क्षेत्र में खोला जायेगा; और

(ग) इस पर अनुमानतः कितनी लागत आयेगी और उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी, हां।

(ख) उत्तर प्रदेश सरकार का प्रस्ताव है कि यह विश्वविद्यालय नैनीताल में स्थापित किया जाय।

(ग) विश्वविद्यालय की स्थापना पर तीसरी योजना में लगभग 20 लाख रुपये व्यय होने का अनुमान है। प्राक्कलनों का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

गोरखपुर उर्वरक कारखाना

392. **श्री कृ० चं० पन्त** : क्या **पैट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गोरखपुर के उर्वरक कारखाने का निर्माण-कार्य कार्यक्रम के अनुसार नहीं चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ; और

(ग) सरकार ने इसके लिए क्या कार्यवाही की है कि कारखाने की प्रगति कार्यक्रम के अनुसार होती रहे ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) से (ग) : भूमि के अर्जन और असैनिक कार्य ठेकों को अन्तिम रूप देने में देरी के कारण शुरू शुरू में कारखाने की प्रगति धीमी थी। तो भी वर्तमान प्रगति बहुत सन्तोषजनक है।

उर्वरक संयंत्र

393. **श्री मि० सू० मूर्ति** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आस्ट्रिया के ऋण के अन्तर्गत कुछ प्रकार के उर्वरक बनाने के संयंत्रों की सप्लाई के लिए आस्ट्रिया के मैसर्स वायेस्ट से प्राप्त प्रस्ताव की जांच इस बीच पूरी हो गयी; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० वी० अलगेशन) : (क) और (ख) : मामला अभी परीक्षाधीन है।

———

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय कि ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

अल्जीयर्स में होने वाले अफ्रीकी-एशियाई सम्मेलन का स्थगित किया जाना

श्री रामेश्वर टांटिया (सीकर) : मैं वैदेशिक-कार्य मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाना चाहता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :

"अल्जीयर्स में अफ्रीकी एशियाई सम्मेलन का स्थगित किया जाना और उस पर भारत सरकार की प्रतिक्रिया"।

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : यह छः पृष्ठ का वक्तव्य है। क्या मैं इसे पढ़ूं ?

अध्यक्ष महोदय : इसे सभा पटल पर रख दिया जाये। उस पर प्रश्नों के लिये मैं कोई अन्य अवसर दूंगा।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : माननीय मंत्री उसको संक्षिप्त रूप में सुना सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : जब तक व्योरा नहीं होगा तब तक प्रश्न पूछने का कोई फायदा नहीं है। आज मैं इसको बंटवा दूंगा और परसों प्रश्नों के लिये अवसर दे दूंगा।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। इस सभा की यह प्रथा रही है कि जब भी कोई वक्तव्य सभा पटल पर रखा जाता है, उसकी प्रतियां नोटिस आफिस में रखी जाती हैं। मेरा सुझाव है कि ध्यान दिलानी वाली सूचनाओं के बारे में भी यही तरीका अपनाया जाना चाहिये।

श्री स्वर्ण सिंह : मैं मानता हूं। प्रतियां उपलब्ध करा दी जायेंगी।

अध्यक्ष महोदय : मैं निश्चय ही इस से सहमत हूं। ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं के बारे में भी यही तरीका अपनाया जा सकता है।

श्री जी० म० कृपलानी (अमरोहा) : जब भी मंत्री वक्तव्य दें तो उन्हें संक्षेप और सार रूप में वक्तव्य देने चाहिये।

श्री हरि विष्णु कामत : ध्यान दिलाने वाली सूचना पर प्रश्न कब पूछे जा सकेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : यदि कल नहीं हो सका तो मैं परसों का दिन इसके लिये नियत करूंगा।

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhabad) : The hon. External Affairs Minister should try to be brief and concise.

ध्यान दिलाने वाली सूचना के बारे में (प्रश्न)

RE : CALLING ATTENTION NOTICE (Query)

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I want to say one thing regarding the Calling Attention Notice. It is a very important matter connected with the workers. The mills employing about 22,000 workers are going to be closed.....

Mr. Speaker : It cannot be raised in this way. Order, Order.

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

आश्वासनों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही

संचार तथा संसद-कार्य मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह) : मैं तीसरी लोक-सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दिखाने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(एक)	अनुपूरक विवरण संख्या 1	बारहवां सत्र, 1965
(दो)	अनुपूरक विवरण संख्या 5	ग्यारहवां सत्र, 1965
(तीन)	अनुपूरक विवरण संख्या 9	दसवां सत्र, 1964
(चार)	अनुपूरक विवरण संख्या 11	नवां सत्र, 1964
(पांच)	अनुपूरक विवरण संख्या 6	आठवां सत्र, 1964
(छः)	अनुपूरक विवरण संख्या 16	सातवां सत्र, 1964
(सात)	अनुपूरक विवरण संख्या 19	चौथा सत्र, 1963

[पुस्तकालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 5092/65।]

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : पिछली बार माननीय मंत्री श्री भगत ने आश्वासन दिया था कि 1964–65 में सत्रों की मध्यकालीन अवधियों में विदेशों में गये मंत्रियों की दी गई विदेशी मुद्रा के संबंध में विवरण सभा पटल पर रखा जायेगा। यह जानकारी बहुत जरुरी है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी जांच करूंगा। माननीय मंत्री इस समय नहीं बता सकते हैं।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : मंत्रियों ने 1962 से अब तक दिये गये अनेक आश्वासनों को क्रियान्वित नहीं किया है और इस संबंध आपके नेतृत्व में लोक सभा के सचिव ने मंत्रियों को लिखा भी है कि वे इस संबंध में वक्तव्य दें। मंत्रियों ने संसद् को मखोल बना रखा है।

अध्यक्ष महोदय : मैं पिछले आश्वासनों को देखूंगा।

श्री प्र० के० देव (कालाहांडी) : आश्वासनों तथा वचनों संबंधी एक संसदीय समिति है। उसके प्रतिवेदन को सभा में रखने का अधिकार भी संसद्-कार्य मंत्री ने ले लिया है। क्या ऐसा इसलिये किया गया है कि बहुत सारे आश्वासन दिये जाते है जो कि पूरे नहीं किये जाते ?

अध्यक्ष महोदय : शायद वह इसलिये प्रतिवेदन पेश करते रहे हैं कि उनको निर्णय बताना होता है अथवा यह कि क्या कार्यवाही की गई है।

श्री सत्य नारायण सिंह : जो शिकायतें की गई हैं मैं उनकी जांच करूंगा।

श्री मरारका (झुंझनू) : इसमें कुछ गलतफहमी है। माननीय मंत्री सरकार द्वारा दिये गये आश्वासनों पर की गई कार्यवाही के संबंध में वक्तव्य रखते हैं जब कि आश्वासनों संबंधी समिति के सभापति समिति का प्रतिवेदन सभा में रखते हैं।

अध्यक्ष महोदय : यही मैंने कहा है कि मंत्री का वक्तव्य सरकार द्वारा आश्वासनों पर की गई कार्यवाही के संबंध में होता है।

श्री हरि विष्णु कामत : उन्हें अपने साथियों से सुनिश्चित करना चाहिये कि क्या ऐसा है।

अध्यक्ष महोदय : यह उन्होंने कह दिया है।

राष्ट्रीय शिक्षा, अनुसन्धान तथा शिक्षा प्रशिक्षण परिषद का वार्षिक प्रतिवेदन

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सौन्दरम रामचन्द्रन) : मैं श्री म० क० चागला की ओर से वर्ष 1963–64 के लिए राष्ट्रीय शिक्षा, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण परिषद् नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, वार्षिक लेखे और उन पर परीक्षा प्रतिवेदन सभा पटल पर रखती हूं । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल०टी० 5093/65 ।]**

शिशिक्षु (अप्रेंटिसेज) अधिनियम के अन्तर्गत नियम

श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री र०क० मालवीय) : मैं श्री संजीवय्या की ओर से शिक्षु (अप्रेंटिसेज) अधिनियम, 1961 की धारा 37 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित नियमों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) शिक्षुता (चौथा संशोधन) नियम, 1964 जो दिनांक 23 जनवरी, 1965 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 155 में प्रकाशित हुए थे । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल०टी० 5094/65 ।]**

(दो) शिक्षुता (संशोधन) नियम, 1965 जो दिनांक 28 अगस्त, 1965 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1242 में प्रकाशित हुए थे । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल०टी० 5095/65 ।]**

केरल दमकल टोली अधिनियम तथा अखिल भारतीय सेवा अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाए

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : मैं श्री हाथी की ओर से राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुए उपराष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के सम्बन्ध में दिनांक 24 मार्च, 1965 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित केरल दमकल टोली अधिनियम, 1962 की धारा 35 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) अधिसूचना एस० आर० ओ० संख्या 155/64 जो दिनांक 19 मई, 1964 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जिसमें केरल दमकल सेवा के कर्मचारियों से सम्बन्धित नियम दर्ज हैं । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल०टी० 5097/65 ।]**

(दो) अधिसूचना जी० ओ० (पी०) संख्या 181 जो दिनांक 23 फरवरी, 1965 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जिसमें केरल दमकल अधीन सेवा के कर्मचारियों से सम्बन्धित नियम दर्ज ह । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल०टी० 5096/65।]**

(2) अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1553 की एक प्रति जो दिनांक, 23 अक्तूबर, 1965 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिस के द्वारा भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम, 1954 की अनुसूची 3 में एक संशोधन किया गया । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल०टी० 5098/65 ।]**

आपात जोखिम (माल) बीमा अधिनियम तथा आपात जोखिम (कारखाने) बीमा अधिनियम

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री रामेश्वर साहू) : मैं श्री ब० रा० भगत की ओर से निम्नपत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) आपात जोखिम (माल) बीमा अधिनियम, 1962 की धारा 5 की उप-धारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) आपात जोखिम (माल) बीमा (तीसरा संशोधन) योजना, 1965 जो दिनांक 15 सितम्बर, 1965 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 2913 में प्रकाशित हुई थी । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल०टी० 5099/65।]**

[श्री रामेश्वर साहू]

(दो) आपात जोखिम (माल) बीमा (चौथा संशोधन) योजना, 1965 जो दिनांक 28 सितम्बर, 1965 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 3093 में प्रकाशित हुई थी। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी० 5100/65।]**

(तीन) आपात जोखिम (माल) बीमा (पांचवा संशोधन) योजना, 1965 जो दिनांक 7 अक्तूबर, 1965 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 3158 में प्रकाशित हुई थी। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 5101/65।]**

(2) आपात जोखिम (कारखाने) बीमा अधिनियम, 1962 की धारा 3 की उप-धारा (7) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) आपात जोखिम (कारखाने) बीमा (तीसरा संशोधन) योजना, 1965 जो दिनांक 15 सितम्बर, 1965 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 2914 में प्रकाशित हुई थी। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी० 5102/65।]**

(दो) आपात जोखिम (कारखाने) बीमा (चौथा संशोधन) योजना, 1965 जो दिनांक 28 सितम्बर, 1965 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 3094 में प्रकाशित हुई थी। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी० 5103/65।]**

(तीन) आपात जोखिम (कारखाने) बीमा (पांचवा संशोधन) योजना, 1965 जो दिनांक 7 अक्तूबर, 1965 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 3159 में प्रकाशित हुई थी। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी० 5104/65।]**

राज्य सभा से संदेश
MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव : मुझे राज्यसभा से प्राप्त निम्न संदेश की सूचना देनी है :—

"राज्य-सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमों के नियम 111 के उपबन्धों के अन्तर्गत मुझे अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक, 1965 की प्रति भेजने का आदेश मिला है जिसे राज्य सभा ने अपनी 3 अवम्बर, 1965 की बैठक में पारित कर दिया है।"

अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक
ADVOCATES (AMENDMENT) BILL

सचिव : मैं अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक, 1965 को राज्यसभा द्वारा पारित किये गये रूप में सभा पटल पर रखता हूं।

गैरसरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधि समिति
COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS BILLS AND RESOLUTIONS
बहत्तरवां प्रतिवेदन

श्री कृष्णमूर्ति राव (शिमोगा) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का बहत्तरवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

श्री हेम बरुआ (गोहाटी) : रूस के राजदूत से आपने दिल्ली में अपनी दीर्घ आयु के लिये जो समझौता किया है उसके लिये क्या मैं आपको बधाई दे सकता हूं ? ईश्वर आपको दीर्घ आयु प्रदान करें।

अध्यक्ष महोदय : यह उनकी चाह है। मैंने कुछ नहीं कहा है और इस संबंध में कोई रिपोर्ट नहीं है।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : सभा चाहती . . .

अध्यक्ष महोदय : मैं काफी जी लिया हूं। बहुत अधिक नहीं जीना चाहता।

श्री हरि विष्णु कामत : परन्तु हम आपको चाहते हैं और विश्व आपको चाहता है।

भारत का धातु निगम उपक्रम का अर्जन विधेयक

METAL CORPORATION OF INDIA (ACQUISITION OF UNDERTAKING) BILL

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत का धातु निगम लिमिटेड उपक्रम के अर्जन का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ताकि केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक हित में यथासंभव पूर्णरूप से राजस्थान राज्य के जावर क्षेत्र में तथा उसके आसपास के क्षेत्र में जस्ते तथा सीसे के निक्षेपों का विदोहन कर सके और इन खनिज पदार्थों का इस तरह उपयोग कर सके जिससे वे सामान्य हित में सहायक सिद्ध हो सकें।

(श्री स० मो० बनर्जी खड़े हुए।)

अध्यक्ष महोदय : क्या आप पुरःस्थापन का विरोध करना चाहते हैं ?

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : यह बहुत आश्चर्य की बात है कि यह अध्यादेश 22 अक्तूबर, 1965 को जारी किया गया जब कि इस सभा के 3 नवम्बर से आरम्भ होने वाले सत्र के लिये समन पहले से ही जारी किये जा चुके थे।

अध्यक्ष महोदय : यदि आपको विधेयक के पुरःस्थापित किये जाने पर आपत्ति है तो आप थोड़े से शब्दों में अपने विचार रख सकते हैं।

डा० मा० श्री० अणे (नागपुर) : पुरःस्थापन की अवस्था पर सामान्यतः कोई आपत्ति नहीं उठाई जाती है।

अध्यक्ष महोदय : आम तौर पर तो ऐसा ही होता है। परन्तु यदि कोई सदस्य चाहे तो आपत्ति उठा सकता है।

श्री स० मो० बनर्जी : इस विधेयक को अध्यादेश के जारी किये बिना ही 3 नवम्बर को लाया जा सकता था।

अध्यक्ष महोदय : जब विधेयक सभा के सामने आयेगा तब इस आपत्ति को उठाया जा सकता है।

प्रश्न यह है :—

"कि भारत का धातु निगम लिमिटेड उपक्रम के अर्जन का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये, ताकि केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक हित में यथासंभव पूर्णरूप से राजस्थान राज्य के जावर क्षेत्र में तथा उसके आसपास के क्षेत्र में जस्ते तथा सीसे के निक्षेपों का विदोहन कर सके और इन खनिज पदार्थों का इस तरह उपयोग कर सके जिससे वे सामान्य हित में सहायक सिद्ध हो सकें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। / *The motion was adopted.*

श्री संजीव रेड्डी : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

भारत धातु निगम (उपक्रम का अर्जन) अध्यादेश के बारे में विवरण

STATEMENT RE : METAL CORPORATION OF INDIA (ACQUISITION OF UNDER TAKING) ORDINANCE

श्री संजीव रेड्डी : मैं भारत का धातु निगम (उपक्रम का अर्जन) अध्यादेश, 1965 द्वारा तुरन्त विधान बनाने के कारण बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण सभा पटल पर रखता हूं। [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-5127/65।**]

अध्यक्ष महोदय : श्री बनर्जी का आपत्ति यह है कि जब कि सभा 3 नवम्बर को बैठ रही थी किसी अध्यादेश की आवश्यकता नहीं थी। विधेयक पर विचार करते समय इसपर चर्चा की जायगी।

श्री स० मो० बनर्जी : मेरी मूल आपत्ति यह है कि अध्यादेश जारी नहीं होना चाहिये था जबकि सरकारको यह पता था कि सत्र पास आ रहा है। अध्यादेश में यह कहा गया था कि सरकार को जस्ते और सीसे की जरूरत थी और 14 सितम्बर, 1965 को नियंत्रण आदेश जारी किया गया था। बड़े आश्चर्यकी बात है कि सरकार को प्रतिरक्षा प्रयोजनों के लिये एक औंस भी जस्ते और सीसे की जरूरत नहीं थी। इस निगम को अब सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस देश के एक बड़े उद्योगपति ने लिखा पढ़ी की थी और वह इस निगम को लेना चाहता था। क्या सरकार इसके बाद एक नया निगम बनाना चाहती है जिसका रजिस्टर्ड कार्यालय राजस्थान में रखा जायेगा? क्या यह निगम पूर्णरूप से एक सरकारी संगठन होगा अथवा इसके साथ बिरला जैसे बड़े व्यापारियों का संबंध होगा?

अध्यक्ष महोदय : इस अवस्था पर इन प्रश्नों को नहीं लिया जा सकता।

विश्व बैंक को अदायगी तथा सिन्धु जल-संधि के अन्तर्गत जल देने के बारे में प्रस्ताव

MOTION RE : PAYMENT TO WORLD BANK AND RELEASE OF WATER UNDER INDUS WATERS TREATY

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : मैं प्रस्ताव करता हूं...

श्री नाथ पाई (राजापुर) : यह एक ऐसा विषय है जिसका सिंचाई और विद्युत मंत्रालय से कोई गहरा संबंध नहीं है। यह एक राजनैतिक विषय है और पाकिस्तान के साथ हमारे संबंधों से इसका गहरा संबंध है। पहले अवसर पर भी भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री जवाहर लाल नेहरु ने उत्तर दिया था।

इस समय सभा में न तो वैदेशिक-कार्य मंत्री ही उपस्थित हैं और न ही प्रधान मंत्री। क्या आप आश्वासन दे सकते हैं कि उन दोनों में से एक यहां होंगे?

अध्यक्ष महोदय : मैं इस सुझाव से सहमत हूं। यह वांछनीय होगा यदि वैदेशिक-कार्य मंत्री अथवा प्रधान मंत्री स्वयं उपस्थित होते। सभा उनकी उपस्थिति चाहेगी।

श्री नाथ पाई : धन्यवाद।

डा० कु० ल० राव : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि सिन्धु जल-संधि, 1960 के अन्तर्गत जल देने और विश्व-बैंक की छठी वार्षिक किश्त की अदायगी के बारे में विचार किया जाए।"

1947 में भारत का विभाजन हुआ, तो पंजाब विभाजन समिति ने सीमा के बारे में कोई निश्चित नियम नहीं बनाये थे। 4 मई 1948 में दोनों देशों का सम्मेलन हुआ और इस मामले पर विचार किया गया। भारत और पाकिस्तान की सरकारों का परस्पर समझौता हो गया। भारत ने पाकिस्तान को पानी देना स्वीकार कर लिया। इस बीच यह भी तय हुआ था कि वह अपना कोई प्रबन्ध कर लेंगे। पाकिस्तान इस रियायत का अनुचित लाभ उठाता रहा। 1960 में एक सिन्धु जल संधि हुई, उसमें यह व्यवस्था की गई कि तीन पूर्वी नदियां, अर्थात् रावी, ब्यास तथा सतलुज के जल का प्रयोग पूर्णतया भारत करेगा और तीन पश्चिमी नदियों का, अर्थात् सिन्धु, जेहलम, तथा चनाब का जल पूरी तरह पाकिस्तान करेगा। इसके लिए कुछ संरक्षण भारत को भी प्राप्त होंगे। पाकिस्तान की जिस भूमि की सिंचाई पूर्वी नदियों द्वारा अर्थात् उन नदियों से लिए गये जल द्वारा जिनका जल पूर्णतया भारत द्वारा प्रयोग में लाये जाना चाहिए। यह भूमि लगभग 43 लाख एकड़ थी। इस समझौते को मानने में भी पाकिस्तान ने छः मास लगा दिये। अन्ततोगत्वा सितम्बर 1960 में जो समझौता हुआ उसे अप्रैल 1960 में कार्यान्वित किया गया। इस करार के उपबन्धों के अनुसार 43 लाख एकड़ की सिंचाई उस जल से की जानी थी, जिनको कि पश्चिमी नदियों में लाये जाना था। पूर्वी नदियों, जिनका जल पूर्णतया हमारे लिए रक्षित था, के जल के स्थान पर पश्चिमी नदियों का जल जाने के लिए प्रतिस्थापन कार्यों के निर्माण का किया जाना अपेक्षित था। उन कार्यों पर व्यय तथा सिन्धु नदी के विकास पर 700 करोड़ रुपये व्यय होने थे। विश्व बैंक ने ऋण तथा अनुदान के रूप में 620 करोड़ रुपये दिये। भारत ने भी 83 करोड़ रुपये का अंशदान दिया। यह समूचा सिन्धु 'बेसिन' विकास निधि नामक पृथक निधि में रखा जायेगा। और इस सारी व्यवस्था का प्रबन्ध विश्व बैंक द्वारा किया जाना था। सारे कार्य को विश्व बैंक के कर्मचारियों पर छोड़ दिया गया। यह बैंक ही इस निधि का प्रबन्धक था। विश्व बैंक ने कहा कि इस कार्य को 10 वर्ष में पूरा किया जाय। इस कार्य को 1970 तक पूर्ण होना है।

यह कार्य 10 वर्ष में पूरा होगा। और इस बीच जिस जल का प्रयोग इससे पूर्व पाकिस्तान कर रहा था वह पूर्णतः अब भारत करेगा। इस कार्य को पूरा करने के लिये 3 वर्ष की और रियायत दी गयी। यदि वह एक साल अधिक लगायें तो पाकिस्तान को 4 करोड़ रुपये देने होंगे, और यदि तीन साल का ही विस्तार लेना हुआ तो 12½ करोड़ रुपये देने होंगे। और यह अदायगी स्टरलिंग पौंड में करनी होगी। अब प्रत्येक वर्ष 44 लाख रुपये प्रति वर्ष अदा कर रहे हैं। सन्धि के अन्तर्गत हमें तीन पूर्वी नदियों के जल के पूर्ण उपयोग का अधिकारी भारत होगा। भारत को तीन पश्चिमी नदियों से जम्मू तथा काश्मीर की 7 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई का भी अधिकार है। हमें इन नदियों से विद्युत निर्माण का कार्य भी लिया जा सकेगा। उसे सब प्रकार से प्रयोग में लाने की भारत को स्वतन्त्रता है। पंजाब में जलारोध बहुत अधिक रहता है। इसका कारण यह है कि वहां नालियों की व्यवस्था ठीक नहीं है। इसके लिए पाकिस्तान को जाने वाले तीन बड़े नालों की व्यवस्था को ठीक ठाक रखने की जिम्मेदारी पाकिस्तान की। इस तरह इस सन्धि के अन्तर्गत कुछ लाभ थे, जिन्हें प्राप्त किया जाना था।

इस संधि पर इस सदन में नवम्बर 1960 में चर्चा हुई थी। सदन की अनुमति से ही उसे स्वीकार किया गया था। इस संदर्भ में और आगे चलने से पूर्व मुझे इच्छोगिल नहर के बारे में कुछ निवेदन करना है। उस नहर को 1948 में बनाया गया था। उन्हें इस्लामपुर के लिए चनाब से पानी लेना अभीष्ट था। उन्हें यह भी डर था कि भारत उनका पानी कहीं बन्द ही न कर दे। अतः उन्होंने 108 मील लम्बी ऊपर चिनाब नहर और बम्बाला और रावी नहरों का निर्माण किया। यह नहर रावी नदी के नीचे से होकर आती है। इसके लिए रुपया पाकिस्तानी कोष से आया इच्छोगिल नहर का निर्माण सन्धि से पूर्व ही हो चुका था। इसके लिए विश्व बैंक ने कोई राशि नहीं दी है। हमने देखा है की नहर के इस ओर 'पिल बक्स' बने हुए है। हमें निश्चित रूप से पता नहीं है कि इन पिल बक्सों का निर्माण कब हुआ। परन्तु कहने वाली बात यह है कि इस धन का व्यय इस प्रकार के पिल बक्स बनाने पर खर्च हुआ है। मैं यह तो नहीं कह सकता कि ये पिल बक्स संख्या में कितने हैं। एक पिल बक्स पर लगभग 5000 रुपये व्यय आने का अनुमान है। कुल मिला कर इस पर 5–10 लाख रुपये से अधिक नहीं है।

[डा० कु० ल० राव]

अब मैं इस ओर आता हूं कि जो किश्त हमने देनी है वह अदा करे अथवा न करे। हम चाहते है कि पाकिस्तान की सैनिक क्षमता बढने न पाये । अत: इस समस्या की विभिन्न दिशाओं पर विचार करना चाहता हूं । हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पाकिस्तान का विश्व भर में ख्यातिपूर्ण स्थान नहीं । भारत का विश्व भर में समुचित स्थान है । इसके अतिरिक्त यह भी तथ्य हमें सोचना है कि हम अपनी पांच किश्तें दे चुके हैं । यह छठी किश्त हमने पाकिस्तान को नहीं दी है । यह राशि हमने सिन्धु 'बेसिन' विकास निधि को दी गयी है, जिसका सारा प्रबन्ध विश्व बैंक के हाथ में है । इस सारे कार्य की देखभाल विश्व बैंक करता है । और इस दिशा में जो धन दिया जाता है वह केवल प्रतिस्थापन कार्यों में प्रयोग करने के उद्देश से दिया जाता है । इसकी विदेशी मुद्रा पाकिस्तान को नहीं मिल रही । विदेशी मुद्रा का भुगतान सीधे ठेकेदारों को किया जाता है । विश्व बैंक ने यह आश्वासन दिया है कि विदेशी मुद्रा का भुगतान ठेकेदारों को प्रत्यक्षत: किया जाता है न कि पाकिस्तान की । साथ ही यह भी एक तथ्य है और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि यह सन्धि भारत पाकिस्तान तथा विश्व बैंक के बीच एक विपक्षीय समझौता है । हम विश्व बैंक के सदस्य है । विश्व बैंक हमें सहायता देता रहा है । अत: हमें इस दिशा में चूक नहीं करनी चाहिए । विश्व बैंक को परेशानी हो, यह उत्तरदायित्व हमें अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए ।

पांच किश्तों का भुगतान तो हम कर ही चुके हैं । यदि इससे हम मुकरे तो इससे हमें जो लाभ होता है, उसका प्रयोग करने में देर ही लगेगी । इस सन्धि का उद्देश्य यही है कि अपने देश में पानी का प्रयोग ठीक ढंग से किया जा सके । स्पष्ट बात है कि सन्धि का पालन न किया गया तो हमारे ही विकास में ढील पड़ेगी । हमें यह याद रखना है कि हम दो स्थानों से जल प्राप्त कर रहे है । एक तो रावी से निकली नहर "सैन्ट्रल बारी दोआब" से दूसरे फिरोजपुर के स्थान पर । इसकी सारी शर्तों का उल्लेख करार में विस्तार से दिया है । इसका लाभ उठाते हुए पंजाब सरकार ने यह प्रयास किया है कि इस जल का प्रयोग कर अधिक से अधिक क्षेत्रों में सिंचाई की जाय । पंजाब सरकार इस दिशा में बहुत कुछ कर पाई है । "रबी" काल में उन्हें अवश्य कुछ असुविधा होती है । फिरोजपुर में हमें जल की निश्चित मात्रा देनी ही पड़ती है । मेरा स्पष्ट मत यह है कि इस मदद, इस सन्धि को तोड़ना देश के हित में नहीं है । यदि हम सन्धि पर कायम न रहे तो पाकिस्तान द्वारा में बहुत कुछ गड़बड़ किय जाने की सम्भावना है । काफी संख्या में सदस्य इस प्रस्ताव पर अपने विचार व्यक्त करेंगे । मैं उन सब की बातों का बाद में उत्तर दूंगा ।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I put my substantive motion No. 1.

Shri Yashpal Singh (Kairana) : put my substantive motion No. 2.

श्री त्रिविद कुमार चौधरी (बरहामपुर) : मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 3 प्रस्तुत करता हूं ।

Shri PrakashVir Shastri (Bijnor) : Sir, I move my substitute motion No. 4.

श्री हुकमचन्द कछवाय (देवास) : श्रीमान्, मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 5 प्रस्तुत करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : मूल प्रस्ताव तथा स्थानापन्न प्रस्ताव अब सभा के समक्ष प्रस्तुत हैं ।

श्री कपूर सिंह (लुधियाना) : अध्यक्ष महोदय, पाकिस्तान को किये गये अथवा किये जाने वाले भुगतान के सम्बन्ध में ऐसा आभास होता है कि यह कार्य उन वीरगति को प्राप्त हुए लोगों की स्मृति के प्रति अनादर का प्रतीक लगता है जिन्होंने पाकिस्तानी नग्न आक्रमण के विरुद्ध देश की सीमाओं

की रक्षा करने में हाल ही में अपनी जानें कुर्बान की हैं; तथापि, सम्पूर्ण मामले पर निष्पक्ष रूप से विचार करने पर स्पष्टत: मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार ने इसे देश के हित में किया है, अत: उसकी कार्यवाही का समर्थन करना आवश्यक है ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

इस सन्धि के सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय ने स्वयं यह कहा था कि इसके कुछ उपबन्ध "विचित्र उपबन्ध" हैं जिनके अनुसार हमें बाध्य होकर पाकिस्तान को, हमारी आवश्यकताओं के बावजूद भी, उल्लिखित मात्रा में सिंचाई जल देना पड़ता है : पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान ने भारत द्वारा दी गई निधि का दुरुपयोग किया है । सिंचाई और बिजली मंत्री, डा० राव ने अपने आज के भाषण तथा उस पत्र में जिसे उन्होंने 4 नवम्बर को सभा-पटल पर रखा था, इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि--विश्व बैंक के पर्यवेक्षण के अधीन ये धनराशियां वास्तव में विदेशी ठेकेदारों द्वारा उपयोग में लायी गई थीं ।

दूसरी बात, बम्बई के एक समाचार पत्र "इकोनोमिक टाइम्स" के दिनांक 2 अक्तुबर, 1965 के एक समाचार के आधार पर लोगों के दिमाग में यह धारणा बैठ गई है कि इच्छोगिल नहर का निर्माण इन्हीं धनराशियों में से किया गया है । मंत्री महोदय ने अब हमें यह सूचित किया है कि विभाजन के तुरन्त पश्चात् इच्छोगिल नहर का निर्माण-कार्य 1948 में आरम्भ हुआ और उक्त निर्माण-कार्य वास्तव में 1955 में समाप्त हुआ । इस प्रकार के निराधार धारणाएं बिठाने के प्रयत्नों के परिणामस्वरूप देश तथा राष्ट्र दोनों को ओर किसी हद तक विश्व को अत्यधिक हानि पहुंच सकती है । इन शर्तों के अतिरिक्त, सरकार द्वारा 1 नवम्बर, 1965 को देय राशि का भुगतान करने के बारे में की गई कार्यवाही के विरुद्ध सामान्यतया यह तर्क दिया जाता है कि इस धनराशि को अन्य कार्यों में लगाया जाना सन्धि की शर्तों का गंभीर उल्लंघन है अत: भारत को इसे मानने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है । मैंने अनुच्छेद 5 तथा उप-खण्ड 6 से सम्बन्धित उपबन्धों को पढ़ा है और सरकार द्वारा हमें अब बताये गये तथ्यों को दृष्टि में रखते हुए, उनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि सन्धि की शर्तों का उल्लंघन नहीं हुआ है ।

अनुच्छेद 9 में विवादों के सम्बन्ध व्यवस्था की गई है । सन्धि के उपबन्धों का उचित पालन न किये जाने की स्थिति से उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद को सर्वप्रथम दोनों सरकारों के सन्धि कमिशनरों को सौंपा जायेगा, और यदि वे किसी मान्य निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाते, तो फिर उसे किसी मान्य तटस्थ विशेषज्ञ के सुपर्द किया जायेगा ; यदि वह भी किसी मान्य निर्णय पर न पहुच सके, तो इसके पश्चात् उसे किसी मान्य मध्यस्थ को सौंप दिया जायगा और अन्त में उसे एक विवाचन (आर्बिट्रेशन) न्यायालय को सौंप दिये जायेंगे ।सन्धि में इस प्रकारका कोई भी उपबन्ध नहीं है जिससे हमें सन्धि के उपबन्ध का खण्डन अथवा सन्धि में उल्लिखित निश्चित पर देय किस्तें स्थगित करने का अधिकार मिल जाये ।

एक तर्क यह दिया गया है कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अनसार हमारी सरकार पहली नवम्बर, 1965 को देय किस्त को रोक सकती है क्यों कि भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष चल रहा है । किन्तु पहली बात यह है कि भारत तथा पाकिस्तान के बीच युद्ध बन्द हो गया है । दूसरी बात यह कि हमारा विश्व बैंक से, जो इस सन्धि में एक पक्ष भी है, हमारा कोई भी संघर्ष नहीं है । अत: अन्तर्राष्ट्रीय कानुन सम्बन्धी इस तर्क का, कि द्विपक्षीय अन्तर्राष्ट्रीय सन्धियां संघर्ष के दौरान स्वत: ही निलम्बित हो गई है, इस स्थिति से कोई भी सम्बन्ध नहीं है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं । अत: अन्तर्राष्ट्रीय सन्धियों को तोड़ना कोई आसान काम नहीं है और मेरा पूर्ण विश्वास यह है कि भारत कभी भी किसी सन्धि को नहीं तोड़गा । सरकार पर अधिक से अधिक आरोप यह लगाया जा सकता है कि उसने पाकिस्तान को लाभ पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय हितों की अवहेलना की है ।

[श्री कपूर सिंह]

अन्तिम तथा वास्तविक तर्क जो सरकार की कार्यवाही के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है वह यह है कि चूँकि पाकिस्तान ने हमारा माल (जहाज में लदा हुआ) जब्त कर दिया है और उसके विदेश मंत्री श्री भुट्टो ने भारतीयों को "कुत्ते" की संज्ञा दी है, अत: हमें जवाबी कार्यवाही के रूप में सिन्ध सन्धि को तोड़ देना चाहिए। किन्तु मेरी धारणा यह है कि हमें, जैसा कि सर्व विदित है, अन्तर्राष्ट्रीय जगत में शान्ति प्रिय अन्तर्राष्ट्रीय कानून को प्रोत्साहन देने वाला, उपनिवेशवादी शोषणा का प्रबल विरोधी और अन्तर्राष्ट्रीय आचरण के सम्बन्ध में नैतिक सिद्धान्तों का समर्थक समझा जाता है। अत: सिन्धु सन्धि का उल्लंघन करना सर्वथा अवांछनीय एवं अनुचित है।

हम इस सन्धि का उल्लंघन करके पाकिस्तान को कोई सारभूत हानि नहीं पहुंचा सकते। इसका परिणाम यह निकल सकता है कि विदेशी मुल्कों की सहानुभूतियां पाकिस्तान के प्रति और भी अधिक बढ़ जायेंगी तथा उसे वस्तु रूप में और अधिक सहायता मिलने लगेगी और भारत के प्रति और भी अधिक कठोर भावनायें पैदा हो जायेंगी। हम ऐसी स्थिति को उत्पन्न करके स्वंय उसका शिकार नहीं बन सकते।

अन्तिम तर्क जो भी भुट्टो के आचरण के सम्बन्ध में शेष रह जाता है वह यह कि उन्होंने हमें "कुत्ते" कह कर भारतीय जनता की क्रोधाग्नि तथा भावावेग को व्यापक रूप से उत्तेजित किया है। मुझे ऐसा लगता है कि श्री भुट्टो ने भारत के प्रति इस घृणा तथा अपमानजक भावनाओं का संकेत करके युद्ध काल में केवल कुछ मस्लिम समुदायों द्वारा काम में लायी जाने वाली अपनी सांस्कृतिक अलंकारिक भाषा का परिचय दिया है क्योंकि तारीख "हुसैनूशाही" तथा फारसी में लिखित "जंगनामे" हस्तलिखि पुस्तकों में युद्ध के समय शत्रू को "कुत्ते" की संज्ञा दी गई है। अत: श्री भुट्टो भारत के प्रति अपनी घृणा प्रदर्शित करने के लिए अपना सांस्कृतिक मुहावरे का इस्तेमाल कर रहे थे। अन्तर्राष्ट्रीय सन्धि का केवल इस कारण उल्लंघन करना उचित नहीं लगता।

Shri Bhanu Prakash Singh (Raigarh) : Mr. Deputy Speaker, Sir, the payment amounting to Rs. 8 crores made to Pakistan at this moment under the Indus Water Treaty has materially contributed towards the anger and passion of the people of this country because we have recently come to know that Pakistan has built pill-boxes out of these funds along side the bank of the Ichhogil canal so far as the matter under discussion is concerned we have to dispassionately consider it from two aspects. First, the rivers now flowing in Pakistan were in India before partition, and the second aspect is in respect of Kashmir where some rivers have their head-springs.

We have also to carry-out international obligations and no country has right to exercise its powers on those treated as international rivers. In view of this fact it had become absolutely necessary and desirable for India to enter into this Water Treaty, so that Pakistan could not invariably claim the waters of these rivers, and the Treaty gives India the exclusive use of the waters of these rivers once the transitional period is over in 1970. This period may, however, be extended by three years through mutual agreement. As far as my knowledge goes, the construction of canals in Pakistan is going expeditiously and it is in our national interest that these canal works are completed as early as possible. Under this Treaty we have paid Rs. 80 crores to Pakistan and we need not pay any more amounts now.

The other question is in respect of Kashmir. Pakistan fears that India may interfere with the flow of those rivers flowing on the borders of Kashmir to the detriment of Pakistan. I think that this fear is baseless, and on the other hand, in view of Pakistan's international attitude, we can expect such things from that country on the basis of our experience that we have gained from the international

field, we should be very careful in dealing with the matters of international character because we have seen that even in bodies like U.N.O., they have no prescribed tenets to follow and they often revise their policies in view of the exigencies of political situations. We, should, therefore, give utmost priority and importance to the matters of our national interests.

Pakistan has misused the funds contributed by India, and she has given provocations to us. In spite of all these facts, it is not in the interest of and to the benefit of the nation and the country to repudiate this treaty altogether. It is desirable to observe and honour this international treaty.

श्री इन्द्रजीत गुप्त (कलकत्ता-दक्षिण-पश्चिम) : इस सन्धि के अन्तर्गत हमारे करार-सम्बन्धी उत्तरदायित्व सर्व विदित है, मंत्री महोदय का यह कहना सही नहीं है कि इस सन्धि के उपबन्धों विशेषत: विदेशी मुद्रा में भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में उस समय कोई आलोचना नहीं की गई थी जब सभा में इस पर चर्चा की गई थी। इस मामले पर इस सभा में वाद-विवाद नवम्बर, 1960 में हुआ था उस समय विभिन्न सदस्यों ने जो मुख्य आपत्तियां उठाई थी, उनमें से एक यह थी कि सरकार ने इस सन्धि पर हस्ताक्षर करने से पूर्व उस पर सभा का राय तथा संसद् का अनुमोदन वन्यों प्राप्त नहीं किया। इस दूसरा प्रश्न 83 करोड़ रुपये की अदायगी के सम्बन्ध में उठाया गया था। मुख्य आलोचना यह थी कि हमने रुपया-मुद्रा के स्थान पर पौंड-मुद्रा में भुगतान करना क्यों स्वीकार किया है। तीसरी आलोचना पाकिस्तान के धोखा देने के रिकार्ड के सम्बन्ध में थी और कई सदस्यों ने यह सन्देह व्यक्त किया था कि हम इस बात पर निर्भर नहीं रह सकते कि पाकिस्तान सन्धि की शर्तों का पालन करेगा।

मंत्री महोदय का यह वक्तव्य कि सौभाग्य से हमें वर्तमान वर्ष में पाकिस्तान से पानी दिये जाने को कोई मांग प्राप्त नहीं हुई है और इसलिए हमें जल-संभरण नहीं करना है, पहले ही सार्वजनिक रुप से जारी किया जाना चाहिए था क्योंकि पाकिस्तान ने भारत पर सन्धि का पालन न करने का आरोप लगाया है। पाकिस्तान ने यह आरोप लगाया है कि भारत "सेन्द्रल नारी दोआब" नहरों तथा "सतलूज घाटी नहरों" के जल का पर्याप्त हिस्सा पाकिस्तान की नहरों को नहीं दे रहा है।

जहां तक सन्धि के उपबन्धों का सम्बन्ध है, मुझे कुछ भी, अधिक नहीं कहना है, किन्तु भूतपूर्व सिंचाई तथा बिजली मंत्री श्री हाफ़िज मुहम्मद इब्राहीम ने भी इस सभा में कहा था :

> "जहां तक भारत की सिंचाई सम्बन्धी आवश्यकताओं का सम्बन्ध है, काश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा पूर्व पंजाब में, इस सन्धि के अन्तर्गत भारत जो पानी पश्चिमी नदियों से ले सकता है——वह इन क्षेत्रों की, जहां इस समय सिंचाई की जाती है तथा उन क्षेत्रों की जहां बाद मे सिंचाई होगी, में आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त है"।

संसद् के समक्ष सरकार द्वारा दिये गये आश्वासन की दृष्टि से हमें उसमें संदेह नहीं है कि उन्होंने इस संधि पर हस्ताक्षर करते समय अपने देश की आवश्यकताओं का पूरा पूरा ध्यान रखा है परन्तु आश्चर्य तो इस बात का है कि इसमें परिवर्तित परिस्थितियों के बारे में कोई व्यवस्था नहीं की गई——चाहे वे परिस्थितियां कितनी ही अस्थायी अथवा क्षणिक ही क्यों न हों, जैसे यदि कभी सुखा पड़ जाने पर अथवा टिड्डी दल आने पर फस्लों पर बुरा प्रभाव पड़े तब संधि में इस प्रकार की अंशिक घूट की कोई व्यवस्था नहीं है और कुछ माननीय सदस्यों की शिकायत उचित ही है क्योंकि इस वर्ष पंजाब, राजस्थान तथा अन्य कुछ क्षेत्रों में सुखा पड़ने से हानि हुई है, क्योंकि यह व्यवस्था न करके सरकार ने दूरदर्शिता के अभाव का परिचय दिया है।

[श्री इंद्रजीत गुप्त]

मुझे लगता है कि सरकार विश्व बैंक पर अगाध निष्ठा प्रदर्शित करती रही है परन्तु यदि हम इस संधि को देखें, इसके सदस्यों को देखें तो हमें पता चलेगा कि उनमें से अधिकतर, विशेष रुप से अमरीका, पश्चिमी जर्मनी आदि, जहां भी पाकिस्तान का प्रश्न आयेगा उनका रवैया सदा भारत-विरोधी रहा है और रहेगा । कम से कम यह सत्य अब तो स्पष्ट हो गया है । इस संधि के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान दोनों के प्रतिनिधियों की तुलना में विश्व बैंक को अधिक पर्यवेक्षण तथा निरीक्षण शक्तियां दी गई हैं । यह ठीक सही कि हम, विश्व बैंक के मुकाबले में कम धन दे रहे हैं परन्तु देखना तो यह है कि जबकि हम दूसरे देश में निर्माण कार्य के लिये धन दे रहे हैं जो 10 वर्ष के लिये होगा परन्तु उससे संबंधित निर्णयों में भाग लेने का हमें कोई अधिकार न होगा । खेद है कि हम ने इसे बिना हिचकिचाहट इसे मान लिया है ।

संधि के कार्यों के पुनर्विलोकन की भी कोई व्यवस्था नहीं है और न ही परिवर्तित परिस्थितियों की दृष्टि से किसी संशोधन का उपबन्ध है--हां एक उपबन्ध है जो बिलकुल पाकिस्तान के पक्ष में है ।

इस संधि में जिस संयुक्त आयोग की व्यवस्था है जिसमें दो आयुक्त होंगे--एक भारत का तथा दूसरा पाकिस्तान का--और वे मिलकर पांच वर्ष में एक बार विभिन्न विकास कार्यों का दौरा करेंगे, तो अब जबकि अभी हाल ही में पांच वर्ष पूरे हुये है, न केवल यह परन्तु यह भी उपबन्ध है कि एक आयुक्त की प्रार्थना पर दूसरा आयुक्त मामले की तुरन्त जांच करने के लिये इस संयुक्त दौरे का प्रबन्ध करेगा, तो हम जानना चाहते हैं कि क्या अभी तक ऐसा एक भी दौरा उन्होंने किया है, यदि हां, तो उन्हों ने क्या रिपोर्ट दी है और यदि नहीं तो क्यों नहीं? क्या हमारे आयुक्त ने अभी उसके लिये प्रार्थना की है, यदि हां तो इसका क्या परिणाम रहा ? जैसा मंत्री महोदय ने कहा कि इच्छोगिल नहर क्षेत्र का हम निरीक्षण नहीं कर सकते तो मेरा कहना है कि यह गलत है । संधि के अनुसार हमारे आयुक्त यह अधिकार प्राप्त है और इन्हीं का प्रयोग करके वह ऐसा आवश्य ही कर सकता है ।

डा० कु० ल० राव : मैं यह बताना चाहता हूं कि उन दोंनों आयुक्तों की कई बैठकें हुई हैं और हर वर्ष तथा पहले 5 वर्षों के पश्चात् उनकी कार्यवाही की रिपोर्ट सभा पटल पर रख दी गई थी । मैं यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि नियमानुसार नहर कार्यों का निरीक्षण नहीं किया जा सकता । वे केवल नदी कार्यों को ही देख सकते हैं, इसलिये हमारे आयुक्त ने इच्छोगिल नहर का निरीक्षण नहीं किया है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यह स्पष्टीकरण ही मेरे इस तर्क की पुष्टि करता है कि इस संधि में कई अवांछनीय खण्ड हैं ।

हम यह नहीं कह सकते कि यदि पाकिस्तान ने विश्व बैंक द्वारा दिये गये धन का अपव्यय किया है तो इसकी विश्व बैंक को जानकारी नहीं है क्योंकि उन्हें पाकिस्तान में जांच आदि की पूरी स्वतंत्रता एवं अधिकार प्राप्त हैं । इसलिये मैं मंत्री महोदय के इस मत से सहमत नहीं हूं कि इस संधि में सभी बातें उचित और अच्छी ही हैं । संधि के अनुच्छेद 10 को ही लीजिये, यह तो हमारा सौभाग्य था कि वर्तमान युद्ध मार्च, 1965 में आरंभ न होकर सितम्बर में हुआ नहीं तो इस अनुच्छेद के अनुसार वे भारत को संधि में परिवर्तन करने पर बाध्य कर सकता था ।

पाकिस्तान के साथ हमारे पिछले अनुभव के आधार पर हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान सदा ही कानून तोड़ता रहा है और जब पाकिस्तानी प्रेज़ीडेंट ने 4 अथवा 5 वर्ष ही यह कहा था की जहां जहां से चनाब और जेहलम नदिया गुजरती हैं उन स्थानों के संयुक्त निरीक्षण का अर्थ इन नदियों अथवा उन स्थानों पर देशों दोनों का संयुक्त अधिकार होगा इसका अर्थ इसके अतिरिक्त और क्या है कि पाकिस्तान भारत पर आक्रमण करके इन नदियों तथा जहां से यह नदियां गुज़रती हैं उन उपरी क्षेत्रों पर पाकिस्तान

संयुक्त अधिकार को एकमात्र अपने अधिकार में परिवर्तित कर देगा। क्यों कि उसने मुह की खाने अथवा अपनी हार के बारे में तो स्वप्न में भी नहीं सोचा था । जो पाकिस्तानी योजनायें युद्ध के दौरान हमारे हाथ लगी हैं उससे स्पष्ट हो जाता है कि उनकी योजना काश्मीर में चनाब और जैहलम और भारत में फिरोजपूर का पूरा क्षेत्र एवं अमृतसर में जी टी रोड के ब्यास पुल पर अधिकार करने की थी और उनकी इस क्रूर योजना को धूल में मिलाने के लिये हम एक बार फिर अपनी वीर सेनाओं का आभार मानते हैं। जैसा उस समय (1960) में हमारे स्वर्गीय प्रधान मंत्री ने कहा था कि हम ने इस संधि को मान कर शान्ति का मूल्य चुका कर उसे खरीदा है, वैसे यदि अब वह जीवित होते तो आवश्य कहते कि पाकिस्तान ने अपने आक्रमण द्वारा मूल्य वसूल करने के पश्चात भी शान्ति भंग की है और हमें धोखा दिया है । इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि केवल शान्ति की खातिर हम ने कुछ ऐसी बातों पर भी संधि करना स्वीकार किया जो हमारे लिये लाभदायक नहीं थी ।

अब जबकि हमें कई ऐसी बातों का पता लगा है जो हमारे हित में नहीं हैं और जिन में हम संशोधन चाहते है तो हमें इसके लिये संधि के कार्यकलायों के पुनरीक्षण अथवा पुनर्विलोकन के लिये संयुक्त राष्ट्र अथवा विश्व बैंक से अनुरोध करना चाहिये और सामान्य संबंधों की पुन: स्थापना के पश्चात पाकिस्तान से भी इस संबंध में बातचीत करनी चाहिये। परन्तु इसके लिये हमें पांच वर्ष तक और प्रतीक्षा करनी होगी ।

मैं इस संधि को रद्द करने अथवा इसके विमुख होने के पक्ष में नहीं हूं और नही मैं यह चाहता हूं कि हम पाकिस्तान को पानी की सप्लाई रोक दें क्योंकि जैसी हम ने घोषणा की है यह युद्ध वहां की जनता के विरुद्ध न होकर उनके सैनिक तानाशाहों से है। हमें पाकिस्तान के घृणित रवैया का अनुकरण नहीं करना है यद्यपि कांग्रेस दल के कुछ सदस्यों ने इसकी मांग की है, परन्तु जैसा मैंने पहले कहा हमें परिवर्तित परिस्थितियों में इस संधि में संशोधन करने का उपबन्ध रखने का आवश्य प्रयत्न करना चाहिये ।

Shri M. L. Dwiwedi (Hamirpur) : Sir, after listening carefully to the arguments of Hon. Members and the facts stated by the Hon. Minister, I may say that I have not found the arguments put forward by the Hon. Minister convincing, though, they are relevant and legal. Therefore, though I am not in favour of scrapping this Treaty or fulfilling our obligation regarding payment of instalments I might be allowed to state some facts to which I was an eye witness, being one of those who toured the battle front in the Lahore and Sialkot Sectors recently.

Whereas the Hon. Minister has said that the Ichchogil Canal was constructed in 1948, but from the super-structure of the canal, I have found it not to have been built earlier than two or three years before. The Hon. Minister had stated that the Pill Boxes had not been constructed right on the banks of the canal but a few hundred feet away from it, but, Sir, I have myself seen then and they are right on the canal itself on both the banks. In fact, a few yards away, there is another chain of these Pill-Boxes and presumably, the Minister has been informed about these only. Then, the depth and span of the canal is such as to clearly demonstrate the real function of the canal, which in this case is purely military.

Though, we do not say that the Treaty might be scrapped, as I said earlier also, but we can point out these things to the World Bank and its Members and the use, this canal is being put to and thus prove that the money given by us has been improperly utilised for purposes other than water and canal and against us. We should at least be wiser after the event.

I also do not find myself in agreement with Shri Indrajit Gupta when he says that we should not stop the supply of water to Pakistan, because, I have found that while we are supplying life giving water to Pakistani farmers, they are oconverting their houses into gunpowder dumps against us.

[Shri M. L. Dwiwedi]

I want to know why Rajasthan is not getting full supply of water *i.e.* 30 per cent. This should be restored as early as possible. Therefore, we have to see that while helping other, our own interests do not suffer. In order to ensure that Pakistan does not abuse the help being given by us through the World Bank, we must try for the appointment of a neutral country on this Board. Lastly I have to say that I support the arguments put forward by the Hon. Minister for implementation of the Treaty. I support his motion.

Shri Rameshwaranand (Karnal) : I am sorry to say that the Government to day is bent on repeating the mistakes, they have committed in the past, we have always catered to the needs, both real and unreal, of our neighbour, who has always remained hostile towards us. Our political leaders had declared that our neighbours should not be allowed to become stronger than ourselves. But unfortunately, we have not only allowed Pakistan and China to become strong, but rather assisted them in his. An hon. Communist Member, Shri Indrajit Gupta had just now pleaded that we shou'd not reciprocate the Pakistani conduct towards them. He says this because, today his party is Friendly towards them and they are chips of the same blocks which now claims to be the best friend of Pakistan, namely China. Political wisdom teaches us to be ready to change our code of conduct according to the person we are behaving with at a particular time. When Pakistan has not learnt to mend her ways even after such a long time, I do not see any reason why we should continue to be saintly with a confirmed devil. We can, now, easily scrap this treaty, which exists simply for Pakistan's benefit.

We should give a suitable reply to Pakistan for the slander and abuses heaped on us in the world body. The nation will certainly give a befitting reply to them. I cannot but say that if the Government continue to adopt this spineless policy, both, this policy as well as the country will be no more before long. Pakistan and China come to know about everything happening here because there are crores of their agents in India.

There is no question of plebiscite in Jammu and Kashmir. Pakistan had no right to attack Kashmir, which is a part of India. In the Security Council no country named the aggressor. Today if Britain or America declare Pakistan as aggressor, Pakistan can ask them to remove their basis. The same case applied with China. China will always take side of Pakistan as Pakistan has surrendered much of our land to China. If Pakistan wants Kashmir on the bases of community, why they do not merge Kabul and Kandhar. Here in India muslims are living peacefully and are enjoying. They know as to what would be their condition if they go to Pakistan. So no muslim wants that Kashmir should go to Pakistan.

There is no harm in breaking the treaty with Pakistan. We have not so far been able to understand Pakistan fully. We should treat Pakistan with might- We should not give any money to Pakistan.

It is very unfortunate for India that enemy agents are their in large number.

We should not supply water to Pakistan when already there is shortage of water here. Besides, about a thousand people in Karnal area have already deposited the security but the electricity people have not so far given them electricity to operate tube-wells.

The Government should be firm in their stand and they should reply in the same coins as Pakistan does.

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Shyamdhar Misra): Mr. Deputy-Speaker, Sir, Hon. members and the whole country knows about our attitude towards Pakistan. It is not so that if we are giving money or water under Indus water treaty, we are showing liberal attitude towards her. We are implementing this treaty for the last five years and giving water and during this period we have given them about 40-42 crores of rupees. We are in the mid of the treaty. We should see whether this action would be pofitable or harmful.

At the time of partition we were using water which was sufficient for the irrigation of 40-45 lakh acres of land and Pakistan also got the equal quantity of water. Then there was an agreement under which after ten years we could utilise the whole of water which is sufficient for the irrigation of 120 lakh acres of water after 1970 when replacement works are constructed in Pakistan. These replacement works were to cost about 600—700 crores of rupees and Pakistan wanted that the total amount should be given by India. We refused to give this money and after long discussions it was decided that India should pay only 80 crores of rupees. Out of this sum we have already paid 40-42 crores of rupees. About 8 crores more was given this year. Thus we have so far paid them 50 crores of rupees. After 1970 we can produce foodgrains in Rajasthan and Punjab worth 80 to 100 crores of rupees with this water. This is a tripartite treaty in which World Bank is involved. We would not forget that World Bank has given us thousand crores of rupees. If we stop giving water to Pakistan, they can claim damages and who knows the amount of damages is more than this eight crores of rupees.

There is international rule for riparian use of water. In these circumstances unilaterally we cannot say anything. By abrogating the treaty we would be vitiating the international atmosphere. It may also lead to a reaction in East Pakistan.

Shri A. S. Saigal (Janjgir): What is the guarantee that we shall get full water after five years ?

Shri Shyam dhar Misra : There is no necessity of guarantee. The water is in our hand. After that date in 1970 we shall not give water to Pakistan according to international agreement. However there is some grace. If it is delayed by one year, Pakistan will have to give us 4 crores of rupees. If it is delayed by two years, Pakistan will give us 8 crores of rupees and if it is 3 years, Pakistan will give us 12 crores of rupees. It cannot be delayed any longer. I may also clear one thing that Ichhogil canal was completed in 1956 and this agreement was entered into in 1960. So far as construction of pill boxes is concerned, World Bank has assured us telegraphically that they would see that money is not misused by Pakistan on defence purposes. This water release is not the result of weak policy of Government of India. This is only practical politics, an expediency and international obligation and there can be no use of breaking that. We are simply honouring practical politics and international obligations and I request that the House should accept it.

श्री नाथ पाई (राजापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, पाकिस्तान को 8 करोड रुपया देने के प्रश्न का निर्धारण और निर्णय 1960 की सन्धि के सम्बन्ध में नहीं बल्कि वर्तमान स्थिति को ध्यान में रख कर और उसके संदर्भ में किया जाना चाहिये। यदि देश में चिन्ता है और लोग क्षुब्ध

[श्री नाथ पाई]

हैं तो इसलिये नहीं कि हम पाकिस्तान को धन दे रहे है, इसलिये नहीं कि हम अन्तर्राष्ट्रीय जिम्मेवारियों के प्रति उदासिन हैं बल्कि केवल इसलिये कि इस भुगतान पर हमारे देश के प्रति पाकिस्तान के वर्तमान इरादों की पृष्ठभूमि में विचार करना होगा। इस वाद-विवाद का इस विशेष समझौते अथवा धन देने से कोई सम्बन्ध नहीं है। इस चर्चा का सम्बन्ध पाकिस्तान के साथ हमारे सम्बन्धों से है। यह संधि दो सरकारों के बीच है। इस संधि में विश्व बैंक कोई पक्ष नहीं है। विश्व बैंक का काम तो केवल बैंकिंग कार्य करना है। संधि पर भारत की ओर से जवाहरलाल नेहरू ने और पाकिस्तान की ओर से श्री अय्यूब खां ने हस्ताक्षर किये थे। विश्व बैंक का काम बहुत सीमित सा था। संधि के अनुच्छेद 5 तथा 10 से यह स्पष्ट हो जाता है। भारत ने जो धन पाकिस्तान को देना है उसका भुगतान बैंक द्वारा होगा।

डा० कु० ल० राव : मैं माननीय सदस्य को बता दूं कि इस विषय पर विधि मंत्रालय ने विस्तारपूर्वक विचार किया था उनकी राय है कि यह एक त्रिपक्षीय समझौता है।

श्री नाथ पाई : मैं विधि मंत्रालय वालों का बहुत आदर करता हूं। हमें संधि पर भी विचार करना है।

हमारे भूतपूर्व प्रधान मंत्री ने भी कहा था की विश्व बैंक को हमारे पाकिस्तान के साथ सम्बन्धों के बारे में कुछ नहीं करना है। उन्हों ने आगे कहा था कि बैंक को तो केवल भुगतान ही किया जायेगा। जब इस संधि पर इस सदन में चर्चा हुई थी उस समय देश के प्रमुख समाचारपत्रों ने इसकी आलोचना की थी। संधि भारत के प्रति अन्यायपूर्ण तथा अनुचित है। पाकिस्तान तो सिन्धुघाटी की नदियों के अधिक से अधिक 75 प्रतिशत जल को प्राप्त करने का अधिकारी, जबकि इसको संधि के अन्तर्गत 80 प्रतिशत जल दिया गया है। पाकिस्तान को वास्तव में इतने जल की आवश्यकता भी नहीं है। पंडित नेहरू के अनुसार हमने इतनी अधिक हानि उठाकर पाकिस्तान के साथ शान्ति बनाये रखने का प्रयत्न किया है। हम पाकिस्तान के साथ मैत्री पूर्ण सम्बन्ध स्थापित करना चाहते हैं। इस संधि के होने के समय हमने बहुत आशायें बांधी थी परन्तु पाकिस्तान का रवैया हम भली प्रकार समझ गये है। अब आप आठ करोड़ रुपया देकर पाकिस्तान को खुश करना चाहत हैं। हमें स्थिति की वास्तविकता को समझना है और पाकिस्तान की शत्रुता को ध्यान में रखना है। इस भुगतान से उनमें कोई अन्तर नहीं आयेगा। गांधीजी ने 55 करोड़ रुपये का भुगतान भी इसी आशा पर करवाया था। मैं तो कहूंगा कि गांधीजी ने अपना जीवन इसीलिये बलिदान कर दिया था। इतने महान बलिदान से भी पाकिस्तान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आज भी पाकिस्तान हमें हानी पहुंचा रहा है और हमारे देश पर आक्रमण कर रहा है। हम पिछले 18 वर्षों के पाकिस्तान के इस प्रकार के रवैये को भूल नहीं सकते।

1960 में यह संधि करके भारत ने पाकिस्तान के प्रति जो उदारता दिखाई थी उसका भारत को कोई लाभ नहीं हुआ। उस समय भी प्रतिपक्ष वालों ने इस संधि की कड़ी आलोचना की थी।

फिर दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान ने हमारे देश पर आक्रमण किया है। ऐसी स्थिति में हमारा उस देश के प्रति कोई दायित्व नहीं रहा जाता। हम आक्रमणकारी देश की सहायता नहीं कर सकते। हमने पाकिस्तान के साथ कच्छ के बारे में समझौता इस आशा पर किया था कि भविष्य में पाकिस्तान के साथ समारे सम्बन्धों में सुधार होगा। देश में भी उस समझौते का बहुत विरोध हुआ था। फिर भी हमने समझौता किया, परन्तु पाकिस्तान ने हमारी सब आशायें मिट्टी में मिला दीं। और हमारे देश पर आक्रमण कर दिया। पाकिस्तान के विदेश

मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् में जिस नीचता का परिचय दिया है वह अत्यन्त शोचनीय है। पाकिस्तान को स्वतन्त्रता बिना किसी कुर्बानी के मिली थी इसलिये उन्हें स्वतन्त्रता के प्रति श्रद्धा नहीं है। हमारे देश में धर्मनिरपेक्षता को सर्वोच्च माना जाता है। यहां सभी धर्मों के अनुयायी बड़े भाईचारे का जीवन व्यतीत करते हैं। हम तो पाकिस्तान की घृणा की नीति के विरुद्ध लड़ते जायेंगे। हम पाकिस्तान की इस विचारधारा को समाप्त करना चाहते हैं। हमें पाकिस्तान को रियायते देने में कोई आपति नहीं परन्तु उसको हमारे प्रति अपनी नीति में परिवर्तन करना चाहिये। पाकिस्तान की पिछले 18 वर्षों की नीति भारत के प्रति घृणा और शत्रुता की रही है।

युद्धविराम के हो जाने के बाद भी उसने युद्ध विराम का लगभग एक हजार बार उल्लंघन किया है। युद्धविराम लागू होने को अभी 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि पाकिस्तान ने आक्रमण करके हमारे राजस्थान के 500 वर्गमील क्षेत्रपर कब्जा कर लिया है। युद्धविराम के समझौते पर हस्ताक्षर के कुछ ही घंटे पश्चात् पाकिस्तान ने अमृतसर पर बमबारी की है।

क्या यह संधि में कही गई बातों के अनुसार है। इससे पहले पाकिस्तान ने हजारों की संख्या में हथियारों सहित घुसपैठिये भारत के काश्मीर राज्य में तोड़ फोड़ तथा गड़बड़ करने के लिये भेजे थे। पाकिस्तान ने जोधपुर पर बमबारी की और नपाम बमों का प्रयोग किया। मैं चाहता हूं कि सभा इन सब बातों पर विचार करे। पाकिस्तान ने अन्य देशों के जहाजों में आ रहे भारतीय माल पर कब्जा कर लिया है। हम ऐसी बातों को कभी भी भूल नहीं सकते। ऐसी स्थिति में क्या भुगतान कर देने से पाकिस्तान की नीति में कोई परिवर्तन होगा?

मैं चाहता हूं कि इस भुगतान को कुछ समय के लिये रोक दिया जाये। प्रधान मंत्री ने जुर्माने या अर्थ-दण्ड का उल्लेख किया है। संधि में इस के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। हां, मध्यस्थ निर्णय के बारे में उपबन्ध है।

हम आक्रमणकारी के आगे झुक नहीं सकते। हमें पहले बहुत खराब अनुभव हो चुका है। अब पाकिस्तान के आगे झुकना देश से विश्वासघात करना होगा। मेरा सुझाव है कि हमें पाकिस्तान के आगे कुछ न्यूनतम शर्तें रखनी चाहियें। यह तो हम जानते ही है कि पाकिस्तान लड़ाई की तैयारी कर रहा है और विदेशों से युद्ध सामग्री मंगा रहा है। इसलिये हमारे लिये आवश्यक हो जाता है कि कुछ शर्तें पूरी करायें। यदि पाकिस्तान वास्तव में ही शान्ति का इच्छुक है तो पहले उसकी ओर से होनी चाहिये। पाकिस्तान को काश्मीर से सब घुसपैठिये वापिस बुलाने चाहिये और छम्ब क्षेत्र से अपनी सेना पीछे हटानी चाहियें। राजस्थान और कच्छ क्षेत्र में जिस क्षेत्र पर उसने आक्रमण करके कब्जा किया है वह खाली किया जाये। पाकिस्तान ने जिन भारतीय जहाजों और माल पर कब्जा किया है वे वापिस किये जायें। उसने भारत का जो क्षेत्र चीन को दिया है वह वापिस दिलाया जाये।

नहीं तो हमें पाकिस्तान के साथ कठोर व्यवहार करना होगा। हम एक स्वतन्त्र राष्ट्र हैं और किसी के नियन्त्रण में हम नहीं रह सकते। हमें हर कीमत पर राष्ट्र की रक्षा करनी है।

Shri Iqbal Singh (Ferozepore) : Sir, I am sorry that Dr. Rao is defending this action of Government. Had Government paid any attention to the criticism which was made here during 1956 and 1958, this situation would not have arisen.

[Shri Iqbal Singh]

[श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी पीठासीन हुए
SHRI SURENDRANATH DWIVEDI *in the Chair*]

If we go into past events we would find that an agreement was reached between two countries on 4th April, 1948. According to this it was not India's obligation to bear the cost of construction of canals in Pakistan. It was agreed that we would stop the supply of water gradually.

Later in 1951 it was said that the World Bank would give assistance. We have forgotten that Pakistan had started construction of canals in 1948. These canals were like a line of defence against India. The then G.O.C.-in-C. of Western Command had protested to this Ministry on this action of Pakistan. He had said that Pakistan was constructing an anti-tank ditch by way of constructing this canal. At that time no notice was taken by the Ministry of that warning. At the time of finalising this agreement we had protested that Pakistan was inflating the cost of construction of these canals. Our Government did not think of the implication of these things. We were under the impression that this agreement would be useful.

During these years we have not made any arrangements for the utilization of those waters for which we are entitled under this agreement. What has been done in the case of river Ravi. Our plans are in investigation stage at present. Suppose this agreement is upto 1970, I want to know whether we have made any arrangements for utilizing this water. I am worried for the future, because Government is not making any schemes for future. Our farmers are not being provided adequate supply of water. When we request our Government, it is said, that we are bound by the agreement. No attention has been paid to the requests of Government of Punjab. We are surprised that those people have been awarded who were responsible for this harmful agreement.

Our Government did not care for the benefit of our farmers and finalised this agreement. The Punjab Government, the Parliament and the farmers were against this agreement. The farmer of Punjab, who is on the border of India, is very angry when he finds that our Government is supplying water to enemy. There has been a downfall in the production of Punjab. It is due to short supply of water. It is hoped that the farmer of Punjab will respond magnificently to the appeal of Prime Minister regarding growing more food even in the face of above odds.

I do not agree with the hon. Minister when he says that the World Bank is a party in this treaty. Its job is only that of a banker and nothing more. My area is the worst affected by this agreement. The constituency of Shri Karnisinghji is also suffering on account of this treaty. We want that we should make arrangements, before 1970 for utilization of this water otherwise we will have to repent. You have made proposals in regard to two rivers but nothing has been about the third river. The dam on the river Ravi should also be constructed without further delay. We can stop supply of water to Pakistan by that time. If we have to fulfil our obligation, Pakistan should also be compelled to do likewise.

We should not make payment for defence measures by Pakistan. This should be investigated. If this money is to be used against India it should not be paid. Government should think over this. If this money is to be spent on construction of canals like Icchogil, we cannot make payment.

Our Commissioner for Indus Water was not allowed to go there for inspection. By doing so, Pakistan has been violating this agreement. I suggest that a committee of Members of Parliament should be constituted to think over all the aspects of this question. It should consider the ways of implementing this treaty in a better way.

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhabad) : Many hon. Members have spoken against the treaty but they were not against this. I feel that this treaty should be suspended for some time. There are 56 bridges on the Ichhogil canal and heavy tanks can pass over these bridges. Then there has been constructed a tunnel under this canal in Khemkaran-Kasur sector. This tunnel has been the cause of our reverses in this sector. I want to remind you that this canal has played a very important role for Pakistan in recent conflict and we should not forget its importance.

I want to draw your attention to Article 8, Section 4(D). Under these Commissioners of both sides can go on tour of inspection of such works or sites on the Rivers as may be considered necessary by them for ascertaining facts connected with those works and sites. I feel under this article we could have come to know about the activities going on on Pakistan side. There is a mention of connecting Lakes in Article 1, Section 3. Under this we were entitled to inspect connecting canals etc. I want that Government should keep in mind my definition of connecting Lakes.

There is a provision in Article 9 for resolving disputes by referring them to a Court of Arbitration. I charge this Government for not making use of this article and paying the money to Pakistan. Government should have raised this dispute. In the preamble of this treaty there is an expression of the hope that it will bring about goodwill and friendly relations between India and Pakistan.

Our hon. Prime Minister does not stick to what he says. Many times he has said that Pakistan is an aggressor and has also accused Security Council for not naming Pakistan as aggressor. Now in this case world will say that at the time of finalising this treaty, no word was said against this but now this hue and cry is being raised. I would request this Government to stick to what it says.

I want to know the cause of utter failure of our army in the Khemkaran-Kasur sector. Was it due to the Patton tanks of Pakistan? I want to refer to other types of tanks also. Our P.T. 76 tanks, which we have received from Russia, have given a good account of themselves. There has not been any reference of these tanks in newspapers. I am not disclosing their numbers.

Russia has acted in a more friendly way than America. Just possible the Indian troops may not have advanced further under the pressure of Russia. That is also possible that our forces got frightened due to the Pill Boxes and other things near Ichhogil canal. Thus we won the first strike but lost the second. I am of the opinion that if our forces had captured Lahore then Pakistan Government had not dared to do this propaganda in the World that it had won the war against India. If our armies attack any territory then they should not think anything but of advance. We should not try to deceive our own people that we have totally won the war.

[Dr. Ram Manohar Lohia]

I am of the opinion that either Pakistan and India be merged into a confederation or there will be very fierce war between both. Our armed forces should be made to understand this fact that whenever they conquer any territory they should not behave in a ruthless way with the people of that territoty, specially the womenfolk. We have absolutely nothing in our minds against the peoples of Pakistan. Those people should feel that we are their own kith and kin. It is by this sort of behaviour that we can undo the wrongs of partition.

As we have been supplying water to Pakistan, there has been some shortage of water in our side. This has affected some areas of the country very badly, and there are famine conditions in the State of Rajasthan. This state of affairs is very serious. If the war starts, we will have to face the famine in the same way as we faced the guns of enemy. Without wage we will not tolerate this famine and starvation. Government will have to face these conditions and will have to find out a solution for that.

I also want to state that our Prime Minister should not talk contradictory things on the one hand he calls Pakistan an aggressor and on the other he talks of friendship with her. This is a very harmful thing for the country. If this thing continues, the people are not capable of having any clear cut thinking on the events.

You should know that Pakistan has violted the treaty by her actions. In spite of it if we had given 8 crores of rupees to Pakistan, it is a very bad precedent. You are not creating healthy atmosphere in this country by doing such things.

श्री नि० चं० चटर्जी (बर्दवान) : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमें वास्तविक बात की उपेक्षा नहीं करनी चाहिये । प्रातःकाल हमने यह मांग की थी कि प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री को इस चर्चा काल में सदन में रहना चाहिये । हमें यह बात अच्छी प्रकार समझ लेनी चाहिये कि यह सिंचाई तथा अन्य किसी भी तरह का प्रश्न नहीं है । यह तो एक राजनीतिक प्रश्न है और इसका निपटारा उचित रूप से किया जाना चाहिये । पाकिस्तान का व्यवहार अच्छा नहीं, अतः यदि सरकार इस संधि को रद्द कर देती, तो यह कदम बहुत ही उचित कदम होता । यह तो अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अन्तर्गत मान्य परिपाटी है कि युद्ध छिड़ जाय तो युद्ध-रत देशों के बीच हुई सभी राजनीतिक सन्धियां अपने आप ही रद्द हो जाती हैं । मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि प्रधान मंत्री ने विरोधी दल के नेताओं को परामर्श के लिए बुलाकर एक बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। परन्तु हमें इस बात पर आपत्ति है कि सरकार ने किश्त की अदायगी कर देने के बाद इसकी चर्चा करने का मामला संसद में प्रस्तुत किया है। मेरा मत यह है कि किस्त की अदायगी करने के पूर्व इस विषय पर संसद में चर्चा की जानी चाहिये थी । संसद और विरोधी दलों के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जाना ठीक नहीं कहा जा सकता। लोगों को इससे बहुत ही चिन्ता हुई है। सर्वत्र जनता की यह राय है कि यह कार्यवाही जनता और राष्ट्र के हित में नहीं हुई हैं। यह वही पुरानी नीति है, जिसमें पाकिस्तान को प्रसन्न करने के लिए घुटने टेक दिये जाते रहे हैं। अतः देश की यह आम आवाज है कि इस समझौते को रद्द कर दिया जाय।

हम मंत्री महोदय को कोई गैर-जिम्मेदार व्यक्ति नहीं कह सकते। हमें पुरी तरह विश्वास हो गया है कि इच्छोगिल नहर वास्तव में 'मेगनाट लाइन' का काम दे रही है। मेरा यह मत है कि मंत्री महोदय द्वारा यह कहा जाना ठीक नहीं है कि यह धन राशि उन कार्यों के लिये दी जा रही है जिन पर कार्य कुछ वर्ष पहले आरम्भ किया गया था। जो कुछ भी हुआ उसके लिए

रुपया अब दिया जा रहा है। और इस रुपये को सैनिक गतिविधियों को तेज करने के लिए प्रयोग किया जायेगा। क्या प्रश्न सामने नहीं आता कि अखिर नहरी क्षेत्र में कवच कोठरियों (पिलबक्स) की क्या आवश्यकता थी? जब हम यह तथ्य जानते है कि इस राशि का प्रयोग हमारे विरुद्ध सैनिक ठिकानों का निर्माण करने के लिये किया जायेगा, तो यह राशि उन्हें क्यों दी जा रही है? इस स्थिति में भारतीय करदाताओं का 8 करोड़ रुपया क्यों पाकिस्तान को दिया जाय। इस दिशा में हम तब तक सन्तुष्ट नहीं हो सकते जब तक कि हमें यह पता न चल जाय कि यह आरोप गलत है। और मंत्री महोदय का कार्य इस दिशा में बहुत प्रशंसा के योग्य नहीं है। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस प्रकार की कार्यवाही से देश का उत्साह बहुत ही कम हो जायेगा और देश पर उसका बहुत बुरा प्रभाव होगा। पकिस्तान ने हमारा करोड़ों रुपये का माल जब्त कर रखा है और हम बेसहारा हुए अनिश्चितता की स्थिति में बैठे हैं।

एक बात बडी स्पष्ट है कि पाकिस्तान ने संधि को तोड़ा है। इसके आधार पर सारा मामला हिल गया है। हमभी इसका खंडन कर सकते है। यदि हम इसका खंडन नहीं कर सकते तो इस मामलें को समझौते के अन्तर्गत उठाया जा सकता है। इसे मध्यस्ता के लिये किसी न्यायालय को भी सौंपा जा सकता था। अब भी सरकार को यह मामला सिन्धू आयोग तथा विश्व बैंक के सामने विचारार्थ प्रस्तुत रखना चाहिए। उन्हें कहना चाहिए कि इस रुपये का प्रयोग किसी अन्य मद के लिए नहीं किया जाना चाहिए। जब तक हमें इस बात का पता न लग जाये कि इस रुपये का दुरूपयोग नहीं हो रहा, हमें इस कृत्य को स्वीकृति नहीं दे सकते जो कि इस दिशा में सरकार ने किया है। भारतीय करदाताओं का करोड़ों रुपया दिया जा रहा है। उन्हें इस बारे में कुछ पता लगना तो चाहिए।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

यह कहना भी ठीक नहीं कि हमने रुपया पाकिस्तान को नहीं, विश्व बैंक को दिया है। यह बहाना है। इस मामलें का हल राजनीतिक स्तर पर होना चाहिए। और इस सारे मामले की ठीक ढंग से छानबीन होनी चाहिए।

श्री कर्णी सिंहजी (बीकानेर) : हमने हाल ही में युद्ध में पाकिस्तान को पराजित किया है। अभी उसकी गुँज सुनाई दे ही रही है कि यह मामला आ गया है। 8 करोड़ रुपये की किश्त पाकिस्तान को दे दी गयी है। हालात सामान्य होते तो हम इसका विरोध न करते, परन्तु आज की स्थिति में इस कृत्य को उचित नहीं कहा जा सकता। प्रधान मंत्री ने कहा है कि हमें अपने करारों और संधियों का आदर करना है, परन्तु उन्हें लोगों की भावनाओं को भी देखना चाहिये था। इस दिशा में लोगों की भावनाओं को समक्ष रख कर ही प्रधान मंत्री को इस बारे में अन्तिम निर्णय करना चाहिये था।

हमारा अघोषित युद्ध पाकिस्तान से चलता रहा है। हमें यह बात स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिए कि युद्ध तथा शांति में काफी अन्तर होता है। शांति के समय पर जो करार देशों में होता है, उसे युद्ध के समय में पालन नहीं किया जाता। यदि पाकिस्तान चाहता है कि हम शांति के समय में किये गये करारों और समझौतों का आदर करें तो उसे भी ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए जो समझौते की भावना के विरुद्ध हो पाकिस्तान ने इस दिशा में क्या क्या कारनामें किये हैं उन्हें बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। बात बिलकुल स्पष्ट है कि जो राशि हम पाकिस्तान को दे रहे हैं, उसका प्रयोग हमारे विरुद्ध युद्ध की तैयारियों के लिए

[श्री कर्णी सिंहजी]

किया जा रहा है। यह निश्चय करना हमारा काम है कि हम नये सिरे से हम इस के बारे में क्या अन्तिम पग उठायें। मेरा कहना है कि यदि सरकार इस सन्धि को आज समाप्त नहीं कर सकती तो कम से कम इसे तीन वर्ष के लिए नहीं बढाया जाना चाहिए ।

आज हम देख रहे है कि देश में अकाल के चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। सर्वत्र खाद्यान्नों की कमी हो रही है। हमें अपनी विदेशी मुद्रा की काफी मात्रा खाद्यान्नों के आयात पर लगानी पड़ती है। इस सिन्धु जल सन्धि का प्रत्यक्ष प्रभाव राजस्थान में अनुभव किया जा रहा है। उसका प्रभाव गंगा नहर पर हो रहा है। वहां जल कम हो रहा है। और उस क्षेत्र में इन वर्षों में खाद्यान्नों के उत्पादन में कमी की ही प्रायः प्रवृत्ति रही है। वैसे जो समाचार प्राप्त हो रहे है, उसके अनुसार खरीफ फसल की हानि 50 प्रतिशत तक और बागों की फसल की 60 प्रतिशत तक हानि हुई है। गेंहूं की खेती पर लगभग 45 प्रतिशत तक प्रभाव होगा। जब गन्ने और खाद्यान्न दोनों में ही कम मिलेगा। ऐसी स्थिति में इतनी राशि को पाकिस्तान को दे देना उचित नहीं कहा जा सकता।

हमें इस संदर्भ में एक बात समझनी चाहिए और वह यह है कि अन्तर्राष्ट्रिय समझौतों और करारों का आधार प्रायः इस बात पर होता है कि उनमें दी गयी शर्तों का दोनों ओर किस तरह पालन हो रहा है। पाकिस्तान तो सारे समझौतों और करारों को बहुत ही बुरी तरह से तोड़ता रहा है। उसने स्वयं ही ऐसी स्थिति पैदा की है हमारा देश उचित रूप से यह कह सकता है कि वह इस सन्धि के अन्तर्गत तय हुई शर्तों का एक पक्षीय रूप में पालन किये जाने के लिए किसी भी कीमत पर तैयार नहीं है। अतः मैंने जो बातें ऊपर कही हैं, उन्हें पुनः दोहराता हूं और प्रस्ताव के स्थान पर प्रस्तुत किये गये अपने स्थानापन्न प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने का आग्रह करता हूं।

Shri S. N. Chaturvedi (Firozabad) : Pakistan was founded on the sentiment of hatred against India. Pakistan has been giving the proof of this hatred for the last 18 years. Naturally India was perturbed over it. Pakistan has created a situation which is quite enough to compel every peace loving country to feel perturbed. Pakistan came to a war with us and is bent upon creating a trouble for us. Shehas always tried to violate all treaties and understandings. Even our High Commission was not accorded a treatment that it should be given under the diplomatic conduct. Our High Commissioner and the staff was highly insulted. It is a pity that we are living in a dreamland. We are perhaps thinking that there has been no war with Pakistan very recently. We must understand this once for all that if we continue to behave like that, there will be no end to our difficulties. Pakistan does not seem to honour any treaty or truce. The cease fire is continuously being violated time out of number.

We know that Ichhogil canal was constructed to be used against us. I am of the opinion that before giving the instalment, Government ought to have asked the World Bank whether this canal and the pill boxes nearby are constructed in order to be used against India. Government should have taken an assurance from the World Bank that Pakistan will not misuse this money and create some trouble for India. I cannot say that our Government asked this specific question from the World Bank.

We know that the money given to Pakistan under this treaty has not been properly spent. At present there is a state of war between India and Pakistan. Pakistan is not behaving well. She is even violating the elementary diplomatic customs. Therefore we should cut off our diplomatic relations with Pakistan and thereby this treaty will automatically go.

उपाध्यक्ष महोदय : श्री विद्यालंकार।

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnor) : Mr. Deputy Speaker, Sir, I rise on a point of order. The Members in whose names there are substitute motions are trying to catch your eye for the last five years but you are not calling them.

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अधिक से अधिक सदस्यों को अवसर देने के प्रयत्न कर रहा हूं।

Shri Radhelal Vyas (Ujjain) : The time should be extended so that more members may be accommodated.

उपाध्यक्ष महोदय : हमे यह बहस आज समाप्त करनी है।

Shri Prakash Vir Shastri : You do not raise your eye and that is our misfortune.

श्री अ० ना० विद्यालंकार (होशियारपुर) : भारत सरकार ने पाकिस्तान को यह जो मोटी रकम दी है उसके दिये जाने के संबंध में राजनितिक कारण बताये जाने चाहिये। अब हमारे सामने मुख्य प्रश्न यह रह जाते हैं कि क्या संधि के अन्तर्गत यह रकम इस समय देना बहुत जरूरी था, क्या हमारे लिये ऐसा करना उचित था और क्या हमने जो कुछ किया है वह हमारे आत्म-सम्मान के प्रतिकूल तो नहीं है।

यह संधि हमने इस उम्मीद को लेकर और इस आशय से की थी कि पाकिस्तान के साथ हमारे संबंधों में सुधार होगा। परन्तु हम पिछले 18 सालों से देखते चले आये हैं कि हमें इसमें कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई है।

कई माननीय सदस्यों ने यह भी कहा है कि क्या रकम की अदायगी को कुछ समय के लिये स्थगित नहीं किया जा सकता था। मेरा भी यही विचार है कि वर्तमान परिस्थितीयों को देखते हुए इसको स्थगित कर दिया जाना चाहिये था।

हमने यह रकम विश्व बैंक को दी है। हमें पूछना चाहिये कि पाकितान ने उसको अब दी गई रकम को किन कार्यों पर खर्च किया है। हमारी सरकार जानती है कि पाकिस्तान ने अपनी सनिक तैयारियों के संबंध में इछोगिल नहर पर यह पैसा खर्च किया है। इस बात की जांच करने के लिये हमें संयुक्त आयोग की नियुक्ति के लिये विश्व बैंक को सुझाव देना चाहिये।

आज कल की परिस्थतियों को देखते हुए हमें अपनी नीति में परिवर्तन करना चाहिये। अगले वर्ष तब तक कोई भुगतान नहीं किया जाना चाहिये जब तक ह यह आश्वासन नहीं दिया जाता कि वह पैसा गलत परियोजनाओं के लिये खर्च नहीं किया जाये। हमें विश्व बैंक से कहना चाहिये कि हम उसकी निगरानी से संतुष्ट नहीं है। हमारा यह अधिकार है कि हम यह देखें कि पाकिस्तान संधि का पूरी तरह पालन करता है। सरकार को इस बात की जांच करवानी चाहिए कि पाकिस्तान ने अब तक दिये गये पैसे को किन कार्यों पर खर्च किया है। पाकिस्तान के रवैये को ध्यान में रखते हुए हमें अपनी नीति में आवश्यक परिवर्तन करना चाहिये।

हम हर एक देश से मित्रता चाहते है हम पाकिस्तान से भी मित्रता चाहते हैं परन्तु अपने-आत्म-सम्मान की कीमत पर नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : डा० राव।

श्री नाथ पाई (राजापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, डा० राव को बली का बकरा बनाया जा रहा है। यह एक राजनीतिक विषय है और प्रधान मंत्री या वैदेशिक-कार्य मंत्री को इसका उत्तर देना चाहिये। आज सुबह अध्यक्ष महोदय ने भी इस बात को माना था। यदि सरकार इस गंभीर विषय का मज़ाक बनाना चाहती है तो हम सदन से उठ कर चले जायेंगे और इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है।

श्री हरि विष्णु कामत : वे महत्वपूर्ण चर्चा को एक ढकोसला बना रहे हैं।

(इसके पश्चात श्री नाथपाई और श्री हरि विष्णु कामत सदन से उठ कर चले गये)

(Shri Nath Pai and Shri Hari Vishnu Kamath then left the House).

श्री यशपाल सिंह (कैराना) : वैदेशिक कार्य मंत्री उत्तर दें।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Devas) : Mr. Deputy Speaker, Sir, I support what he has said and walk out from the House.

(श्री कछवाय तब सदन से उठ कर चले गये)

(Shri Kachhavaiya then left the House).

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnor) : Mr. Deputy Speaker, Sir, You are calling Dr. Rao and therefore I walk out from the House.

(श्री प्रकाशवीर तब सदन से उठ कर चले गये)

(Shri Prakash Vir then left the House).

Shri Radhelal Vyas (Ujjain) : I move that the Prime Minister or the Minister for External Affairs should reply to-morrow and the debate may be continued today.

श्री हनुमन्तैया (बंगलौर नगर) : यह एक ऐसा विषय है जिसका सारे देशवासियों से संबंध है, इसलिये मेरा सुझाव है कि कल प्रधान मंत्री इसका उत्तर दें। इसका उत्तर देना डा० राव का काम नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं किसी को मजबूर नहीं कर सकता।

श्रीमती रेणुका राय (माल्दा) : मैं श्री हनुमन्तैया की बात का समर्थन करती हूं।

श्री दी० चं० शर्मा (गुरुदासपुर) : मैं भी श्री हनुमन्तैया का समर्थन करता हूं।

श्री राधेलाल व्यास (उज्जैन) : प्रस्ताव पर सभा की राय जानी जाये।

Mr. Deputy Speaker : He should kindly listen.

श्री सत्य नारायण सिंह : प्रधान मंत्री आ गये हैं। भावना ऐसी है कि हम कल उत्तर ।

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : कुछ शब्द मैं इस समय कहूंगा।

Mr. Deputy Speaker : This agreement is an old agreement and it was agreed to by both the Houses.

Shri Indrajit Gupta (Calcutta, South West) : It had been concluded before it came to House.

Shri Lal Bahadur Shastri : This agreement was approved by the Parliament. At this stage we cannot go into the merits of the Agreement. World Bank is the administrator of that fund and of all the Bank funds. Our contribution is very little. Regarding the supervision there is no provision in the treaty. However, there is a provision for a joint inspection by the two representatives of India and Pakistan, but that is only about river works and not about canals. We have been informed that this money has not been used for defence efforts. World Bank, as you know, is very jealous that whatever it gives is utilised exclusively for those purposes only for which the funds are given.

As regards the construction of pill boxes they are not a very costly affair. It involves an expenditure of not more than 10 to 15 thousand rupees.

An hon. Member : There are many other things also.

Shri Lal Bahadur Shastri : There are no other things. Dr. Rao might have explained about the tunnels. No underground passages have been built underneath the canal.

An hon. Member : Tanks are plying on 56 bridges.

Shri Lal Bahadur Shastri : The canal and the bridges were constructed much before the agreement. I quite understand the feeling which has been generated by the present conflict with Pakistan. We have examined very carefully all the legal implications of the matter. We have consulted the Law Ministry and Shri Chagla. We have also to take note of the international situation that is in the background. We also know the general opinion in the World about Kashmir. In such a situation we do not wanted that a wrong picture of India should be projected before the world. If India do not pay the canal dues Pakistan can raise new issues which would create bad impression about India.

There is one penalty clause in this Agreement. In case we do not make payment an international agency can be set up and obviously we would be in the wrong and find ourselves in an awkward situation. Supposing the penalty exceeds that amount, the position will be further worsened. We have to be careful that our image before the world is not marred.

Dr. Lohia said that either there should be complete war or complete peace. But in the practical world we find mixed things. So far as our honour and integrity are concerned we are prepared to take extreme steps to save them. But that does not mean that regarding other matters also we should take an extreme view. The international world does not go into the implications nor understand our feelings.

Shri Hari Vishnu Kamath (Hoshangabad) : It will have to understand.

Shri Lal Bahadur Shastri : The World will appreciate this action of ours. Shri Indrajit Gupta said something. It is true that we do not regard World Bank as our God and worship it, but this is also true that we do not adopt a hostile attitude towards it. We have to take a balanced view in this regard. The World has been of great help to us in our economic development. It does not mean that we want to rely upon it indefinitely but it will take some time to be self reliant. We have to take into consideration all these factors. Therefore I think we have taken the correct decision.

Shri Hari Vishnu Kamath : Can the World Bank guarantee that this money will not be used by Pakistan for reattacking India.

Shri Lal Bahadur Shastri : We do not know about this, but if Pakistan does anything we will give a fitting reply.

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : In view of the frequent violations of treaties and agreements by Pakistan can we not postpone the payment dues ?

Shri Lal Bahadur Shastri : We considered all the factors and then came to the conclusion that that was the proper step.

Shri Yashpal Singh (Kairana) : What is the guarantee that Pakistan will not use this money for Defence purposes ?

Shri Lal Bahadur Shastri : At present there is not scope for Pakistan's getting this money and using it.

Shri Nath Pai : So the Prime Minister has come at last. Was it not the duty of the Minister of Parliamentary affairs to inform us.

Shri Lal Bahadur Shastri : I am sorry. I was attending a meeting and could not come earlier.

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री यशपाल सिंह का स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 2 सभा के मतदान के लिये रखता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 2 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।/
Substitute motion No. 2 was put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 4 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।/
Substitute motion No. 4 was put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 1 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।/
Substitute motion No. 1 was put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 3 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।/
Substitute motion No. 3 was put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा स्थानापन्न प्रस्तान संख्या 5 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।/
Substitute motion No. 5 was put and negatived.

इसके पश्चात लोक-सभा गुरुवार, 11 नवम्बर, 1965/20 कार्तिक, 1887(शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, November 11, 1965/Kartika 20, 1887 (Saka).

GIPN—S6—47 Lok Sabha/65—19-8-66—600.